खण्ड-114, अंक-3
बुधवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(10 दिसम्बर, 1952 ई0)

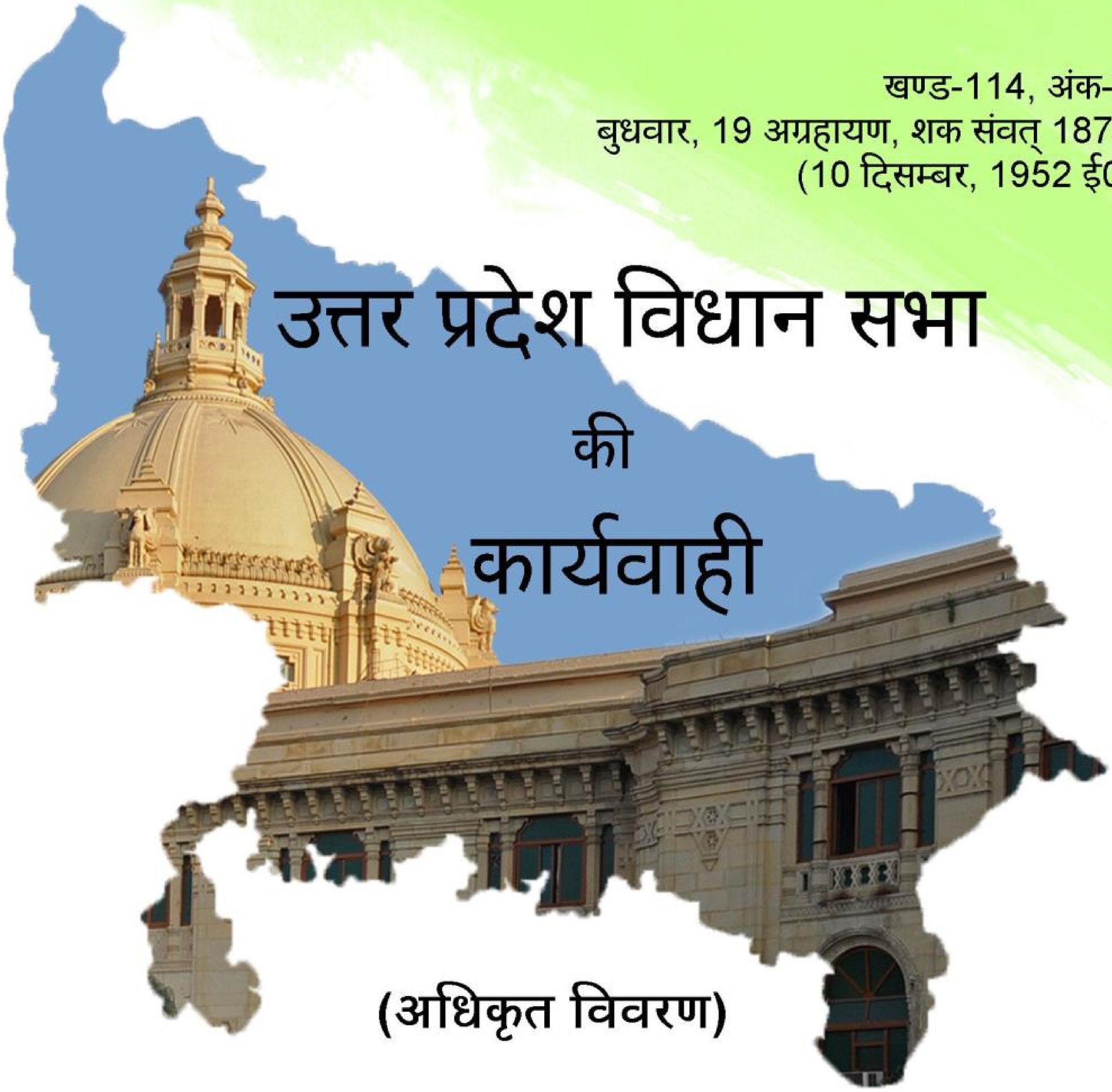

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 114 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री,
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुलतार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री

चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगुल किशोर, श्री
जोराबर वर्मा, श्री
झारखंड राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्र पाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुहुप राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बचन राम, श्री
बचनराम गुप्त, श्री
बनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबन्की)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राव, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवन्शी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंश नारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिव राजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिव शरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

चकिया (बनारस) जिला पन्चायत के कार्यों का वैधीकरण

*१--श्री राम लखन (जिला बनारस)--क्या सरकार को मालूम है कि चकिया जिला पन्चायत (विलीन बनारस स्टेट), जिला बनारस का कार्य सन् १९४८ के बाद बिना किसी एक्सटेंशन या नोटिफिकेशन के हुआ है ? यदि हां, तो चकिया जिला पन्चायत के सन् १९४८ से १५ नवम्बर, सन् १९५२ के कार्यों को लिगलाइज करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--बनारस राज्य का उत्तर प्रदेश में १५ अक्टूबर, सन् १९४९ ई० को विलीनीकरण हुआ था। उक्त तिथि से पूर्व यदि कोई नियम-विरुद्ध कार्य उस राज्य में हुआ तो उससे इस राज्य की सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः ऐसे किसी कार्य को अब नियम बद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विलीनीकरण के पश्चात् इस क्षेत्र के प्रकार्यों का आनियमन इस राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दि बनारस स्टेट (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, दिनांक १५ अक्टूबर, १९४९ के अधीन होता रहा है, इस प्रकार जिला पन्चायत चकिया के संगठन एवं कर्म करण इत्यादि में, इसके जिला बोर्ड, बनारस में १६ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को विलीन होने के समय तक, कोई अनियमन नहीं हुआ।

श्री राम लखन--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर से चकिया जिला पन्चायत, जो बनारस जिला बोर्ड में मिला दी गयी है कब तक कार्य करेगी, क्या इसको कोई निर्देश है और यदि है, तो वह कब मिला ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये नोटिस चाहिए।

*२--श्री रामलखन--क्या सरकार को मालूम है कि विलीनकाशी राज्य में चकिया पंचायत लोकल रेट्स किसानों से वसूल करती है ? यदि हां, तो विलीन हो जाने के बाद चकिया में लोकल रेट्स की वसूली की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--दि बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, दिनांक १५ अक्टूबर, सन् १९४९ ई० के पैरा ७ में यह प्राविधान किया गया था कि १५ अक्टूबर, सन् १९४९ के पहले जो सैस, शुल्क और कर इत्यादि वसूल किये जाते थे वे आगे भी पूर्ववत् वसूल किये जाते रहेंगे जब तक कि इस विषय पर क्षम अधिकारी द्वारा कोई नयी आज्ञायें प्रसारित न की जायं। उक्त क्षेत्र में सब बोर्ड, भदोही एवं जिला बोर्ड, बनारस द्वारा सेस वसूल करने के लिये अब भिन्न दरें (डिफरेन्शियल रेट) विनिहित करके विज्ञाप्ति कर दी गयी हैं।

श्री राम लखन--बनारस जिला बोर्ड और चकिया के विलीन के बाद वह टैक्स जो चकिया में वसूल किया जाता था अब वह किसी नियम के आधार पर किया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--जैसा मैंने उत्तर में पहले ही कहा है, वह टैक्स फिर भी वसूल किये जाते रहेंगे। ऐसी आज्ञा जारी कर दी गई है।

श्री राम लखन--विलीन होने के बाद चकिया में जिला बोर्ड, बनारस के नियम लागू होंगे या ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ बनारस स्टेट, १९४९ लागू होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--कुछ हद तक बनारस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी होंगे और बनारस एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे।

तारांकित प्रश्न

गढ़वाल के राजकीय चिकित्सालयों की व्यवस्था

*१--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)-- क्या यह सही है कि सन् १९४८ में अगस्त मुनी (गढ़वाल) में राजकीय चिकित्सालय बनाना स्वीकृत हुआ था और १९५० में चिकित्सालय के लिये मकान किराय पर लिये गये थे जो कि अभी तक खाली हैं। क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब से अगस्तमुनी में अस्पताल खोलने का विचार करती है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी नहीं, न तो अगस्तमुनी में चिकित्सालय ही बनाना स्वीकृत हुआ है और न मकान ही किराय पर लिये गये हैं। बल्कि अगस्तमुनी में अस्पताल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कदाचित अगले साल इस स्थान के लिये एक चिकित्सालय स्वीकृत हो जाय।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगस्तमुनि कोई ऐतिहासिक स्थान है, यदि है, तो उसका क्या महत्व है ?

श्री बनारसी दास--हो सकता है, यद्यपि इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*२--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में कुल कितने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जिनमें २ वर्ष, १ वर्ष, ६ माह, से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री बनारसी दास--जिला गढ़वाल में कुल २१ राजकीय चिकित्सालय हैं।

(१) जिनमें कोई ऐसा नहीं है जिनमें डाक्टर दो वर्ष से या ६ मास से नहीं हैं।

(२) तीन चिकित्सालयों में डाक्टर १ वर्ष से नहीं हैं और चार चिकित्सालयों में डाक्टर कम से कम दो माह और अधिक से अधिक चार मास से नहीं है।

*३--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे अस्पतालों में कब तक डाक्टर भेजे जायेंगे ?

श्री बनारसी दास--इन जगहों में डाक्टर भेजने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है; किन्तु यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब यहां डाक्टर पहुंच जायेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपापूर्वक यह बतायेगी कि नानपेठ, करारी और रुद्र प्रयाग आदि स्थानों में डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री बनारसी दास--जिन स्थानों के नाम आपने लिये हैं वहां पर अभी तक किसी डाक्टर का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या उन अस्पतालों में कोई कम्पाउन्डर भी है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार के पास लखनऊ में रिजर्व में कुछ डाक्टर्स हैं ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। कंडसर्स कोर्स में ३० डाक्टर यहां आये हुए हैं जिनके कारण विविध ३० डिस्पेन्सरीज में डाक्टर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जाड़े के दिनों में पहाड़ों पर डाक्टर भेजने में असुविधा होती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब वहां डाक्टर नहीं हैं तो वहां अस्पताल कैसे चल रहे हैं ?

श्री बनारसी दास--डाक्टर्स तो वहां पर थे जो अब कंडेसर्स कोर्स में आये हुए हैं। इसलिये कम्पाउन्डर्स ही जो थोड़ी बहुत सहायता जनता की कर सकते हैं, वे कर रहे हैं क्योंकि डाक्टरों का अभाव होने के कारण हम अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं।

श्री नेकराम शर्मा--बिना डाक्टरों के इलाज करना क्या जनता के लिये खतरनाक चीज नहीं है ?

श्री बनारसी दास--जैसा मैंने पहिले कहा कि वहां पर डाक्टर थे लेकिन यहां कंडेसर्स कोर्स में आये हुए हैं। उनकी जगह बावजूद प्रयत्न के हम डाक्टर भेजने में असमर्थ रहे हैं। ऐसी हालत में कम्पाउन्डर्स के जरिये से जितनी भी जनता की सहायता कर सकते हैं कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--अगर सरकार के पास मुनासिब किस्म की शिक्षा पाये हुए डाक्टर नहीं हैं तो क्यों नहीं उस समय तक उन अस्पतालों को बन्द कर दिया जाता जब तक कि अच्छे डाक्टर प्राप्त हो सकें ?

श्री बनारसी दास--इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहां पर पहले डाक्टर थे और अब दो महीने बाद कंडेस्ड कोर्स खत्म होने पर फिर वहां पहुंच जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां कम्पाउन्डर हैं वे ट्रेन्ड हैं या अनट्रेन्ड हैं ?

श्री बनारसी दास--कम्पाउन्डर तो सभी ट्रेन्ड होते हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जाड़ों में भी डाक्टरों को पहाड़ों पर भेजने के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, व्यवस्था तो की जाती है और कई स्थानों पर डाक्टरों को भेजने का प्रयत्न किया गया लेकिन बाज औकात ऐसी नौबत आयी कि उन्होंने वहां जाने की अपेक्षा त्याग-पत्र देना ज्यादा पसन्द किया। चूंकि प्लेन में डाक्टरों की आवश्यकता है ही, इसलिये बावजूद इसके कि हम उनकी सर्विसेज खोवें, यह उचित समझा कि उनको प्लेन में भेज दें।

सरकार की खाद्य-नीति में किये गये परिवर्तन

*४--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेंगी कि उसकी खाद्यान्न नीति से अभी तक क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं ?

श्री बनारसी दास--सरकार ने १ जुलाई, १९५२ से खाद्य-नियंत्रण संबंधी जो नीति अपनाई है उसका विवरण तो मैं सदन में अपने २१ अगस्त के भाषण में बतला चुका हूं। उसके पश्चात् अब तक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी नीति के अन्तर्गत आदेश अवश्य जारी हुए हैं। वह यह हैं कि गेहूं का भाव न बढ़ने पावे इस कारण आटा मिलों को देशी गेहूं लेने से रोक दिया गया है और उनको विदेशी गेहूं आटा बनाकर खुले बाजार में बेचने के लिये दिया जा रहा है। मैदा की मांग कम है इस कारण विदेशी गेहूं से बनाये हुए मैदा को परमिट द्वारा बाहर ले जाने की भी छूट दी गयी है। शहरों में जहां गेहूं का भाव २२ रु० फी मन के ऊपर जाता है वहां नई योजना के अन्तर्गत विदेशी गेहूं की दुकान खोल दी जाती है। १६ नवम्बर से सरकारी दुकानों से केवल गेहूं दिया जा रहा है किन्तु ए० पी० और एच० पी० स्कीम के अन्तर्गत मोटा अनाज पूर्ववत् देने की व्यवस्था है।

*५--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने १६ नवम्बर के पश्चात् गेहूं की नियंत्रित कीमत क्यों बढ़ा दी है ?

श्री बनारसी दास--इस प्रदेश में गेहूं की नियंत्रित कीमत बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी की आयात किये हुए विदेशी गेहूं का मूल्य पहले से अधिक महंगा हो गया और भारत सरकार से जो आर्थिक सहायता इस प्रदेश को मिलती थी, वह भी बन्द हो गई। इसके अति-

रिक्त १६ रुपये मन गेहूं खरीद कर ढाई सेर का बेचने से भी नुकसान उठाना पड़ता है और यदि बाहर से गेहूं का आयात न भी होता तो भी दाम बढ़ाना ही पड़ता। यद्यपि अन्य राज्य सरकारों ने कुछ महीने पहिले ही गेहूं के भाव में वृद्धि कर दी थी फिर भी इस राज्य सरकार ने इस आशा से कि स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा, आर्थिक हानि उठाते हुए भी पुरानी ही कीमतें जारी रखीं। किन्तु राज्य के आर्थिक प्रसाधनों को देखते हुए अधिक हानि उठाना इस राज्य सरकार के लिये असंभव हो गया और बाध्य होकर उसने गेहूं की कीमत में १६ नवम्बर से वृद्धि करने का निश्चय किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ऐसे कितने शहर हैं उनकी सूचना के अनुसार, जहां कि गेहूं का भाव २२ रु० फी मन से ऊपर चला गया है ?

श्री बनारसी दास--यह प्रायः जहां पर कि रेगुलेटेड टाउन्स हैं, ऐसे काफी क्षेत्र हैं, जहां पर अनाज का उत्पादन कम है वहां भाव २२ रु० मन तक पहुंच गया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई सन् ५२ को जो खाद्य नीति जारी की गयी उस समय सरकार ने घोषणा की थी एक हफ्ते पहले तक जो दाम बाजार में थे अगर उससे ज्यादा दाम पर गेहूं का भाव होगा तो सरकार १४ रु० मन के हिसाब से सारा स्टाक जब्त कर लेगी। तो वह नीति क्यों नहीं लागू की गयी है ?

श्री बनारसी दास--जिस समय इस नीति का एलान किया गया, सरकार ने जितना अनाज प्रोक्योर किया उसके बाद जो खुला बाजार रहा, खास कर बाजार को देखते हुए भाव स्टैंड रहा, हम नहीं कह सकते कि वह ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा यहां पर व्यापारियों की एक कान्फ्रेंस बुला कर इस बात का प्रयत्न किया गया कि वे लोग भाव को गिरावें और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ा। जहां भाव पहले २०, २१ रु० मन तक पहुंचा था उस कान्फ्रेंस के फलस्वरूप घट कर वह १९' १९, १/२ रु० तक हो गया। यद्यपि सरकार को यह अधिकार है कि अगर कहीं होर्डर के पास अनाज हो और वह अधिक दाम पर बेचता हो तो सरकार उसको अपने नियन्त्रित भाव पर ले सकती है। परन्तु सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि काफी मात्रा में कहीं किसी होर्डर के पास ऐसा अनाज है, जिसको नियंत्रित भाव पर वह ले सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि जिन शहरों में गेहूं का भाव २२रु० फी मन से ज्यादा बढ़ गया है वहां उनके नियोजन के लिये गवर्नमेंट ने कितनी दूकानें विदेशी गेहूं की खोली हैं ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस वक्त खुले बाजार में गेहूं का भाव क्या है ?

श्री बनारसी दास--इस समय करीब-करीब १९ रु० से लेकर २० रु० तक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अपने इस बयान को और अधिक स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि यदि बाहर से गेहूं का आयात न भी होता तो भी दाम बढ़ाने ही पड़ते ?

श्री बनारसी दास--यह तो स्पष्ट है और आपने यह वक्तव्य पढ़ा ही होगा। यह जो उत्तर अभी दिया गया है उसका मतलब यह है कि जो आयात का गेहूं है वह साढ़े १८ रुपये मन जो हमको मिलता था उसकी कीमत आकर के १० रुपये से भी अधिक पड़ती है। वह गेहूं जो १६ रुपये मन में प्रोक्योर किया गया उस पर जो चाजज होते हैं वह दो रुपये मन से ज्यादा होती है और चूंकि कंज्यूमर्स को १६ रुपये मन में गेहूं मिलता था इसलिये प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को लगभग सवा दो रुपये मन की हानि होती थी। इसलिये इम्पोर्टेड

व्हीट न भी मंगाते तो भी अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ज्यादा नुकसान बरदाश्त करना सरकार की शक्ति के बाहर था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उन्होंने क्या विदेशी गेहूं के भाव में उतनी ही वृद्धि की है जितनी कि और राज्य सरकारों ने ?

श्री बनारसी दास--यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि और राज्यों में जैसे बम्बई, दिल्ली आदि में यह वृद्धि काफी की गयी थी और हमारे यहां अब भी १७ रुपये कुछ आने का भाव है और अब भी राज्य सरकार को करीब ३ रुपये कुछ आने मन का नुकसान रहता है।

श्री शिवकुमार शर्मा--जब १६ नवम्बर को इतना काफी स्टाक गेहूं का राज्य सरकार के पास था तो फिर कीमत क्यों बढ़ाई गई ?

श्री बनारसी दास--यह कहना तो इस समय कठिन है जब तक आप इसकी सूचना न दें कि कितना स्टाक में गेहूं बाकी था।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल किस भाव से सरकार ने गेहूं खरीदा है और इस वक्त खरीद रही है ?

श्री बनारसी दास--पहले साल और इस साल के भाव में कोई अन्तर नहीं है और प्रोक्योरमेंट इस साल भी उसी भाव पर किया गया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की मेहरबानी फरमायेंगे कि जब से गेहूं सवा दो सेर का कर दिया गया है तब से कूड़ा-करकट वगैरह निकालने के बाद खरीदारों को गेहूं दो सेर से कम में पड़ता है, जो नाकाबिले बरदाश्त है ?

श्री बनारसी दास--यह जो गेहूं दिया जाता है उसमें दो परसेंट तक अधिक से अधिक डर्ट आदि होना चाहिये। यदि इसके अतिरिक्त होता है तो वह नियम के खिलाफ है और इसी के लिये ईशू गोडाउन्स कमेटीज बनी हुई हैं जिसमें माननीय सदस्य भी हैं। उनका कर्त्तव्य है कि वह देखें कि कंज्यूमर्स को जितना अनाज मिले उससे धूल या कूड़ा करकट जितना निश्चित है उससे ज्यादा न हो।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--जिलों के अन्दर दो ईशू गोडाउन्स कमेटीज हैं क्या उनका तजुर्बा गवर्नमेंट ने किया है कि उन्होंने पब्लिक की आसानी के लिये कोई अच्छा कदम उठाया है ?

श्री बनारसी दास--बहरहाल, यह तो माननीय सदस्य ही बेहतर जानते हैं। गोडाउन्स ईशू कमेटीज में लेजिस्लेचर्स के सदस्य भी हैं। और प्रमुख नागरिक भी हैं और उनकी नियुक्ति प्रत्येक महीने होती है और उन्हीं के सुझाव पर वहां की वर्किंग में सुधार होता है। वैसे जो आज्ञा है वह तो यही है कि जो गेहूं दिया जाय वह स्टैंडर्ड गेहूं दिया जाय और उसमें कूड़ा-करकट न हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १६ नवम्बर से विदेशी गेहूं की कीमत बढ़ाने के बाद राज्य सरकार को कुल कितनी बचत होगी ?

श्री बनारसी दास--यह तो करीब एक रुपये कुछ आने मन की वृद्धि की गई है लेकिन फिर भी सरकार को हानि होगी। यह तो मैंने अर्ज किया कि यह साल के अन्त में बतलाया जा सकेगा कि साल भर के अन्दर कितना कंजप्शन होगा उस पर सरकार को १ रुपये कुछ आने मन का लाभ होगा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार बाहर से कितना गेहूं लेती है और कितना यहां से खरीदती है ?

श्री बनारसी दास--पिछले साल जो अनाज बाहर से मंगाया गया था वह एक लाख टन से ऊपर था और इस साल के बारे में तो अभी कहना कठिन है कि कितना बाहर से आया है या बाहर से मंगाया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो गोडाउन कमेटी माननीय मंत्री ने बताई है, प्रत्येक जिले में है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, जहां पर राशनिंग है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार पहले भाव के रेट पर गेहूं बेचने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--यह तो प्रश्न ही नहीं उठता, अब, जब कि १६ नवम्बर को नई नीति की घोषणा की गयी है, जब तक कि परिस्थितियां नहीं बदलतीं।

---

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

†खंड २ (क्रमागत)

†अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहेगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो संशोधन मैंने सदन में रखा उसका बड़ा महत्व है, क्यों कि आजकल सरकार की नीति कुछ ऐसी हो गयी है कि यहां पर मजदूरों को दो विभागों में बांटा है। पहला विभाग इंडस्ट्रियल और दूसरा नान इंडस्ट्रियल । आज इन दो विभागों में मजदूरों को बांट कर सरकार भारतीय संविधान की अवहेलना कर रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जिस तरीके से सूती मिलों या इंडस्ट्रियल मजदूरों के संबंध में श्रम-हितकारी केन्द्र खोल कर, उनके बच्चों को दूध, उनके लिये स्वच्छ मकान, मनोरंजन के सामान, पार्क आदि सामग्री उनके लिये एकत्रित करती है परन्तु यदि दूसरी ओर जाइये तो जो मजदूर इंडस्ट्री में नहीं है, गैर इंडस्ट्रियल हैं उनकी हालत क्या है ? उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। आज इस संशोधन से यह ध्वनि निकलती है, जितनी म्युनिसिपैलिटीज हमारे सूबे में हैं सरकार उनको ग्रांट देती है और उसके बल पर वह चलती है, फलती है, फूलती है, जनता के हित के लिये कार्य करती है, परन्तु जहां तक मजदूरों का संबंध है, मेहतरों का संबंध है, उनके हित के लिये कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड कोई कदम नहीं उठाता। आज सरकारी नीति के अनुसार तो सौतेली मां का सा बर्ताव होता है कि एक बच्चे का कष्ट दूर करती है दूसरे का नहीं करती।

आज यही देख लीजिए। शुगर मिल के मजदूरों की हालत देखिए, वहां का हवाला मैं देना चाहता हूं। जब वहां के मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई तो आवाज के साथ वहां पर उनके लिये ४५ लाख रुपया इकट्ठा किया गया और वहां के मजदूरों को फ्री मकान दिये जायेंगे। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की जो करीब-करीब ५४ लाख के करीब आमदनी है, परन्तु आज तक उसने मेहतरों के लिये कोई आदर्श कदम नहीं उठाया, उनके मकानों को नहीं बनाया, उनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया, उनके पढ़ने के लिये कोई पाठशाला नहीं खोली। तो मुझे आप से कहना है कि देश में एक तरफ तो खाद्य की जरूरत है, अनाज की कमी है, दूसरी तरफ कम्पोस्ट बनाने की स्कीम जो सामने है उसको देखा जाय तो देश के अन्दर

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†९ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

आज हमारे प्रधान मंत्री, हमारे राज्य के और लोग बाहर के देशों के सामने मुंह फैला कर ताकते ह कि हमें अनाज दें। यह समस्या हमारे सामने है।

देश की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है परन्तु हमारे यहां अन्न की कमी की पूर्ति नहीं हो रही है क्योंकि हमें अन्न के लिये, कम्पोस्ट चाहियें, खाद चाहिये और उस खाद की कमी हम लोग महसूस करते हैं। तो आज म्युनिसिपैलिटियों में सैकड़ों जगह खाद बनाई जाती है और उनकी बिक्री भी होती है। तो आज कल जब देश में अन्न की कमी है और दूसरी तरफ हमें मेहतरों के जीवन का स्तर बढ़ाना है उनके रहन-सहन में सुधार करना है तो मानवता के नाम पर आज हमारा फर्ज है कि हम वह नीति, जिसमें संविधान की अवहेलना की गयी है उस नीति को छोड़ें। आज इसी का नतीजा है कि आज हमारा समाज, हमारा वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है। उसको उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी, जो उनके जीवन का लक्ष्य रहा है-- मजदूरों को दलितों को ऊपर उठाने का, और मंत्रिपद से पहले उन्होंने इसके लिये जो जो कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके हरिजन समुदाय का यह जो पिछड़ा हुआ अंग है उसको आगे बढ़ायेंगे। आज दुनियां के सामने हम सिर नहीं उठा सकते हैं। आज डा० मलान जैसा तानाशाह भी हमसे कहता है कि हिन्दुस्तान को देखो वहां क्या हो रहा है तो यही चीज है जो हमें मजबूर करती है कि हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो आज उस चीज को हमें खत्म करना है। आज देश के अन्दर आप जाइये, गरीबों की हालत क्या है, मेहतरों का मुहल्ला ले लीजिए। जहां शहर के दूसरे मुहल्लों में रोशनी का प्रबन्ध है, पानी का प्रबन्ध है और सब तरह के प्रबन्ध हैं वहां उनके मुहल्लों में, उनके दरवाजे पर दो बाल्टी मैला रखा हुआ मिलेगा, उनके लिये किसी तरह का इंतजाम नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके वेलफेयर के लिय माननीय मंत्री जी इसे मानेंगे और उनका सुधार करेंगे। उनके बच्चों का सुधार करेंगे, उनके बच्चों के लिये दूध और दवा-दारू आदि का इंतजाम करेंगे और इस तरह से उनके मोहल्ले को एक ऊंचे स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी स्वीकार करके सैकड़ों मेहतर भाइयों का हित करेंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, यह तरमीम जो आनरेबिल मेम्बर ने पेश की है गालिबन दफा २ में पेश की है और हमारे सामने जो बिल अमेंडमेंट के लिये हैं उसकी इब्तदा होती है उसकी सुर्खी है सेक्शन ८ आफ दी यू० पी० ऐक्ट। तो दफा ८ से हमारे सामने इब्तदा होती है अगर यह फर्ज भी कर लिया जाय तो यह बिल जो हमारी मेज पर रखा हुआ है इससे कहीं भी आप देख लीजिए कोई दफा ऐसी नजर नहीं आती और यह जो तरमीम है इसके माने यह हैं कि इस बिल का स्कोप बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में क्या जनाब वाला इजाजत देंगे कि जो दफा अमेंडमेंट के लिये पेश नहीं है उसमें अमेंडमेंट किया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह खंड २ तो पेश समझा जायगा और वह पेश हो चुका है। उसके बाद ये सब अमेंडमेंट आ रहे हैं। इसलिये इस वक्त अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तो संशोधित खंड (२) के ऊपर वोट लिया जायगा। इस तरह का तरीका है। इसमें कुछ अवैध नहीं है।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, यह जो गंगा प्रसाद जी ने अमेंडमेंट रखा है उसके संबंध में मुझे केवल यही निवेदन करना है कि यह दो चीजें अलग-अलग रखनी चाहिये। बाल्मीकियों को जिनको आम भाषा में भंगी कहते हैं, जो घरों को साफ करते हैं और दूसरी तरह की सफाई वगैरह करते हैं, उनकी भलाई का और जो आमदनी कम्पोस्ट बनाने से होगी उसको यहां पर खर्च किया जाय। इन दोनों चीजों को अलग रखा जाय, यह अच्छा होगा।

मैं इस बात में अपने आपको किसी से कम नहीं समझता कि जिस अवस्था में इस समय बाल्मीकि ह, वे नहीं रहने चाहिये उनकी उन्नति होनी चाहिये। उनकी बहुत सी समस्यायें

[श्री मोहनलाल गौतम]

हैं, मकानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, आर्थिक समस्या है और हम अपने सबसे से पिछड़े हुये समाज के अंग को जितना उठा सकें उतना उठायें, उसके लिए दूसरे रास्ते सोचें लेकिन कम्पोस्ट के सम्बन्ध में मुझे कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं। कल इस भवन का काफ़ी समय कई माननीय सदस्यों ने इसलिये लिया कि वे कम्पोस्ट की अहमियत को और उसके महत्व को बतायें और यह ऐसी चीज है जिसके लिये सदन के बहुत से सदस्यगण यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम्पोस्ट बने। म्युनिसिपैलिटियों से अगर यह कह दिया जाय कि जितनी आमदनी इससे होगी वह सब तुम्हारे काम नहीं आयेगी बल्कि तुमको बाल्मीकियों के लिये उसको खर्च करना पड़ेगा तो जैसा कि मनुष्य स्वभाव है कि कुछ म्युनिसिपैलिटियां उत्साहपूर्वक इस कार्य को करेंगी ताकि इससे आमदनी हो और बाल्मीकियों की भलाई हो लेकिन ऐसी भी म्युनिसिपैलिटियां हो सकती हैं कि जो शुरू में जितना खर्चा वे कर रही हैं, जिसके लिये जरूरती खर्च करने की, उसको वे निकालें और तमाम परेशानियां उठायें, उसका संगठन करें, कम्पोस्ट बनायें और अन्त में यह देखें कि उसकी आमदनी उनको नहीं मिलती है बल्कि बाल्मीकियों के सुधार में चली जाती है, उससे म्युनिसिपैलिटियां कितने हद तक उसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगी यह एक प्रश्न बड़ा विवादास्पद हो जायगा। इसलिये इन दोनों चीजों को अलग रखा जाय।

बाल्मीकियों की भलाई के लिये जितना हो सकता है किया जा रहा है और यह भी मैं नहीं कह सकता कि जितना हुआ है वह काफ़ी है। उससे कहीं अधिक होना चाहिये। एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से ज्ञान होगा कि उस कमेटी की सिफारिशों में से बहुत सी चीजें पूरी हुईं। इस तरह से जितनी भी कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिये हम कोशिश करते हैं लेकिन इस आमदनी को अगर ईयर मार्क कर दिया गया तो मुझे खतरा है कि कम्पोस्ट बनाने की बात तेजी से नहीं चल सकेगी। उसमें रुकावट पड़ेगी और बाल्मीकियों को उससे अधिक फायदा नहीं होगा। इसलिये इसको इस जगह रखना उचित नहीं होगा। हम बाल्मीकियों के सुधार और उद्धार के साथ पूरी तरह सहमत हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह अमेंडमेंट वापस लिया जाय और इसको किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर रखा जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री गंगा प्रसाद जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस सदन के समक्ष इस अमेंडिंग बिल को ला करके माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी इस प्रान्त का उपकार किया है। यह प्रश्न जो एक बर्निंग टापिक है हर एक म्युनिसिपैलिटी का और खुसूसन जिस म्युनिसिपैलिटी से मैं आता हूं वहां पर हमारे पिछड़े हुए मेहतर भाइयों का प्रश्न उपस्थित है और आये दिन यह प्रश्न पेश होता रहता है कि अमुक स्थान पर सफाई हुई अमुक स्थान पर सफाई नहीं हुई, तो जब सुधार के लिये यह बिल लाया गया तो यह प्रश्न खाद का माननीय मंत्री महोदय के सामने नहीं रहा होगा यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसी के समान एक और भी अमेंडमेंट आया था और उस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय ने कृपापूर्वक यह बतलाया कि हम इस से सहमत हैं कि जो पिछड़े हुए हैं उनको साथ लाना है, उनकी आर्थिक अवस्था सुधारना है लेकिन यह उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह कौन सा उपयुक्त स्थान होगा। मेरी समझ में तो इससे बढ़ कर के अच्छा उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता है। जब कि हम वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि म्यूनिसिपैलिटियों और लोकल बाडीज का चुनाव हो और चुनाव ही के वास्ते यह अमेंडिंग बिल लाया गया है, खास मक़सद मन्त्री जी महोदय, इस सदन के सामने आपने बतलाया है कि इसी वास्ते हम यह बिल ला रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो जब चुनाव हो, तो चुनाव के सिलसिले में बहुत से ऐसे समुदाय होंगे, ऐसे वर्ग होंगे कि जिनकी सहानुभूति को हमको खींचना है, तो ऐसे वर्ग जो सदा से हमारी सेवा करते आये और जैसा कि पहले भी व्याख्यान हमारे माननीय सदस्यगण दे चुके हैं कि यह प्रश्न मेहतर भाइयों का है। वह चार २ आने पर अपनी रोजी कमाते हैं और जब कि

यह खाद का प्रश्न हमारे सामने आया कि हमको यहां की उत्पत्ति, यहां के उत्पादन को आगे बढ़ाना है तो जब यह चीज आई तो इसके इन्टरडिपेन्डेन्ट चीजें भी हो सकती हैं। आखिरकार इस खाद को कौन बनाएगा ? कौन लाता है, किसका स्वामित्व हो सकता है, अधिपत्य किसका हो सकता है ? इस को थोड़े में कह दिया जाय।

मेरे एक पुराने मित्र श्री राधा मोहन जी ने एक कस्टमरी चीज, किसका मालिकाना हक़ होना चाहिये या नहीं होना चाहिये उन्होंने इसका जिक्र किया। लेकिन एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि प्राइवेट हाउसेज में जो मेहतर कमाते हैं। कुंजड़ों के हाथ दरिया के किनारे ले जाकर बेच देते हैं, जहां खरबूजे होते हैं और तरबूज होते हैं। वे वहां पर दो, चार, दस रुपये में बेच देते हैं और उससे कुछ पैसे ले आते हैं और उससे अपना उदर पोषण करते हैं। म्युनिसिपैलिटी के सामने एक प्रश्न सफाई का आता है। अगर सफाई नहीं हुई तो नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती है, संक्रामक रोग फैल सकते हैं, तो उनको हम क्यों नाराज करें जबकि थोड़ा ही प्रश्न हमारे सामने है। पुराने जमाने में भी वह अपने मैले को बेचते रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी उसको ले लेवे, अगर खरीद कर ले लेवे, और कुछ पैसे उन्हें मिल जावें और उनके वेलफेयर में लग जायं तो मैं कोई हानि नहीं समझता। इसलिये यहां जो सुधार का प्रस्ताव आया है वह बहुत ही निर्दोष है। माननीय मन्त्री जी अपने जीवन काल से जैसा मेरे मित्र प्रस्तावक ने कहा सर्वेण्टस् आफ प्यूपिल्स सोसाइटी में काम करते रहे हैं, इस तबक़े के बहुत नजदीक़ रहे हैं। हमको और इस सरकार को इस तबके की सहानुभूति खींचनी चाहिये। वह लोग जिनकी कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि दस, पचास रुपये वे पाते नहीं हैं। यह भी शिकायत है कि म्युनिसिपैलिटी से चार-चार महीने और छः-छः महीने उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है। कहीं सत्याग्रह का सवाल आता है। जब उनके उद्धार का प्रश्न आता है तो अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आप के समक्ष यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह टाल देते हैं कि यह उपयुक्त स्थान नहीं है। आखिरकार वह कौनसा स्थान है, उनको स्पष्ट करना चाहिये कि अमुक स्थान है और इतना अर्सा लगेगा। जबकि सूबे में कौतूहल है, द्वन्द्व युद्ध चला रहा है, वह सफाई करने वालों के विरोध में आते हैं जो कि मैला बेचकर अपनी गुजर करते हैं। वह कौनसा जमाना आयेगा यानी म्युनिसिपैलिटी एलेक्शन के वास्ते वर्षहा वर्ष गुजर गये और जब आज उनको ४ पैसे पाने का प्रश्न आता है तो यह कह दिया जाता है कि वह दूसरा स्थान होगा। वह कौनसा स्थान होगा ? इसको स्पष्ट करें। अगर ४-५ रोज के बाद वह स्थान आने वाला है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। कहा जाता है कि यह कम्यूनिटी का होना चाहिये। तब तो किसानों के लिये भी कह देना चाहिये कि किसान जो अलग-अलग अपने अधिकार मांगते हैं और जिस तबक़े के वास्ते आप अपनी आवाज बुलन्द करते हैं उसके लिये भी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो मेरी समझ में यह बात तो आती नहीं है। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कहीं न कहीं तो इस बात का स्थान होना ही चाहिये। अब यह बात कि यह स्थान नहीं आता है तो सरकार के पास तो तमाम ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं और इसमें लाखहा लाख रुपया लगाया जाता है तो मुझसे अगर सवाल किया जाता है कि तुम बताओ कि वह कौन सा उपयुक्त स्थान होगा जहां इसको पेव कर दिया जाय तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के पास क़ाबिल से क़ाबिल लोग हैं वे उपयुक्त स्थान को ढूंढ लें और कोई ऐसा स्थान निकालें कि उनका उदर पोषण हो सके और जो कुछ आमदनी उससे हो वह उनके वेलफेयर में लगायी जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगाप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी प्रशासन मंत्री जी ने एक दलील यह दी कि अगर्चे यह चीज मेहतरों के लिये की जायगी तो जो कम्पोस्ट बनाने का तरीका है या जो कम्पोस्ट खाद बनेगी वह ठीक रूप से नहीं हो पायेगी। यह दलील तो मेरी समझ में नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि कम्पोस्ट खाद जो कि म्युनिसिपैलिटियों में तैयार होगी मैले से या कूड़े से उसका बनाने वाला मेहतर ही होगा, दूसरा कोई भी उसमें हाथ नहीं लगायेगा और मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से पूरा हाउस सहमत होगा। अगर उनको यह पता चले कि जो काम हम करने जा रहे हैं उससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है तो

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

वह मेहनत से और अच्छे तरीक़े से उसमें काम करेंगे ताकि कम्पोस्ट खाद अच्छी तरह से बन सके और उससे ज्यादा से ज्यदा पैसा निकल सके। इससे उनको अपना काम करने में प्रेरणा मिलेगी।

दूसरी चीज यह होगी कि जो आज कई म्युनिसिपैलिटियों में इस बात को ले कर झगड़ा चल रहा है कि यह खाद म्युनिसिपैलिटी की है या मेहतरों की है, अगर्चे इस संशोधन को हम मान लेते हैं तो काफ़ी हद तक वह झगड़ा भी खत्म हो जायगा। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसे और मजदूरों को इस क़िस्म की सुविधायें मिली हैं मेहतरों को भी मिलना चाहिये अभी हमारे एक मित्र ने चीनी के मजदूरों के बारे में बातें बताई कि चीनी मिल के मजदूरों के लिये घरों को बनवाने की एक व्यवस्था की गयी है और वह व्यवस्था इस तरह से की गयी है कि चीनी मिलों में जितना शीरा निकलता है उसके बेचने के बाद जो क़ीमत उससे निकलती है वह मजदूरों के घर बनवाने में खर्च की जाय। अगर्चे हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा कल्याण होगा। आप मेहतरों की हालत देखिये। किसी भी टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी में जाइये तो आप देखेंगे कि जो उनके रहने की बस्तियां हैं वे ऐसी खराब हैं कि उनमें आदमियों के रहने की गुंजायश नहीं मालूम होती, कोई भला आदमी तो कम से कम उन बस्तियों में रह नहीं सकता। अगर हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से कम्पलशन डालेंगे म्युनिसिपैलिटियों के ऊपर तो वह उधर ध्यान देंगी। बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों ने उधर ध्यान दिया है, इसमें कोई शुबहा नहीं लेकिन ज्यादातर म्युनिसिपैलिटियों का उधर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है।

जो कुछ मैं आपके सामने कह रहा हूं प्रशासन मंत्री जी तो शायद यह समझें कि यह भी कोई राजनैतिक दांव--पेंच है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ इस हाउस में कहते हैं कोई राजनैतिक दांव--पेंच से नहीं कहते हैं। इस दांव--पेंच के खिलाड़ी तो प्रशासन मंत्री ही हो सकते हैं, सूबे भर के लोग जानते हैं कि प्रशासन मंत्री कैसे कैसे दांव--पेंच करते हैं। उनके सामने हम दांव--पेंच करें यह तो एक सूरज को दीपक दिखाना होगा और अगर हममें कोई दांव--पेंच आ गया हो या कोई चीज भूल से हो जाती हो, हालांकि हम उससे नफ़रत करते हैं, तो वह तो आपकी ही सोहबत का नतीजा हो सकता है क्योंकि आप हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जो दांव--पेंच आप खेल सकते हैं वह हम नहीं खेल सकते।

श्री अध्यक्ष --माननीय सदस्य व्यक्तिगत बातों का यहां जिक्र न करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--बहुत अच्छा। इन शब्दों के साथ मैं श्री गंगा प्रसाद जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगा प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। यह बहुत सीधी सी बात है और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक का खंड २ है, जो संशोधित किया जा रहा है। उसमें यह लिखा है कि :-

'Making arrangements for preparation of compost manure from night-soil and rubbish."

[विष्टा तथा गंदगी से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये प्रबन्ध करना।]

इसी के अंतर्गत यह संशोधन उपस्थित किया गया है। इसमें मेरी समझ में कोई अड़चन मालूम नहीं होती है जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय को एतराज है। उनका यह कहना कि उपयुक्त स्थान नहीं है तो मैं इसी को उपयुक्त स्थान समझता हूं क्योंकि जो प्रावीजन होगा वह संशोधित होगा :

"provided that the income from the above source shall be spent on welfare of sweepers only."

(परन्तु उपयुक्त आधार से जो आय होगी वह केवल मेहतरों की भलाई के लिये खर्च की जायगी)

तो इसके लिये जो एतराज किया गया है वह मेरी अल्प बुद्धि में उचित नहीं मालूम होता है। इसके लिये रीजिनिंग क्या है, क्या कारण है ? इसके संबंध में मैं दो बातें माननीय मंत्री महोदय के समक्ष श्रीमान् के द्वारा उपस्थित करना चाहता हूं।

हम सब इसको जानते हैं कि मेहतर लोगों को जो हम लोग वेतन देते हैं वह इतना कम है कि उनका उससे गुजारा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट तौर पर उनको ४–६ आना माहवार मजदूरी मिलती है तो वह तो बहुत ही कम है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी आमदनी होती है। कल जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका विरोध मंत्री महोदय ने किया था और कहा था कि यह म्युनिसिपैलिटी की जायदाद होती है। इसमें कुछ असलियत है भी और नहीं भी है। लेकिन इस प्रश्न पर कि इससे जो आमदनी हो वह स्वीपर्स के ही वेलफेयर पर खर्च की जाय, मैं समझता हूं कि इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि यह सदन भी मानता है और पब्लिक प्लेट फार्म पर भी कहा गया है और हम लोग कहते हैं कि अपने मजदूरों को भी जिनको हम हलवाहा कहते हैं अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा देने के लिये हमें तैयार होना चाहिये बल्कि अपनी आमदनी में से उसका एक 'पोरशन' देने के लिये तुरंत तैयार हो जाना चाहिये। क्या यह उचित नहीं है कि जब हम मेहतरों को एक थोड़ी सी रक़म वेतन के रूप में दे रहे हैं तो उनके वेलफेयर के लिये कुछ रुपया जो हमें उन्हीं के श्रम से प्राप्त हो, खर्च करें। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा, न्याय होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर उनको सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार करना चाहिये और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। इसके स्वीकार करने में कोई हानि म्युनिसिपैलिटी की नहीं होती है बल्कि एक समुदाय को, एक वर्ग को, जो कि एक महान कार्य करता है उसके लिये थोड़ा सा हम उपयोगी कार्य करेंगे। कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है जहां पर मेहतरों के मकान बुरी दशा में न हों तो उनके लिये मकान बनवा देना, कुआं बनावा देना, उनके लड़कों के लिये शिक्षा का इंतजाम कर देना इत्यादि कामों म हम समझते हैं कि रुपया खर्च करना सर्वथा उचित है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो आपत्ति माननीय मंत्री महोदय को है उस पर वह पुनः विचार करेंगे और इसको वह स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी आपके द्वारा प्रार्थना है।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गंगा प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। हमारे मेहतर भाइयों की एक ऐसी समस्या है जो सुलझाते हुए भी नहीं सुलझ रही है। उनकी ग़रीबी के कारण उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। जब कभी उनके मामलात बोर्डों के अन्दर आते हैं तो बहुत से सदस्य इस तरह की बातें करते हैं जिससे वे रिजोल्यूशन भी पास नहीं होते। ८–१० साल का जिक्र है, मैं हरदोई गया था। म कुछ मेहतरों के घर में गया तो मुझे मालूम हुआ ७ और ९ रुपये उनकी तनख्वाहें हैं और ढ़ाई रुपया महीना भिश्ती उनसे पानी भरने का ले लेता है। मैंने उनसे पूछा कि भिश्ती क्यों पानी भरता है, तुम क्यों नहीं भरते तो उन्होंने कहा कि कोई कुएं पर हमको पानी नहीं भरने देता इसलिये मजबूर हैं। मैं चेयरमैन साहब से मिला और कहा कि आपको शर्म आनी चाहिये। आपकी म्युनिसिपैलिटी में नल नहीं है तो उनको कुओं से पानी तो भरने दीजिये। ऐसी बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में बतला सकता हूं जिनकी यही हालत है। इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी ने इस क़िस्म के बहुत काम किये हैं। सन् २८ में मैंने वहां की म्युनिसिपैलिटी में एक रिजोल्यूशन रक्खा था कि मेहतरानी बहिनों को जब उनके बच्चा पैदा हो तो एक महीने की छुट्टी मय तनख्वाह के दी जाय। बोर्ड ने खुशी से मंजूर किया और आज तक वह चीज है। चेयरमैन साहब मौजूद हैं, मुझे दुख है कि अब भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, वे उनको सुन लें। ५० हजार रुपया उनके मकान बनाने के लिये रक्खा गया था और मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मेहरबानी से मिला था। वे मकान आज तक नहीं बनाये गये। हर साल बजट में रुपया रक्खा जाता है और वह लैप्स (समाप्त) हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से काम हम लोग करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते।

[श्री श्याम लाल]

मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो मेहतर लोग घरों में से मैला उठाते हैं उनपर किसी का हक न होना चाहिये, म्युनिसिपैलिटीज को चाहिये कि वह मेहतरों को उसका कम्पोस्ट बनाने के लिये कोई जगह बता दें और वे खुद उसकी खाद बनवा लें। म्युनिसिपैलिटीज खुद जो मैला उठवाती है वह उनकी जायदाद है और उसका वे जो चाहें करें। यह तो मैं मान सकता हूं लेकिन अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कैसे उसमें से हिस्सा दे दें। मंत्री जी उस वक्त बोर्ड के मेम्बर थे और माननीय कैलास नाथ काटजू साहब चेयरमैन थे। मैंने एक रिजोल्यूशन रक्खा कि जहां सड़क वगैरह बनाने के लिये जितना बजट रक्खा जाता है उसका ५ फीसदी सेनिटरी क्वार्टर्स के लिये अलग रख दिया जाय और बड़ी आसानी से उतना बजट वह निकाल सकते थे और वह बड़ी आसानी से निकाले गये, क्योंकि यह चेयरमैन के डिस्क्रीशन पर था। बहुत से गन्दे मोहल्ले उससे सुधर गये हैं। इसी तरह से मेहतरों के मुहल्लों के लिये कुछ रुपया रेकरिंग ग्रांट म्युनिसिपल बजट में रख दिया जाय तो उनके मुहल्ले भी सुधर सकते हैं।

इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी में काफी सुधार हो गया है लेकिन अब भी बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज सब माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं वे सब जानते हैं कि मेहतरों की आज क्या समस्या है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने संशोधनों में यह संशोधन अवश्य ले लें कि म्युनिसिपैलिटीज के लिये कुछ परसेंटेज उनके फायदे के लिये वह अपने बजट में से रख दें, जिससे उनकी समस्याओं के हल करने में उनको कुछ न कुछ फायदा पहुंच सकेगा क्यों कि यह जो संशोधन है उसके मानने में आपको दिक्कत हो रही है हालांकि इसके प्रिंसिपल को आपने मान लिया है। आप कहते हैं कि हम कहीं और रक्खें तो मेरा ख्याल है कि जब आपकी गाड़ी चल रही है तो इसे मान लेते तो अच्छा है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--जनाब स्पीकर साहब, जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इसके अन्दर जो जज्बा मेहतरों की मदद का और उनकी हालत दुरुस्त करने का है हम सब उससे मुत्तफिक हैं। एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस तरमीम की रू से कम्पोस्ट पैदा करना है तो खुदबखुद उसके मुकाम का सवाल पैदा होता है। उस मुकाम पर किसकी मिल्कियत हो, यह भी एक झगड़ा पैदा होता है। इस तरमीम के अन्दर दो सवाल पैदा होते हैं। उसकी आमदनी किसको दी जाय और अगर कम्पोस्ट से आमदनी है तो उसको कहां पर खर्च किया जाय और वह मुकाम जो दूसरे का है उससे जो मिल्कियत की आमदनी होती है वह कहां पर खर्च की जाय? आया उसको म्युनिसिपैलिटी ले या कि गवर्नमेंट ले। इसके मुताल्लिक कोई रोशनी नहीं डाली गयी है। मेरा ख्याल यह है कि यह दो दिक्कतें हैं जिसकी तरफ आनरेबिल मिनिस्टर ने तवज्जह की है और वह इस बात पर गौर करके फरमायेंगे कि इस वजह से इसको किस मुकाम पर रखा जाय। यह सवाल आपके सामने पेश है। इससे कोई ऐसी ज्यादा इनकम नहीं हो सकती है कि जिससे मजदूर भाइयों का पूरा मसला हल हो जाय।

जहां तक हमारे श्यामलाल जी ने कहा है कि उनकी हालत दुरुस्त करने के लिये आप कोई इजाफा उनकी तनख्वाह में कर दें लेकिन यह भी वाकया नहीं है कि किसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर आजकल की दुनियां में हमारी यू० पी० के अन्दर किसी मेहतर की तनख्वाह ८ या हो। कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है कि जिसकी तवज्जह इस तरफ हमारी गवर्नमेंट ने न दिलायी हो या उनकी हालत पहले के मुकाबले में मेहतर भाइयों की या जो पस्त तबका है उनकी पहले के मुकाबिले में तिगुना, चौगुना न हो गयी हो, लेकिन अब भी उनकी हालत को दुरुस्त करने की जरूरत है। उनकी हालत को दुरुस्त करने के लिये दूसरी सूरतें हो सकती हैं। इसमें झगड़ा पड़ जायगा। उस वक्त मिल्कियत का सवाल भी सामने आयेगा। जमींदारी अबालिशन हो चुकी है। आप कोई भी जगह तलाश करेंगे तो उस पर म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट की मिल्कियत का सवाल जरूर आयेगा। मैं यह समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर

की राय यही है कि इस जगह पर इस तरमीम को रखने का मौका नहीं है। जहां तक इन जज्बात का ताल्लुक है वह किसी न किसी अल्फाज में इसके अन्दर आ सकता है जिससे उसकी ताईद हो सके और उससे सही तौर पर मेहतर भाई अपना फायदा उठा सकें। मैं इससे ज्यादा अर्ज करना इस तरमीम पर मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस तरमीम की ताईद फरमाई है वह इस पर गौर फरमायें वे इन दोनों दिक्कतों को अपने सामने रखकर गौर करके बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने की तकलीफ गवारा करें।

श्री महोलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगा प्रसाद जी के संशोधन के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन अछूत भाई ने सामने रखा है। उनकी स्थिति कैसी है इस पर विशेषरूप से विचार होना चाहिये यह बात निर्विवाद है। इसीलिये हमारे पूज्य बापू ने जहां देश के लिय और कार्यों को आवश्यक समझा वहां हमारा कर्त्तव्य यह भी बतलाया कि यदि हमको देश के प्रति कुछ करना है तो हरिजनोद्धार आवश्यक है। वहां उन्होंने अपने जीवन का एक मुख्य कार्य इस हरिजन समुदाय की उन्नति के लिये भी रखा। हमारे मेहतर भाई उस हरिजन समुदाय के एक विशेष अंग हैं जिनकी उन्नति करना हमारा तथा उन्नतिशील व प्रगतिशील नेताओं का कर्त्तव्य है। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने में हमारे माननीय मंत्री महोदय को कोई भी दिक्कत या रुकावट कैसे हो सकती है। आज म्युनिसिपल बोर्डों और मेहतर भाइयों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको माननीय मंत्री महोदय ने भी कल स्वीकार किया था।

मैं जिला मुरादाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में जानता हूं कि लगातार कई वर्षों से चन्दौसी म्युनिसिपल बोर्ड, अमरोहा म्युनिसिपल बोर्ड और मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड में वहां के मेहतरों का लगातार झगड़ा चल रहा है और यह मामला तै होने में नहीं आ रहा है कि कम्पोस्ट से जो आमदनी हो वह आया म्युनिसिपल बोर्डों को मिले या मेहतर भाइयों को मिले। इस सिलसिले में मुरादाबाद के मेहतरों से सहानुभूति रखने वाले प्रान्त के मेहतर कार्यकर्त्ता और दूसरे लोग जो उनसे हमदर्दी रखते हैं कई बार माननीय मंत्री महोदय से मिल भी चुके हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो म्युनिसिपल बोर्डों और उनके कर्मचारी मेहतरों के बीच में एक विशेष महत्व रखता है। इसी प्रश्न को लेकर हमारे प्रदेश में, जैसा कि मैंने कहा मुरादाबाद के संबंध में तथा दूसरी जगहों में भी संघर्ष चल रहे हैं। अगर हम इस प्रश्न को हल नहीं करते हैं जो कि लगातार कई वर्षों से हमारे प्रान्त में चल रहा है और जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से म्युनिसिपल बोर्डों के निवासियों को हफ्तों और महीनों परेशानियां और दिक्कतें उठानी पड़ी हैं तो संभव है कि यह महत्वपूर्ण रूप धारण कर जाय।

मैं अमरोहा म्युनिसिपल बोर्ड के विषय में जानता हूं कि १६ दिन बाद वहां की सफाई हुई और १६ दिन तक लगातार वहां गन्दगी रही। यह मसला जो संशोधन से संबंध रखता है वहां यह तै नहीं हो पाया कि आया खाद मेहतरों का हो या म्युनिसिपल बोर्डों का हो। म्युनिसिपल बोर्ड कहते हैं कि खाद हमको मिलना चाहिये और मेहतर कहते हैं कि वह हमारी प्रापर्टी है और वह हमेशा से तथा परम्परा से हमें मिलता रहा है और उस पर हमारा अधिकार है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर प्रान्त भर में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है और यदि इस समय बैठकर उस पर हम कोई निर्णय न करें जब कि हमें मौका मिला है तो मैं नहीं समझता कि वह कौन सा समय आवेगा कि जब हम मेहतरों के मसले को तै करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उस सुअवसर को अपने हाथ से न जाने दें और हमारे मेहतर भाइयों और म्युनिसिपल बोर्डों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका कोई उचित हल निकालें। यदि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी यह संभावना है कि इस प्रकार के संघर्ष फिर शुरू हों, मुझे तो यह कहते हुए अफसोस है कि मुमकिन है कि हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें और बढ़ें और उस समय हमारी सरकार

[श्री महो लाल]

को उसको हल करने के लिये कोई न कोई कदम अवश्य ही उठाना पड़ेगा। साथ ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं इतना कहना अनुपयुक्त न समझूंगा कि हमारे मेहतर भाई जिनको बापू के प्रोग्राम और अहिंसा में विश्वास है और पूर्ण विश्वास है और वह बापू के प्रोग्राम को सही तरीके से ले कर चल रहे हैं, अगर उनका असंतोष कहीं ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे तो भय है कि कहीं वह लोग ऐसे लोगों के हाथों न पड़ जावें जो कि हिंसा में विश्वास रखते हों और हमारे प्रान्त के सामने इस प्रकार का संकट न हो जाय कि यह पूरे प्रान्त की समस्या बन जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी मौका है कि वह इस संशोधन को मानकर इस मसले को हल करेंगे और जो झगड़े भविष्य में मेहतरों और म्युनिसिपल बोर्डों में होने वाले हैं उन्हें खत्म करेंगे। जैसे कि अभी माननीय सदस्यों की स्पीचें हुई, माननीय सदन की यह मांग है कि मंत्री जी को यह संशोधन अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बाबू लाल मीतल (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मित्र श्री गंगा प्रसाद जी ने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक हरिजन भाइयों के हित का सवाल है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इसके बारे में दो राय नहीं है। यह सारा सदन इस बात से सहमत है कि हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उनका अधिक से अधिक भला हो सके। यह भी हम सभी लोग जानते हैं कि इतना करने पर भी जितना उनके लिये होना चाहिये अब तक हम नहीं कर सके हैं। जितना करना चाहिये उतना कभी कर भी पावेंगे या नहीं, इसमें भी बहुत कुछ संदेह है। फिर सवाल यह आता है कि इतना मुंह से कहते हुए भी मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये क्यों खड़ा हुआ हूं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई हरिजनों का इस संशोधन से भला चाहते हैं वे मेरी राय में सचमुच स्थिति को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं जितनी उनको समझनी चाहिये। सबसे पहली बात तो यह है कि यह संशोधन किस जगह पर आया है। जो मूल प्रस्ताव आया है वह यह है कि जो कर्तव्य म्युनिसिपैलिटीज के ऐसे हैं जिनको वे करना चाहें तो कर सकती हैं, यह भी उनके सामने एक सुझाव रखा गया है कि कम्पोस्ट बनाने का काम भी वह यदि कर सकें तो कर लेना चाहिये। उस प्रस्ताव में यह संशोधन रखा गया है कि कम्पोस्ट बनाने का काम म्युनिसिपैलिटियों को अपने हाथ में उसी हालत में लेना चाहिये जब वे इस बात को मंजूर करें कि जो कुछ भी आमदनी कम्पोस्ट की होगी वह हरिजनों के काम में लगाई जायगी। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने इस संशोधन के पक्ष में अपने विचार प्रगट किये उन सबके विचारों से यह मालूम होता है कि उन्होंने यह मान लिया है कि आमदनी तो होगी ही अतः वह हरिजनों के भले के लिये लगाई जानी चाहिये।

पहली बात तो यह है कि वे यह विचार करें कि आमदनी का मतलब क्या है? अगर एक वर्ष में ५० हजार रुपये की कम्पोस्ट खाद बिकी और उसके बनाने में ३० या ४० हजार रुपया लगा तो कौन सी रकम वह इसमें लगवाना चाहते हैं? ५० हजार रुपये या खर्च काट कर जो कुछ बचे वह। वह यह सोच लें। आमदनी से क्या उनका मतलब मुनाफे से है! मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाई जो कम्पोस्ट के बारे में बोले हैं उन्होंने कम्पोस्ट का कार्य कहां देखा है। यह सही है कि हरिजनों में इस बात पर झगड़ा रहा है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो कुछ मैला होता है वह हमारी संपत्ति है। हम उसे जैसे चाहें उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जहां व्यक्तियों का हित सारे समाज के हित से टक्कर खाता है तो हमें यह देखना चाहिये कि हम व्यक्ति के हित को प्रधानता दें या समाज के हित को दें। यहां सवाल किसी शहर या व्यक्ति का नहीं है बल्कि यह सारे देश का सवाल है, सारे समाज का सवाल है और उसके ऊपर बहुत कुछ सोच समझ कर चलना है। आज हमारे सामने समस्या यह है कि इस बात का प्रयत्न किया जाय कि कंपोस्ट बने और वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में बने। हमें इस बात का ख्याल नहीं होना चाहिये कि मुनाफा हो या न हो। मुझे एक म्युनिसिपैलिटी का अनुभव है जिसने यह प्रयत्न किया कि देश में अच्छे से अच्छा कम्पोस्ट बने और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाया जाय तो सब

कुछ करने के बाद नतीजा यह हुआ कि जो कुछ खर्चा हुआ और जो कुछ आमदनी हुई उसका मुकाबिला करके देखा गया तो मालूम हुआ कि १०,२०, २५ हजार रुपये का उसमें नुकसान ही हुआ। अगर मुनाफ के ख्याल से कंपोस्ट बनाया जाय तो मेरा तो ख्याल यह है कि वह कंपोस्ट बन ही न पायेगा और यदि बना तो यह इतना महंगा पड़ेगा कि लोग उसको खरीद ही न पायेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को पूरे तौर पर विचार कर लिया जाय। केवल यह न सोचा जाय कि इससे कुछ शहरों के मेहतरों को फायदा हो जाता है या नहीं। क्यों कि वे लोग पास के खेतों पर मैला डाल आते हैं, जहां से उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन बरसात में जबकि काश्तकार को उसकी आवश्यकता नहीं होती तो यह सारा मैला नालियों में ही बहाया जाता है। सवाल यह है कि खाद उन उन सब ही लोगों को मिलना चाहिये जो शहरों के पास भी हैं और दूर भी, क्यों कि दूर के खेतों को हरिजन लोग मैले को नहीं ले जा सकते और पास के खेत वाले उनको बहुत थोड़ा पैसा देते हैं।

फिर किसानों को उनके खेत पर खाद मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वह बलगाड़ी ले कर आता है तो भी उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। इसलिये जरूरी है कि म्युनिसिपैलिटियां उसके लिये ठेले रक्खे और उनके द्वारा कम्पोस्ट उनके खेतों तक पहुंचायें। इस प्रकार से मैं जानता हूं कि म्युनिसिपैलिटियों को कोई मुनाफा नहीं होगा। अगर मुनाफे का ख्याल किया गया तो होगा यह कि हरिजन भाई तो समझेंगे जरूर इसमें कुछ बचत हुई है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी को उसमें नुकसान ही होगा। अब इस प्रकार की गलतफहमी में रोजाना झगड़े ही हुआ करेंगे। अतः मेरा ख्याल तो यह है कि हम इस बात का ख्याल ही न करें कि कम्पोस्ट में मुनाफा हो, अगर मुनाफे के ख्याल से बनाया गया तो उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। कम्पोस्ट बनाने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाया जाय और सस्ते से सस्ते दामों पर उसको काश्तकारों को दिया जा सके, अगर यह काम घाटा दे कर भी किया जा सके तो करना चाहिये। हमको यह सवाल सिद्धांत की दृष्टि से हल करना चाहिये। रहा सवाल हरिजनों की भलाई का, उसे हम और तरीकों से भी कर सकते हैं। आप उनका वेतन बढ़वायें और उनको दूसरी सुविधायें दिलायें, यह दूसरी बात है; लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप उनके सामने ऐसी समस्या न रखें, जिसमें सदा के लिये क्लेश पैदा हो जाय।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि यह तो मौलिक सिद्धांत की और हरिजनों के अधिकार की बात है, यह समझ में नहीं आता कि लोग इस बात का विरोध क्यों करते हैं? मैं इस सिद्धांत का विरोध नहीं कर रहा हूं कि हरिजनों को लाभ पहुंचाया जाय, मैं चाहता हूं कि उनको लाभ हो, लेकिन मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि जैसे कि एक परिवार है, जिसमें कई भाई हैं, वे सब कारबार करते हैं। उस परिवार का एक भाई यदि यह कहता है कि इस सौदे का मुनाफा मैं ही लूंगा। अगर यह सौदा इस शर्त पर करना है तो करें वरना न करें। ऐसी दशा में उस परिवार के छिन्न भिन्न होने की नींव पड़ जाती है। कारोबार तो चल ही नहीं सकता। ऐसी बातों में हरिजनों को शायद एक दो रुपया महीना उनकी आमदनी में मिल पाये, लेकिन इससे क्लेश, गलतफहमी और कटुता बेहद हो जायगी। तो मैं अधिक समय न लेकर केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कम्पोस्ट की समस्या में सारे प्रदेश का, सारे देश का सवाल है। मुनाफा की दृष्टि से हमको इसे नहीं देखना चाहिये और यदि इस दृष्टि से नहीं देखते हैं तो निस्संदेह कम्पोस्ट बनाने का अधिकार नगरपालिकाओं को दिया जाय, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। हरिजनों के हित का कोई सवाल आये तो उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गंगा प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय में बहुत सी बातें कहीं और दलीलें भी दीं। वे दलीलें ठीक हो सकती हैं कि चुंगी का घाटा हो जायगा। मैं मानता हूं कि चुंगी का घाटा होगा, जैसा कि मैंने कल बतलाया था कि जब

[श्री धर्म सिंह]

यहां पर खाद बनाने की समस्या हमारे सामने आवेगी तो वह खाद बनेगी कहां से, वे जो मैले हैं, कूड़े-कर्कट हैं आवेंगे कहां से? वे तो उन्हीं प्राइवेट हाउसेज से आवेंगे जहां कि मेहतर काम करते हैं। वे वहां से लाकर उनको सड़कों पर डाल देंगे। इसके दो पहलू हैं। और जब दो पहलू हैं तो हमको यह सोचना चाहिये कि पूरे तरीके से जब खाद बनेगी और खाद बनाने में इस तरीके से जो धन खर्च होगा तो उसमें कुछ घाटा भी हो सकता है। क्यों कि उसमें अगर कुछ खर्च होगा तो खाद तो बनेगा लेकिन जो एक अधिकार की चीज थी, जो एक पुराने तरीके से लोग काम करते चले आ रहे हैं, क्या इस तरीके से उनको एक मुनाफा दिया जावे और अगर मुनाफा दिया जावे तो क्या उनके कार्य करने में दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी? क्या उस तरीके से जिम्मेदारी के साथ जब स्ट्राइक की बातें आती हैं, पूरे तरीके से उनके कार्य करने का प्रबन्ध नहीं होगा? और वे लोग जो अपने को मेहतर कहते हैं और जो हमारे समाज के पिछड़े हुए अंग हैं, क्या वे उस कार्य को करने के लिये दिलचस्पी नहीं लेंगे। यहां पर कटुता की बात कही जाती है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जिस चीज को हम देखना पसन्द नहीं करते, वह चीज जो गन्दी है, उसको देखना तो दूर रहा, हम उधर से चलना भी पसन्द नहीं करते हैं, समाज एक व्यक्ति से आशा करे कि वे लोग इस कार्य को करें तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह चीज कैसे ठीक कही जा सकती है। तो प्रार्थना यह की गयी है कि जो उससे आमदनी हो वह उनके वेलफेयर पर खर्च हो जाय। बहुत से माननीय सदस्यों का कहना ठीक हो सकता है कि आखिरकार म्युनिसिपल बोर्ड में और बहुत से लोग रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं और जातियां भी रहती हैं, तो केवल उन्हीं पर खर्च करने की बात कैसे कही जाती है।

मैं कहता हूं कि जरा आप समस्या की तह में जाइये और आप देखें तो आपको मालूम होगा कि अन्य जातियों के जो लोग हैं, वे इस काम को नहीं करते हैं और न वह उनके अधिकार स चला जा रहा है। इसलिये इस बात को सोचना है कि जो म्युनिसिपैलिटी खाद नहीं बनावेगी वहां पर क्या स्थिति होगी, वहां पर झगड़े की बातें आ सकती हैं। तो जब ऐसी बातें हैं और जो लोग कि खाद को नहीं बनाते हैं तो मेहतर जाति जोकि समाज का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ अंग है और जो आज बहुत ही बुरी दशा में रहता है, अगर इसकी आमदनी को उनके वलफेयर पर खर्च किया जाय तो इसमें क्या हर्ज है। आज मेहतर तबके की दशा बड़ा ही शोचनीय है। अगर आप उनके घरों को देखें, अगर आप उनके रहन सहन के ढंग को देखें, उनके बच्चों की शिक्षा की तरफ देखें, तो मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम अगर इस तरीके से यहां पर बैठने के बाद प्रतिनिधित्व करते हुए भी यह समझते हैं कि उनका भला नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये और हमारे देश के लिये कलंक है। मैं नहीं कहता कि जो कुछ खाद में आमदनी होगी, वह सब उनको दे दी जाय, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आप उस धन को उन्हीं के मकान बनाने में खर्च कीजिए। उनके मकानों की हालत देखिये केवल एक कमरा होता है, उसी में वे अपने गदहों को बांधते हैं, अपने सुअरों को बांधते हैं और अपने बच्चों के रहने-सहने का इंतजाम करते हैं और यह भी सही है कि वे भी चूंकि खाद के काम में इंटेरेस्ट लेंगे, तब भी एफीसियेंसी आयेगी। वह इसमें पूरे तरीके से काम करेंगे और उससे जो मुनाफा होगा वह उसी के काम में लगेगा, लेकिन आप समझते हैं कि उसमें भला नहीं होगा। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से उनका सुधार हो सकता है और अनेक प्रकार से उनका सुधार हो सकता है। कल एक दलील दी गयी कि इसमें आपस में कटुता बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी जब आपसे मजदूरी मांगता है तब उसको मजदूरी नहीं दी जाती और फिर आप उससे उम्मीद करें कि वह उस काम को करेंगे। मैं समझता हूं कि जो खाद के बनाने से आमदनी होगी, यदि उसको उन पर खर्च किया गया तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश के रहने वाले सैकड़ों और हजारों आदमियों का भला करेंगे और उनका भला होने से हमारे देश का भला होगा। लेकिन अगर ४ आने देने के बाद मेहतरों से कूड़ा उठवायेंगे तो उसके लिये कौन तैयार हो जावेगा?

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इसके लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन इसके लिये हम लोगों को सोचना है और उसके लिये उपयुक्त स्थान पैदा करना है, ऐसा नहीं किया तो उसके लिये हम जिम्मेदार हैं। हम दावा करते हैं हर कि प्लेटफार्म से कि हम पिछड़े समाज के लोगों की दशा को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम आज उसके लिये तैयार हैं? गांधी जी जब यह बात कहा करते थे तो मेहतरों के यहां जाकर ठहरा करते थे और क्यों ठहरते थे, इसलिये कि उनको उनकी दशा का पूर्ण ज्ञान था। कहा करते थे कि मैं यदि मरूं और मरने के बाद मैं यदि पुनर्जन्म प्राप्त करूं तो बाल्मीकि के घर में जन्म लूं। तो हमें पूरे तरीके से इस समस्या को देखना है और इस आमदनी को उनके एजूकेशन पर, उनके हाउसेज पर, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिये उनके रहन-सहन को अच्छे ढंग पर चलवाने के लिये यदि वह धन खर्च कर दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को मानकर ऐसे लोगों को इस तरह से भला करेंगे।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले २४ घंटों से कम्पोस्ट की समस्या सदन के माननीय सदस्यों के दिमागों में घूम रही है। कम्पोस्ट में खासियत है कि वह उर्वरा शक्ति को पैदा करता है और ज्यादा कम्पोस्ट हो जाता है तो वाइल्ड ग्रोथ भी होने लगती है। चुनांचे कम्पोस्ट का परिणाम यह है कि तरह तरह के वाइल्ड सजेशन्स सदन के सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के अन्दर, अगर किसी समाज के अन्दर यह कैफियत है कि आज इस जमाने में ८ रु० और ७ रु० किसी को तनख्वाह मिलती है तो उस समाज को क़ायम रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उनको ७ रु० और ८ रु० तनख्वाह स्वीपर्स पे कमीशन के मुताबिक नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलती है। अगर कहीं मिलती है तो स्वशासन विभाग के मन्त्री के सामने वह उदाहरण आना चाहिए और उस म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए। एक बात मैं और बताऊं कि स्वीपर्स पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार स्वीपर्स को ३१ रु० तनख्वाह पहली अक्तूबर सन् १९४८ से मिलेगी, जो म्युनिसिपैलिटियां पे कमीशन के अनुसार मेहतरों को आज तनख्वाह नहीं देती हैं जब भी वे देंगी पहली अक्टूबर, १९४८ से उनको देना पड़ेगा, जिस तरह से हमने उनको दिया। आप देखें कि यहां कई भाइयों ने जिक्र किया कि म्युनिसिपैलिटी में मेहतरों के लिये कोई अच्छे निवास-स्थान नहीं है और म्युनिसिपैलिटियां उनके रहने के लिये उचित प्रकार से खर्च नहीं करतीं। बेशक जहां म्युनिसिपैलिटियां उनके लिए उचित प्रकार से खर्च नहीं करतीं या उनके लिए अच्छे निवास-स्थान नहीं बनाये जाते, जहां उनके लिए जल और रोशनी का प्रबन्ध नहीं करतीं वे म्युनिसिपैलिटियां इस क़ाबिल हैं कि उनको इस सदन के अन्दर जितना अधिक से अधिक सेंसर किया जाय मुनासिब है। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि उसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह आपको बड़ा ऐस्टाउंडिंग मालूम होगा, लेकिन मैं आपके सामने स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के अन्दर तत्सम्बन्धित मुक़द्दमे के गवाहों के अनुसार मेहतर प्रति वर्ष क़रीब ३२ हज़ार रुपया जमादारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिश्वत का देते हैं। यह एक बड़ी ऐस्टाउंडिंग बात है और जब यह अदालत के समक्ष कही गई तो मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि यह इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न विशेष नहीं है।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय---हमारे यहां पूरे नगर के अन्दर मेहतरों की संख्या १९६० है। म्युनिसिपैलिटी के जो होल टाइम स्वीपर्स हैं, उनकी संख्या १४०८ है और जो कस्टमरी स्वीपर्स हैं, उनकी संख्या १७८१ है। यदि १७८१ और १४०८ को जोड़ दिया जाय तो उनकी तादाद क़रीब ३१८९ हो जाती है, लेकिन कुल मेहतरों की संख्या १९०० है। इसका अर्थ यह हुआ कि म्युनिसिपैलिटी का काम छोड़कर और म्युनिसिपैलिटी का काम नेगलेक्ट करके वे कस्टमरी स्वीपर का काम करते हैं और उसके विषय में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो

[श्री विश्वम्भर नाथ पान्डेय]

इसलिए वे दो रुपये महीने के हिसाब से रिश्वत में जमादार को दे देते हैं। ताकि वे हर महीने ३० रु० अधिक कमा सकें। आप कहेंगे कि इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई। सन् १९३६ में इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के एक आदरणीय सदस्य ने एक मेहतर को जमादार को रिश्वत देते हुए पकड़ा।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न विशेषकर हमारे सामने इस समय नहीं है आप इसलिए उसके डिटेल में न जायं।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय--और उस जमाने में जो मुक़द्दमा उनके ऊपर चला वह आज १६ वर्ष से चलता चला आ रहा है और अगर आप नाम जानना चाहते हैं कि जिन्होंने मेहतरों की रिश्वत को बन्द करने की कोशिश की तो मैं आपको इशारा करूंगा कि हमारे स्वशासन विभाग के मन्त्री पंडित मोहन लाल गौतम हैं और आज तक उनका उस मुक़द्दमे से पीछा नहीं छूटा। प्रश्न यह है कि सारा कम्पोस्ट वही इकट्ठा करें। हम इसके लिए तैयार हैं कि जितना पाखाना है वह सारा का सारा मेहतरों को दे दिया जाय वही इसको इकट्ठा करें, कम्पोस्ट बनायें और बनाने के बाद जिस तरह से चाहें बेच लें। आप यकीन रखिये कि हमारे नगर की म्युनिसिपैलिटी में हमको इस बात के लिए ट्रक्स रखनी पड़ती हैं ८० भैंसा गाड़ियां रखनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं फिर कहूंगा कि वाइल्ड स्पीच हो रही है उसको जरा बचा दें।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय--जिसका परिणाम यह होता है कि फाइनेंसियली और इकानामिकली वह इतना जबर्दस्त खर्चा हो जाता है कि जिसको बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन बात है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इसके व्यावहारिक पक्ष को देखिये और इसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए आप अपने उचित सुझाव रखिये। मैं फिर एक बार अर्ज कर देना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में कहा है वे यह समझते हैं कि हमारे यहां का भारतीय समाज इसी तरीक़े से बराबर चलता रहेगा और भारतीय समाज में मेहतर जाति शताब्दियों तक इसी तरह से क़ायम रहेगी यदि यह मनोभावना उनकी है तो वे अन्धकार में हैं। लेकिन मैं उनसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि सामाजिक क्रान्ति का चक्र जोरों के साथ घूम रहा है और इतने जोरों से घूम रहा है कि समाज की बुनियादें खस्ता हो रही हैं और उनको पता नहीं है कि बहुत जल्दी वह समय आने वाला है कि जब पांच या दस वर्ष के अन्दर मेहतर जाति का पाखाना कमाने वालों के रूप में नाम मिट जायगा और वह सब के सब आदमी बनेंगे और इंसान बनेंगे। अगर मेहतर रहेंगे तो हम सभी मेहतर होंगे जिस तरह से गांधी जी ने जिक्र किया था कि हमको अपने आपको समाज के उस स्तर पर ले जाना है, जिसमें हमें वहीं बैठना है जहां आज मेहतर बैठा हुआ है। जब वह ऊपर उठेगा तब हम भी ऊपर उठेंगे और जब हम ऊंचा उठेंगे तो देश ऊंचा उठेगा।

प्रश्न तो छोटा सा है। कहा जाता है कि कम्पोस्ट की आमदनी "पेनीशिया फ़ार आल इविल्स" है। एक ऐसी रामबाण दवा है कि यदि उसकी आमदनी उनको दे दी जाय तो मेहतर जाति की सारी समस्याएं सुधर जायंगी। (आवाजें) ठीक है उसका कुछ अंश सुधर जायगा। मैं आपकी बातें माने लेता हूं। लेकिन जरा सा अगर आप उसके आंकड़ों पर गौर करें और कम्पोस्ट के बनाने में जो सुविधाएं असुविधाएं जो खर्चे, उसके ट्रांस्पोर्ट की जो दिक्क़तें हैं अगर इन सब को आप देखें तो आपकी समझ में आ जायगा और ये सारे प्रश्न अगर लोगों के सामने हों तो इस कम्पोस्ट के लाभ की वही स्थिति हो जायगी जो कि विश्वामित्र के सामने शकुन्तला की हुई।

मैं आप से अर्ज करूं कि हमारे यहां इलाहाबाद नगर में पिछले ३ वर्षों से मैले के कम्पोस्ट की जो मिक़दार बनी, वह है ६०० टन, ८०० टन और १३०० टन वार्षिक। कम्पोस्ट की क़ीमत ३ रुपया टन हुआ करती है। पिछले वर्ष जो कम्पोस्ट की खाद बनी उसकी क़ीमत

हुई ३,९०० रु० । तो यह बहुत सस्ती है, ३ रुपया टन के हिसाब से मिल जाती है । उसकी आमदनी ३,९०० रुपया हुई । उस पर जो खर्चा हुआ वह था ४,५०० रु० । यानी आप ऐसेट और लायबिलिटी दोनों को देखें तो आपको यह पता चलेगा कि कितना उस पर क्या खर्च हुआ और क्या उससे आमदनी हुई और उसकी आमदनी के नाम पर उस हवाई आमदनी के नाम पर आप यह कहना चाहते हैं कि यह उनको दे दी जाय और उससे उनको बड़ा लाभ होगा । (आवाजें) । मैं आप से कहता हूं कि हवाई आमदनी वह होती है कि आमदनी कोई नहीं और खर्च ज्यादा । आमदनी का कोई सवाल ही नहीं होता । और फिर आप बड़े शहरों को और छोटे शहरों को भी ध्यान में रखें । कम्पोस्ट बनाने के लिये बड़े शहरों में जमीन नहीं मिलती ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--आपकी म्युनिसिपैलिटी को तो सुपरसीड हो जाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--उपाध्याय जी शान्त रहें, आपको वक्त मिलेगा ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे--फिर उसके अतिरिक्त इन दलीलों को देखते हुए यह कहा गया है कि साहब मेहतर जाति की हालत तो बहुत ही खराब है । उन्हें ७ रुपया तनख्वाह मिलती है, ९ रुपया तनख्वाह मिलती है । मैं यह समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों की नजरों से स्वीपर्स पे कमीशन की रिपोर्ट गुजरी नहीं है या पिछले ३ वर्षों से जो स्वशासन विभाग की रिपोर्ट है वह उनकी नजरों से नहीं गुजरी । अगर वह गुजरी होतीं तो मालूम होता कि स्वीपर्स पे कमीशन ने जो मेहतरों की तनख्वाह मुक़र्रर कर दी है उसके अनुसार होल टाइम स्वीपर्स की तनख्वाह ३१ रुपया है । आप कहते हैं वह लागू नहीं है । हमारे नगर के अन्दर इलाहाबाद में ३१ रुपया से लेकर ३७ रुपया प्रत्येक मेहतर को मिलता है । स्वीपर्स पे कमीशन के पहले हमारा वार्षिक खर्चा २,४०,५५२ रु० था । उसके बाद जब पे कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो ५,४०,८४० रुपया हो गया ।

एक सदस्य--इससे क्या संबंध है ?

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय--यह प्वाइंट आफ आर्डर तो तब आपको उठाना चाहिये था जबकि इन चीजों का यहां जिक्र किया गया । मैं तो उसका यहां जवाब दे रहा हूं ।

एक सदस्य--८ साल पहले मेहतरों की तनख्वाह ७ रुपया, ८ रुपया थी ।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय--अगर आप कहते हैं कि ८ साल पहले ७-८ रुपया थी तो मैं इसे बेशक मानने को तैयार हूं ।

जब तक हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तब तक इस तरह की जितनी चीजें हैं वे सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे कोई बड़ा काम नहीं निकलने वाला है । ये चीजें लोगों को गुमराह करने वाली ह, और वास्तविक समस्या से कहीं दूर जाने वाली है । इसलिये एक व्यावहारिक पक्ष के नाते मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि यह जो तजवीज है, यह जो संशोधन है यह बिलकुल हवाई है और इससे किसी प्रकार का कोई लाभ किसी पक्ष को नहीं पहुंचेगा ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--यह जो बार बार इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी का नाम लिया जा रहा है .....।

श्री अध्यक्ष--मेरा काम आप न लें । मैं अपना काम कर चुका ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में समाज के जो हिस्से और तबक़े सब से नीचे दबे हुये हैं, आज से नहीं, शताब्दियों से जिनका राज-नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक दमन किया गया है उन्हीं में मेहतर लोग भी हैं । मुझे तो ऐसी आशा थी कि इस विधेयक के पेश करने में माननीय स्वशासन मंत्री ऐसे उपाय बतायेंगे जिससे समाज के इस गिरे हुये हिस्से का उत्थान होगा । लेकिन आज यह देख कर आश्चर्य एवं दुःख होता है कि माननीय मंत्री महोदय जो किसी समय समाजवादी भी रह चुके हैं, जिन्होंने समाजवाद पर मोटी-मोटी किताबें भी पढ़ी हैं, जिनके साथ जेलों

[श्री झारखंडे राय]

में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है, आज एक साधारण-सी बात की मुखालिफत इस सदन में कर रहे हैं। जो दो-चार पैसे मेहतर भाइयों को इसके जरिये मिलने की आशा है उसका भी विरोध इस हाउस में मंत्री जी ही नहीं बल्कि अन्य सदस्य भी कर रहे हैं, यह देख कर काफ़ी आश्चर्य और दुःख होता है। जो समाज में सब से नीचे हैं, जो समाज में कहे जाते हैं कि सब से छोटा काम करते हैं उनको उठाने के लिये कोई भी समाज जितना भी काम करे, जितने भी तेज़ और जल्दी क़दम उठाये, वे कम हैं। उनके उद्धार के लिये, उनकी खुशहाली के लिये, उनकी बहबूदी के लिये और उनके मुस्तक़बिल को ठीक करने के लिये जो भी काम किया जाय वह कम है, लेकिन आज इस विधेयक के ज़रिये इसकी कोई भी आशा दिखाई नहीं देती। जो संशोधन हमारे भाई गंगा प्रसाद जी ने पेश किया है उसका विरोध करके तो आप इस बात का परिचय दे रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत भी उन मेहतरों को आमदनी होने की आशा है वह भी उनको नहीं दी जायगी और जिस स्थिति में आज वे पड़े हुए हैं उसी में पड़े रहेंगे। हमारे भाई जो म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद के चेयरमैन हैं, विश्वम्भरनाथ जी, उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीक़े से यह बात साबित करने की कोशिश की कि इससे मेहतर लोगों की मांग पूरी होने के बजाय परेशानियां बढ़ जायंगी। अनेक आंकड़े दे करके उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह संशोधन बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पांडेय जी अगर अपनी पुरज़ोर बोलने की कला को इस बात में प्रयोग किये होते जिससे कि उन मेहतरों के उद्धार का कुछ रास्ता निकलता तो अधिक अच्छा होता। मैं मेहतरों के परिवार से नहीं हूं, लेकिन एक नहीं बल्कि उनके सैकड़ों परिवारों से मेरा गहरा रिश्ता, नाता--आने जाने का रहा है। आरम्भ से लेकर अपने आज तक के राजनीतिक जीवन में मैं उनके घरों में हफ्तों रहा हूं, उनके साथ खाना खाया है उनकी दयनीय स्थिति की पर्याप्त जानकारी मुझे है। मैं यह महसूस करता हूं कि हर म्युनिसिपैलिटी में जो म्युनिसिपल चेयरमैन है या जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनके घरों तक सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, उनके घरों के पास रोशनी का अच्छा इन्तज़ाम है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक है लेकिन किसी भी मेहतर कालोनी या मेहतर बस्ती को हम आप जा कर देखें तो यह साफ ज़ाहिर हो जायगा कि जो समाज का सबसे नीचा अंग है, उसके रहने की जगह भी वैसी ही रक्खी गयी है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें क्योंकि बहुत सी बातों को, जो कही जा चुकी हैं, वे रिपीट कर रहे हैं।

श्री झारखंडे राय--बस, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनके घरों के पास न रोशनी का प्रबन्ध, न सड़कों का प्रबन्ध, न उनके बच्चों के खेलने का कोई इन्तज़ाम और न उनके मानसिक, नैतिक और शारीरिक उत्थान के कोई अन्य ज़रिये उनको उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में इस संशोधन के ज़रिये जो कुछ उनको दो चार पैसे आमदनी कराने की कोशिश की गई है मैं समझता हूं कि वह माननीय प्रशासन मन्त्री ज़रूर मानेंगे। मेरी उनसे ज़ोरदार अपील है कि वह इसको स्वीकार करें। मैं महात्मा गांधी जी की बात यहां पर कहूंगा। वह कहते थे और उनका नारा था कि हम सब को नीचे बैठ कर भंगियों को उठाना है। मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं। मैं समझता हूं कि पांडे जी ने जो कुछ यहां कहा है वह यह कि हम जितना ऊंचे हैं हमको उससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। समाज का जो हिस्सा ऊंचे पर है, उसका विकास हो चुका है, उसको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिये यह कि हम जितना ऊंचे हैं उतने ही नीचे गिरे हुये समाज के भाग को उठाकर सबको साथ लेकर चलें न कि हम खुद नीचे उतर कर और तब उनको साथ लेकर चलें। यह गलत सिद्धान्त है। इसके आधार पर भंगी भाइयों का या दूसरे गिरे हुए समाज के भागों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिये अन्त में चूंकि यहां सदन में पक्ष विपक्ष में काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं, उनको दोहराना मैं उचित नहीं समझता, और अध्यक्ष महोदय की ऐसी आज्ञा भी है, इसलिये मैं यह अपील करता हूं मन्त्री जी से कि वह कम से कम इस संशोधन को ज़रूर मान लें और मेहतरों को जो दो चार पैसे देने की बात है उसको देने की चेष्टा करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर माननीय गंगा प्रसाद जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी के माननीय चेयरमैन साहब का भाषण सुन रहा था तो मैं यह महसूस करता था कि शायद वह इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी का बजट पेश कर रहे हैं और वह यह भी जोश में आकर कहते थे कि समाज में झगड़ा चल रहा है। जो वह बहुत जोर से यहां कहना चाहते थे वह तो मेरी समझ में नहीं आया।

इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के माननीय चेयरमैन साहब ने यह कहा कि ३१ रुपये मेहतरों को मिलते हैं। उन्होंने उस म्यूनिसिपैलिटी की बात कही जो कि ए क्लास की म्युनिसिपैलिटी है। यहां पांच क्लास की म्युनिसिपैलिटियां हैं, उन्होंने ए क्लास म्यूनिसिपैलिटी की तनख्वाह की बात कही। इसके अलावा और भी म्युनिसिपैलिटियां हैं जहां हमारे मेहतरों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है। मैंने यह सोचा था कि जिस जोश से हमारे माननीय चेयरमैन साहब यहां बात कर रहे थ वह मेहतर भाइयों की भलाई के संबंध में थी और इसलिये मैंने जहां तक उनके जोश का सवाल था उस पर ध्यान नहीं दिया और म तो यह समझूंगा कि अगर इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के कम्पोस्ट बनाने में ३ हजार का कम्पोस्ट हुआ और ४ हजार रुपय खच किय गये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी तक हमारे स्वशासन मन्त्री ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे चेयरमन को वहां से निकाल देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह की बात व्यक्तिगत आ रही है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। चूंकि वह चेयरमैन हैं इसलिये आप इस तरह की कोई बात न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--म कम्पोस्ट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज रखा गया है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कारखाने हैं जैसा कि किसी माननीय भाई न यहां कहा कि चीनी वाले कारखाने के जो मजदूर हैं, उनके लिये वहां के शीरे की आमदनी से मकान बनाये जायेंगे। तो यह कोई नयी चीज नहीं है। उससे जो आमदनी होगी वह अगर हमारे मेहतर भाइयों के फ़ायदे के लिये लगायी जाय और यही हमारे भाई ने जो संशोधन इस सदन के सामन रखा है उसका मतलब है, तो बड़ा फायदा होगा और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री को इस चीज को मान लेना चाहिये। आज जहां मैं रहता हूं वहां म्युनिसिपैलिटी तो नहीं ह लेकिन एक कैंटूनमेंट बोर्ड है। हमारे कैंटूनमेंट बोर्ड में भी मेहतर हैं और आज अगर आप हमारे यहां के मेहतरों के पास जायं तो आपको उनकी वर्दियां बहुत अच्छी मिलेंगी। हमने १२ रुपये गज का गर्म कपड़ा खरीद कर उनकी वर्दियां बनवाई, उनके लिये मकानों की व्यवस्था . . .।

श्री अध्यक्ष--तो अब आप बजट पेश कर रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कुछ ऐसी चर्चा आयी थी कि ऐसे ऐसे लोग भी यहां बोलते हैं जिनके यहां कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं ह। मैं इसीलिये उनको बताना चाहता था कि हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी नहीं है, लेकिन कैंटूनमेंट बोर्ड है। हमारे यहां के मेहतरों को जो ए क्लास की म्युनिसिपैलिटीज के मेहतरों को तनख्वाह मिलती ह वही दी जाती है। हमारे यहां उनको मकान मिले हैं और जिनके पास मकान नहीं है उनको किराया दिया जाता है। मैं तो यह बताना चाहता था कि कैंटूनमेंट बोर्ड के जो मेहतर लोग ह उनकी दशा यहां के मेहतरों से अच्छी है। हमारे यहां जो मेहतर हैं उनकी एक यूनियन है और सौभाग्य से मैं उसका प्रेसीडेंट हूं। उनके लिये हम एक रेडियो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वह हमें बहुत जल्दी मिल जाने वाला है। मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी म्युनिसिपैलिटी है जिसने उनके बच्चों के लिये या उनके खेल-कूद के लिये कुछ इन्तजाम किया है। मैं समझता हूं कि हम लोग शायद ऐसे मकानों में रहते ह जहां फ्लेश लगे हुए हैं। अगर हमारे सारे प्रान्त के सारे मेहतर एक संगठित रूप में मोर्चा उठाय तो मैं समझता हू कि कोई भी ताक़त इस प्रान्त की ऐसी नहीं है जो कि उनकी मांगों को ठुकरा सके। मैं नहीं

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

चाहता कि यह झगड़ा सारे प्रान्त के अन्दर चले। हड़ताल तो वैसे २५, २६ दिसम्बर से शुरू होगी। तो जिनके यहां फ्लश लैट्रिन्स हैं उनकी तो बचत है, लेकिन जिनके यहां फ्लश नहीं है वहां के रहने वालों को जो मुसीबत होगी उसके जिम्मेदार माननीय स्वशासन मंत्री होंगे।

उन्होंने कहा कि हमने बाल्मीकि शब्द का प्रयोग उनके लिये कर लिया। क्या बाल्मीकि शब्द इस्तेमाल करने से मेहतर खुश हो जायंगे? आज जबानी हमदर्दी का सवाल नहीं है। आज आपको कुछ करके दिखाना है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आज इस सदन में जितने डिप्रेस्ड क्लास के माननीय सदस्य हैं वे अपने हकों के लिये बोलें। चाहे वह न मानी जाय, लेकिन बात तो यह है कि उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में सदन के सामने कुछ कहा और मुझे तो विश्वास है कि माननीय स्वशासन मंत्री हमारी इस बात को मानेंगे और इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सदन के हर मेम्बर की यह राय है कि इसको स्वीकार किया जाय।

माननीय मंत्री ने कहा कि बिला सोच विचार कर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो उनसे यह कहूंगा कि कम्पोस्ट बनाने से जो फ़ायदा होगा अगर वह हमारे मेहतर भाइयों के काम में लग जायगा तो मुझे विश्वास है कि इस प्रान्त में काफ़ी खाद तैयार होगी और उससे काफ़ी आमदनी हमारे भाइयों को होगी और वह खुद बड़े उत्साह के साथ इस काम को करेंगे। हमारे यहां नैनीताल म्युनिसिपैलिटी है। वहां के भंगियों के लिये पहले बिजली मिली थी। हाल ही में उनको यह आराम दिया गया कि उनकी बिजली काट दी गयी और नैनीताल के ताल के किनारे बिजलियां लगायी गयीं। लेकिन जो ग़रीब मेहतर हैं उनको बिजली मुफ्त मिलती थी तो उनकी बिजली काट दी गई, हल्द्वानी की मिसाल लीजिये: वहां के मेहतर जमीन मांगने के लिये गये और हमारे माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने भूख हड़ताल की और म्युनिसिपैलिटी ने उनको जमीन देने का वायदा किया। लेकिन जमीन देना तो दूर रहा जिन झोपड़ियों में वे ग़रीब रहते थे उनसे भी उनको निकाल कर बाहर कर दिया गया। इस तरह से हमारे स्वशासन मंत्री इसके मंत्री हैं और उनके सामने ही मेहतरों की यह हालत है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इसको मान लिया जाय कि जो भी इससे आमदनी होगी वह मेहतरों के अच्छे कामों में लगाई जायगी तो इससे प्रांत भर के मेहतरों पर अच्छा असर पड़ेगा और यह समझेंगे कि यह हमारी भलाई करना चाहते हैं। जिस प्रकार कि चीनी के कारखानों में मोलेसेज की आमदनी से मजदूरों के लिये मकान बनाये जाते हैं उसी तरह से कम्पोस्ट की आमदनी मेहतरों के वेलफेयर के कामों में लगाई जाय। इन चंद शब्दों को कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—मैं बहस समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गंगा प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन का जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आज यह पहला संशोधन है जिस पर सारे हाउस की राय एक मत है परन्तु हमारे दो माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है एक तो श्री बाबूराम जी मीतल हैं। उनके भाषण से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पूंजीवादी पद्धति के पोषक हैं और जो उन्होंने हिसाब लगाये तथा आंकड़े पेश किये वह पूंजीवादी तरीक़े के थे। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आखिर में उन्होंने भी मेहतरों की भलाई की बात कही। दूसरे हमारे बुजुर्ग माननीय श्री विशम्भर नाथ पांडे हैं और वह बुजुर्ग हैं इसलिये उनके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारे हिन्दुओं में एक सिस्टम है कि जो बुजुर्ग होते हैं वह यदि कोई बात कह देते हैं तो नौजवान उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कारण यह है कि इसलिये कि उनकी बुजुर्गी का जैसे ख्याल किया कि उन ग़रीबों से जो दो चार आने माहवार पाते हैं उनसे उनका कहना है कि रिश्वत ली जाती है। वह शायद ३६,००० या ३२,००० ली जाती है। यह बड़े शर्म

की बात है कि उनके अध्यक्ष होते हुए उनके कर्मचारी इन ग़रीबों से रिश्वत लें और वह कोई कार्यवाही न कर सकें। अगर मैं वहां पर अध्यक्ष होता तो इस्तीफ़ा दे देता और उधर कभी ध्यान नहीं देता।

साथ ही अब माननीय मंत्री जी ने हमारे उसूल को तो मान लिया है लेकिन सवाल यह है कि अब वह कहां फिट किया जाय तो इसको मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर ही छोड़ता हूं। लेकिन इतना अनुरोध है जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई म्युनिसिपलिटी कम्पोस्ट बनायेगी कोई नहीं बनायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीक़े से इंडस्ट्रीज के लिये सरकार की तरफ से नियम हैं कि जो कारखाने अपने मजदूरों के लिये मकान तथा श्रम हितकारी केन्द्र खोलेंगे उनकी ही रजिस्ट्री की जायगी वर्ना नहीं की जायगी। इसी तरीक़े से वह होना चाहिये कि जो म्युनिसिपैलिटी कम्पोस्ट बनायेगी उन्हीं को ग्रांट दी जायगी वर्ना नहीं दी जायगी। अगर ऐसा हो जाय तो मुझे उम्मीद है कि समस्या हल हो जायगी। मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं कि उन्होंने हमारा उसूल मान लिया है। अब कहां उसको फिट किया जाय तो इसको मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं और मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी इस बीच श्री मदनमोहन उपाध्याय ने श्री अध्यक्ष से निम्नलिखित प्रार्थना की)

श्री मदन मोहन उपाध्यक्ष--अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। प्रश्न जरा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको पूरा अधिकार है कि आप हाथ उठा कर काम चला सकें। लेकिन चूंकि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें लाबीज में जाने की इजाजत दे दी जाय, ताकि इतिहास में यह लिख जाय।

श्री अध्यक्ष--अगर मत गणना में थोड़ा बहुत अन्तर होता तो मैं लाबीज में भेजता। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें केवल हाथ उठाने से ही काम चल जायगा। इसलिए लाबीज में जाने की जरूरत नहीं है।

(हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार संशोधन वापस लिया गया --

हां--१८५
नहीं--२३)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (jj) के बाद निम्नलिखित नये भाग (jjj) (jjjj) और (jjjjj) बढ़ा दिये जायं :--

(jjj) opening, maittaining, and assisting Birth Control Clinics and taking measures for Family Planning etc."

(jjjj) Establishing, maintaining and assisting public infectious diseases hospitals and Anti-Tuberclosis Centres

(jjjjj) Taking measures for check of venereal diseases and providing clinics for the prevention and cure of such diseases ;

(jjjjjj) Undertaking public utility services, e.g., arrangements for transport of passengers and goods, insurance like Medica Insurance, unemployment Insurance. Telephone Services etc."

श्रीमान्, जिन संशोधनों के जरिये से मैं धारा ८ म्युनिसिपल बोर्ड्स की डिस्क्रीशनरी पावर्स को बढ़ाने की प्रस्तावना करना चाहता हूं मेरे विचार से वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। धारा ८ में डिस्क्रीशनरी फंक्शंस को बतलाते हुए यह कहा गया है कि :--

"A Board may make provision, within the limits of the municipality (and with the sanction of the Commissioner outside such limits) for—"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो यह म्युनिसिपैलिटीज के लिये अनिवार्य तो नहीं है लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटीज के साधनों के अन्दर और सरकार की योजनाओं के अन्दर इस प्रकार का प्रबन्ध हो तो बहुत उत्तम होगा। श्रीमान्, मैं यह समझता हूं कि जिन चारों संशोधनों को मैंने आपके द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। पहली चीज बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के मेजर्स को लाने के बारे में है। श्रीमान्, जहां तक मुझे याद है इस सरकार ने दो साल हुए फैमिली प्लानिंग की तरफ अपना कदम उठाने की चेष्टा की थी और गवर्नमेंट हाउस में फैमिली प्लानिंग के बारे में एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें सरकार ने पहली बार इस बात का इरादा जाहिर किया था कि इस प्रदेश में फैमिली प्लानिंग को लाने की अत्यंत आवश्यकता है। अभी हाल ही में बम्बई में एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें १३ मुल्कों के प्रतिनिधि आये थे और उसमें सारे अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान उपस्थित थे और वे इसलिये हिन्दुस्तान में बुलाये गये थे क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार और सभी राजनैतिक दलों के बड़े-बड़े नेताओं का यह ख्याल था कि जहां तक पूर्वी देशों का सवाल है खास कर हिन्दुस्तान का, वहां आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। डाइरेक्टर आफ पापुलेशन डिवीजन आफ दी यू० एन० प्रो० हूवेल्पटन ने कहा है :—

"The population situation was not precisely the same throughout the world. In the countries of Eastern Hemisphere the population is relatively dense."

[जनसंख्या की स्थिति समस्त संसार में वस्तुतः एक सी न थी। पूर्वीय भूखण्ड देशों में जनसंख्या अनुपाततः घनी है।]

तो हिन्दुस्तान की परिस्थितियों को देखते हुये फैमिली प्लानिंग मेजर्स को चलाने के लिये बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स का खोलना बहुत आवश्यक है। उस कांफ्रेंस में जवाहरलाल जी ने जो सन्देश भेजा था उसकी भावना को देखते हुए मेरा यह संशोधन बहुत आवश्यक है। उस सन्देश में यह लिखा हुआ था—

"In a country like India with a very large population this question has an even greater significance than elsewhere. It deserves, therefore, the fullest study here and the application of such methods that are found suitable from all points of view."

[भारत जैसे देश में, जहां बहुत अधिक जनसंख्या है, इस प्रश्न का महत्व अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। अतः यहां इस पर पूर्णरूप से विचार किया जाना चाहिए एवं ऐसे उपायों को व्यवहार में लाना चाहिए जो हर दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जायं।]

तो श्रीमान्, मैं यह नहीं कहता कि हम यह लाजमी कर दें कि हर म्युनिसिपैलिटी इस तरह के मेजर्स एडाप्ट करें और बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स खोलें। सरकार को चाहिये कि चन्द म्युनिसिपैलिटीज को ले कर उनमें इन मेजर्स को प्रयोगात्मक दृष्टि से अपनाया जाय। आपने देखा होगा कि लखनऊ में पिछले साल से ४, ५ क्लिनिक्स खोले गये हैं जबकि यहां की म्युनिसिपैलिटी की डिस्क्रीशनरी पावर्स में इनका खोलना नहीं था। मैं जानता हूं कि हमारे यहां के रूढ़वादी लोग इस तरह के प्रयोग का विरोध करेंगे और इसको अव्यावहारिक और अनैतिक बतलायेंगे और यह भी कहेंगे कि भारतीय संस्कृति से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन श्रीमन्, अगर हमने रूढ़िवाद को ही मान लिया और हमने अपने देश की और अपने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किसी प्रकार से निरोध नहीं किया और इसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया तो आने वाले समय में आनेवाली सन्तान के हम किसी तरह से आभारी नहीं माने जायंगे। यह बढ़ती हुई आबादी हमारी बढ़ती हुई योजनाओं के लिये एक चैलेन्ज होगी और हम किसी तरह से अपनी योजनाओं में कामयाबी हासिल नहीं कर पायेंगे। इसलिये श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वायत्तशासन मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें। इसमें किसी तरह

का कोई राजनीति का सवाल नहीं है। जैसा कि हमारे पांडे जी ने कहा था कि यह चीज़ हमारे पांच साला योजना का एक अंश है। यह प्लाण्ड फैमिली की अगर योजना को चालू किया जाय तो यह भी हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये साधन होगा। अगर हमने इसकी शुरुआत शहरों से नहीं की तो यह चीज़ देहातों से शुरू होने वाली नहीं है। शहरों से ही पहले इस कार्य को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि शहरों की जनता शिक्षित होती है और वह इस काम को अच्छी तरह से फालो कर सकती है। देहात में फिर बाद को इसका असर पड़ेगा और तब वहां पर यह काम शुरू हो सकता है। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है वह मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया।

जहां तक मेरे इस दूसरे संशोधन का प्रश्न है जिसमें यह कहा गया है कि :

"Establishing, maintaining and assisting public infectious diseases hospitals and Anti-Tuberclosis Centres."

मैं यह समझता हूं कि अभी हाल ही में नई योजनायें बनने जा रही हैं। एण्टी टचूबर-क्लोसिस क्लिनिक्स खुलने जा रहे हैं और इनके लिये बहुत सी योजनायें बनाई जा रही हैं। यह कुछ योजनायें बनी भी हैं और उनके लिये कुछ पैसा व्यय किया जा रहा है। परन्तु यह पैसा जो खर्च किया जा रहा है, कम है। यह जितने क्लिनिक्स खुले हुये हैं और खुलने जा रहे हैं मेरे ख्याल से उनमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि म्युनिसिपैलिटीज़ या शहरों की स्वायतशासन संस्थायें इस बात का प्रबन्ध करें कि क्षयरोग के विस्तार को रोका जा सके। सारे संसार में क्षयरोग का औसत भारत में सब से ज्यादा है। मैं अभी हाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। जिसमें मैंने यह देखा कि भारत में कानपुर का शहर ही इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित रहता है बल्कि भारत में ही नहीं सारे एशिया में कानपुर का शहर इससे पीड़ित रहता है। आज क्षय का रोग हमारे शहरों में भयानकरूप से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिये सरकार जो कुछ उपाय कर रही है वह इसके लिये बहुत कम है। सरकार को इसके विषय में यह सोचना पड़ेगा कि जहां शहरों का सवाल है वहां पर इस प्रकार के उपाय प्रचालित करने के लिये एन्टी टचूबर क्लोसिस क्लिनिक्स क़ायम किये जांय। क्षय को रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा मेज़र काम में लाये जांय। बी० सी० जी० का वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचालित करने के लिये उपाय काम में लाये जांय। क्षय की रोक थाम करने के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय।

जहां तक इसकी रोक-थाम करने के लिये मेज़र की ज़रूरत है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने इंग्लैंड का उदाहरण दिया था। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इंग्लैंड की स्वायत्त-शासन संस्थाओं को देखें कि वह किस प्रकार से एण्टी टचूबरक्लोसिस मेज़र को इस्तेमाल करती हैं। वहां पर इसके लिये बहुत काम किया जाता है और बहुत ज्यादा उन लोगों की मदद करती है जो इससे ग्रसित होते हैं। मैं यह समझता हूं कि वहां जो मदद दी जाती है वह तो अनुकरणीय है :--

"Radiographical units are being supplied to the larger local authorities to be used for the benefit of all. In order to provide adequate maintenance for persons undergoing treatment for tuberculosis, tuberculosis authorities may make allowances to such persons. Payment of these allowances is conditional on the patient undergoing the treatment confining to any advice given to prevent the spread of the disease and attending at the dispensary for examination as required."

वहां पर जो इस रोग से ग्रस्त होते हैं उनको अलाउन्स दिया जाता है। लोकल संस्थायें उनके लिये खर्च करती हैं और उनको मेन्टेन करती हैं। इस प्रकार का रोग और ज्यादा न फैले, इसका वह पूरी तरह से ख्याल रखती हैं। इलाज के लिये सब प्रबन्ध करती हैं और सारा व्यय जो भी होता है वह सब देती हैं। मैं यह जानता हूं कि वहां की लोकल संस्थायें बहुत पुरानी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हैं। लेकिन जब हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं तो यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा अनुभव पुराना नहीं हुआ है हमारी इतनी आबादी नहीं है, हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है इसलिये हम शुरुआत नहीं कर सकते। हालांकि यह दलील हमेशा नहीं दी जा सकती कि हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है और हम ऐसे मेजर को एडाप्ट नहीं कर सकते। हमको यह मेजर जरूर शुरू करने पड़ेंगे। इसमें आगे यह कहा गया है कि :—

"The Exchequer will reimburse to local authorities (1) maintenance allowances, payable without inquiry as to means; (2) discretionary allowances, after need has been established; and (3) special allowances, e.g., travelling expenses of near relative and domestic help where a wife is receiving treatment."

यानी ३ एलाउन्सेज वहां दिए जाते हैं। मेंटेनेन्स एलाउन्स, डिसक्रिशनरी एलाउन्स और तीसरे सफर वगैरा के स्पेशल एलाउन्स रिश्तेदारों तक को दिये जाते हैं। इस तरह से रेडियोलाजिकल यूनिट्स को सब तरह की सहूलियत दी जाती है।

इसके अलावा यू० एस० ए० की म्युनिसिपैलिटियों को भी मदद दी जाती है, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था। यह ठीक है कि वहां पर साधन अधिक हैं लेकिन फिर भी अगर नकल करने की बात कही जाय तो अच्छी चीज नकल करने में कोई हिचक न होनी चाहिए, बुरी चीज को दूर कर के अच्छी चीज स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होनी चाहिए। वैनरल डिजीजेज के बारे में जो क्लिनिक्स वहां पर खुले हुए हैं उनमें वहां पर—

"The cities have been greately aided in their fight against veneral deseases by the development of more effective methods of treatment. They have been helped, also. by substantial federal grants, which filter down into municipal treasuries through the several state governments."

तो इस तरीके से वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किया जाता है ताकि वह अपनी आबादी से विनरल डिजीजेज को दूर कर सकें। यहां भी अगर सरकार म्युनिसिपैलिटियों को डिसक्रिशनरी फंक्शन्स दे। जैसे आप के दो बड़े-बड़े कारपोरेशन लखनऊ और कानपुर में बनने जा रहे हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, तीसरे और चौथे संशोधनों को जो मैंने क्लाज वाइज रखा है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि अमरीका की स्वायत्त शासन संस्थायें इस शिक्षा में कितनी आगे बढ़ गई हैं। मैं इसकी मिसाल दे रहा था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी क्लीनिक्स और दूसरे वीनेरीयल डिजीजज और इन्फेक्शस अस्पतालों को रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भले ही हमारे म्यूनिसिपल बोर्डों की आर्थिक हालत खराब हो लेकिन कम से कम बड़े-बड़े म्युनिसिपल बोर्डों में स्टेट सब्सीडी के तरीके पर या केन्द्रीय सरकार की सहायता द्वारा बर्थ कंट्रोल क्लीनिक्स खोले जावें और वेनेरियल डिजीजेज और एन्टीट्यूबरक्लोसिस अस्पताल खोले जावें। इनका खोलना बहुत आवश्यक है। जो कोई भी सेंटर्स आजकल इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें जनता के प्रतिनिधियों के खयाल से चलाना आवश्यक है ताकि जनता के किस हिस्से में किस तरह की बीमारियां व्याप्त हैं इसका भी प्रबन्ध ठीक हो सके।

चौथी बात जो मेरे संशोधन में है वह पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले जनरल डिसकशन के समय भी कहा था। इन सर्विसेज में बहुत सी म्यूनिपल बाड़ीज के हाथ में रहनी चाहिये। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी रोडवेज की बसें, जैसे बरेली, इलाहाबाद वगैरह में हैं ट्रांसपोर्ट का काम म्युनिसिपैलिटीज

को दे देना चाहिये इससे उनकी आय बढेगी। उनके ऊपर सुपरवीजन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट का हो सकता है। इसी तरह मैंने इसके आगे मैडिकल इंश्योरेंस और अन-एम्प्लायमेंन्ट इंश्योरेंस का भी जिक्र किया है। यह इसलिये आवश्यक है कि सारे देश में बेकारी फैल रही है। अगर हम लोग आजकल के बेकार लोगों का इंश्योरेंश नहीं कर पावेंगे तो कम से कम उन लोगों की नौकरी के बीमे का तो म्युनिसिपैलिटियां प्रबंध कर ही सकती हैं जो आजकल एम्प्लायड हैं। कम से कम एकाध शहर में ऐसा हो सकता है जहां कि स्टेट इंशोरेंस स्कीम चल रही है जैसे कानपुर में आजकल मजदूरों के लिये सेंट्रल गवर्नमेन्ट की स्टेट इंश्योरेंस स्कीम चल रही है। इस प्रकार हमारी सरकार प्रयोगात्मक रूप में किसी एक शहर में अनएम्प्लायमेंट इन्शोरेंस स्कीम को भी चला सकती है। इस प्रकार इंश्योरेंस स्कीम्स को खोलने में हमें आश्चर्य नहीं होगा जब कि हम यह देखेंगे कि इंगलैंड के अन्दर यह स्कीम कम्पलसरी है और उसको वहां की म्युनिसिपैलिटीज करती हैं। वहां पर आज से तीन साल पहिले हर टाउन के अन्दर यह एम्पलायमेंट इंश्योरेंस स्कीम चालू हो गयी थी। यूनाइटेड स्टेट्स में सन् ३५ के बाद हर देहात और शहर में स्वायत्तशासन संस्थाओं के द्वारा यह स्कीम जारी है। हर व्यक्ति जो मुलाजिम है या जिसे अनएम्पलाइड होने का खतरा है उसको यह इंश्योरेन्स कराना पड़ता है।

अब प्रश्न आता है पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज का। हम देखते हैं इन सर्विसेज के द्वारा इंगलैंड में स्वायत्तशासन संस्थाओं को बड़ी भारी आमदनी होती है। बरमिंघम की म्युनिसिपैलिटी सेविंग बैंक चलाती है जिसके जरिये से उसको बड़ी भारी आमदनी होती है। हर्ल की म्युनिसिपैलिटी के पास टेलीफोन्स हैं इसी तरह से ब्रेडफोर्ड की म्युनिसिपैलिटी के पास वहां के सारे किराये के मकान हैं उसी की आमदनी से उसका सब काम चलता है। लंदन और मैनचेस्टर की म्युनिसिलिपैटीज के पास वहां के बंदरगाह हैं। वाटर वर्क्स, बिजलीघर तथा गैस की कम्पनियां आदि तो म्युनिसिपैलिटियों की हैं हीं लेकिन बंदरगाह आदि चीजों का म्युनिसिपैलिटी के हाथ में होना यह स्वायत्त शासन के अधिकारों को बढ़ाना और उनकी आमदनी को बढ़ाने के जरिये हैं। पब्लिक यूटीलिटी सर्विसेज के बारे में मैं यह नहीं कहता हूं कि उन पर एक दम से काम शुरू कर दिया जाय और सब चीजों को एक दम से लिया जाय लेकिन हम इस चीज को शुरू तो कर सकते ही हैं। म्युनिसिपल शासन को इस बात का मौका तो दे ही सकते हैं कि वह अपनी बस सर्विसेज चलाये या और कोई पब्लिक यूटीलिटी का काम यदि वह करना चाहे तो कर सके। मैं समझता हूं कि इसमें स्वायत्त शासन मंत्री जी को कोई आपत्ति सिद्धान्ततः नहीं होगी और न होना ही चाहिये इसलिये मैं समझता हूं कि इस चीज को डिस्क्रीशनरी पावर्स में रख दिया जाय तो कोई हर्ज न होगा। क्योंकि हमें म्युनिसिपैलिटियों के सामने उनके भविष्य का सारा प्रोग्राम रख देना है और उनको उसी के अनुसार अपनी स्कीम्स बनाना है। उनके सामने यह चित्र रख देना है कि भविष्य में उनको क्या-क्या करना है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (जे० जे०) के बाद मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी चारों धाराओं को मान लें। ये चीज हमारी पंचवर्षीय योजना में जो समाजिक अंग है उसका भी पृष्ठपोषण करेगी। इसके संबंध में मैं यह अर्ज भी कर दूं कि मेरा जो संशोधन है उसको खेर कमेटी भी पुष्ट करती है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि खेर कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पुरानी हो गयी है वह रिपोर्ट ब्रिटिश शासनकाल के जमाने की बनी हुई है आज ब्रिटिश शासन नहीं है अपना राज्य है इसलिये रिपोर्ट उतनी महत्व की नहीं जितनी पहिले थी। वह जो रिपोर्ट बनी थी ताकत को छीनने के लिये बनी थी लेकिन आज ताकत को अपने हाथ में लेने का प्रश्न नहीं है बल्कि उसको बांटने का है ये बातें कल उन्होंने अपने भाषण में कही। स्वायत्तशासन मंत्री के दृष्टि-कोण के अनुसार वह रिपोर्ट चाहे पुरानी हो गयी हो हमारे नेताओं या कार्यकर्त्ताओं ने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चाहे जो कुछ भी कहा हो या जो अलग-अलग कमेटियां उस समय बैठीं, उनकी महानता उसी समय के अनुकूल रही हो, लेकिन सिद्धान्त की जो बातें उन्होंने कहीं वे चाहे आने वाला समय हो, पीछे जाने वाला समय हो अथवा वर्तमान काल हो, उन सब में वे मान्य हैं। जैसे आन्दोलन के समय में हमने यह बात कही थी कि हमारे भविष्य की यह रूप-रेखा होगी, इस प्रकार से हम अपना चरित्र-निर्माण करेंगे। ये चीजें देखने की नहीं बल्कि करने की चीजें थीं।

यह उस समय केवल देखने की चीज नहीं थी, करने की थी, जो हमारा पुराना आदर्श था, हमारे लिये और इस सदन के लिये। श्रीमन्, अगर हम वही मान लें जो उस समय था, आज भी वही है और भविष्य में भी बना रहेगा तो मैं समझता हूं कि खेर कमेटी ने स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ ऐसे सत्य का निरूपण किया है तो उन सुझावों को जो कि दिये गये हैं, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट रूप से इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि जहां तक संभव होगा आज कल की स्थिति को देखते हुए खेर कमेटी की रिपोर्ट में, जो सत्य का अन्वेषण किया गया, उसको वे सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं। और इस बिल में और आगे आने वाले बिल में जो वे कहते हैं कि आवेगा, उसमें वे उन सुझावों के अनुसार बिल को बनाने की कोशिश करेंगे। खेर कमेटी की रिपोर्ट के पेज ३७ में नियम १०९ में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है--

"Undertaking public utility services such as lighting and power supply, water supply, arrangements for transport of passengers and goods, telephone service, insurance like medical insurance, unemployment insurance; and supply of milk."

तो इसमें कुछ बातें तो सन् ४८ के अमेंडिंग बिल में सरकार ने स्वीकार की थीं, लेकिन जितनी भी थे अनएम्प्लायमेंट इन्श्योरेन्स, मेडिकल इंश्योरेन्स वगैरह की बातें थीं, वे इसमें नहीं रखी गयीं। तो खेर-कमेटी की रिपोर्ट में भी इसे स्वीकार किया गया है। इसके अलावा धारा १०९-के में देखें:--

"taking measure for check of venereal diseases and providing clinics for the prevention and cure of such diseases."

धारा जे देखें--

"establishing, maintaining of assisting public infectious diseases hospitals and anti-tuberclosis centres."

धारा १०९-जे देखें। ओपेनिंग, मेन्टेनिंग, और एसिसिंग बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स। तो इस प्रकार यह पेज ३७ में खेर-कमेटी की रिपोर्ट में १०९ धारा है। तो श्रीमन्, यहां पर जितने सुझाव दिये हैं, वे खेर-कमेटी के प्लान में भी हैं, पंचवर्षीय प्लान में भी हैं। मैं समझता हूं कि सदन इनको स्वीकार कर ले तो इसमें कोई अपराध नहीं होगा। अगर डिस्क्रिशनरी पावर इस प्रकार से म्यूनिसिपैलिटियों को दें, इस तरह से प्रयोगात्मक प्रयोग करें तो मैं समझता हूं कि यह कोई अपराध नहीं होगा। अन्त में मैं फिर इस संशोधन को रखते हुए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इन चारों संशोधनों के हिस्से को मानने की कृपा करें और अगर किसी हालत में आप चारों को न मान सकें तो तीन, दो या एक हिस्से को तो अवश्य ही मान लें।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने इस सदन के सामने रखे हैं, उनमें एक आध चीज को छोड़ कर कोई ऐसी बात नहीं है जो कन्ट्रोवर्शियल हो या जिसको मानने से किसी को इन्कार हो। मैं बर्थ कन्ट्रोल इत्यादि की बात को इतने बड़े दर्जे का नहीं मानता, जितना और सब बातों को मानता हूं और जिसका कुछ तजुर्बा

भी किया जा चुका है। इसलिये जो पहिला हिस्सा है प्रोपेनिंग, मेन्टेनिंग ऐन्ड असिस्टिंग बर्थ कंट्रोल क्लीनिक्स आदि, यह एक ऐसी बड़ी चीज है जिसको अभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं नहीं किया है। करने की कोशिश हो, वे कुछ तजुर्बा करें तब फिर हम म्युनिसिपैलिटियों से कहें कि यह हो सकता है। लेकिन आज इस हालत में जबकि हमने उसको अच्छी तरह से समझा भी नहीं है तो म्युनिसिपैल्टियों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालना कहां तक ठीक होगा। जहां तक और चीजों का सम्बन्ध है ४-जे और ५-जे में जो चीजें लिखी हुई हैं वे सब चीजें जो इस वक्त क्लाज ८ आफ दि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है, उसमें सब शामिल हैं और उसमें से बहुत सी चीजें म्युनिसिपैलिटीज कर रही हैं। उनमें अगर नहीं हो रहा है तो वह उनकी कठिनाइयां हो सकती हैं, जिसमें खास तौर से आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन ये चीजें कई जगहें हो रही हैं। जहां तक अन्तिम चीज है, यह शिड्यूल ६ जो छापा गया है, उसका एक हिस्सा हो जाता है :

"Under taking public utility services i. e. arrangement for transport of passangers and goods." यह भी जो आज का कानून है उसमें शामिल हैं।

और इस तरह की चीजें कहीं कहीं म्युनिसिपैल्टीज कर रही हैं। इसलिये यह जो दूसरी, तीसरी और चौथी यानी गुड्स तक, ये सब चीजें इस वक्त के कानून में शामिल हैं और इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला हिस्सा जैसा मैंने अर्ज किया कि वह इतना कन्ट्रोवर्शल है वह जनता के सामने नहीं है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको बड़े पैमाने पर नहीं किया है और म्युनिसिपैलिटीज से यह आशा करना ज्यादती होगी। एक हिस्सा और है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेन्स, अनएम्लायमेंट इंश्योरेन्स, टेलीफोन सर्विसेज आदि हैं इनके लिये जब मैं कांस्टीट्यूशन देखता हूं तो उसमें यह चीजें यूनियन लिस्ट के अन्दर दिखाई गयी है। यूनियन लिस्ट का जो ३१वां आइटम है, उसमें है पोस्ट ऐन्ड टैलीग्राफ्स, टेलीफोन्स, वायरलेस, ब्राडकास्टिंग ऐन्ड अदर लाइक फार्म्स आफ कम्युनिकेशन्स, यह यूनियन लिस्ट में है और आइटम ४७ जो है, इंश्योरेन्स वह भी यूनियन लिस्ट में हैं, जिन पर हमको लेजिस्लेशन करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से यह तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं, उसमें यूनियन लिस्ट की बातें अगर निकाल दी जायं और पहिला हिस्सा बर्थ कन्ट्रोल और प्लानिंग का निकाल दिया जाय तो बाकी तमाम हिस्सा इस वक्त के कानून में शामिल है, इसलिये यह अमेंडमेंट कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें और दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। अगर यह हम कर देते हैं तो उसके माने यह होंगे कि अब तक के कानूनों में इन चीजों का कोई इन्तजाम नहीं था और यह काम जो म्युनिसिपैलिटियां अब तक कर रही थीं और समझती थीं कि कर रही हैं और हम भी उसको रोकते नहीं थे तो फिर सवाल यह पैदा होगा कि जहां कहीं वेनरल डिजीज और इन्फेक्शस डिजीजेज हास्पिटल यहां हमारी स्टेट म्युनिसिपैलिटियां इस समय कर रही हैं तो फिर सवाल यह पैदा होगा कि अब जो नये अधिकार दिये जा रहे हैं या जो नयी ड्यूटीज और फंक्शन दिये जा रहे हैं वह पहले नहीं थीं तो जो म्युनिसिपैलिटीज अब तक कर रही थीं उनका क्या होगा, वह ठीक कर रही थीं कि गलत? इसलिये इससे उसका नुकसान होने का अन्देशा है, फायदा होने का नहीं। इसलिये मेरा ख्याल है कि यह अमेंडमेंट जरूरी नहीं है, बल्कि उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बात श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह कही कि पुरानी कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में मन्त्री जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनके लिये वह सब पुरानी रिपोर्ट सत्य है। मेरी अपनी राय है कि चाहे पुरानी रिपोर्ट हो या नयी रिपोर्ट हों हमें उनको अपनी अक्ल की कसौटी पर कस कर हमेशा सत्य को जांचना चाहिए। और जो सही दिखायी दे, वही सत्य है चाहे पुरानी हो या नयी हो। और अगर हमारी समझ में कोई चीज नहीं आती है तो केवल इसलिये कि किसी बड़े आदमी की रिपोर्ट है या किसी बड़े आदमी ने लिखा है, इसलिये हम मान लें कि वह ठीक है, या गलत है। यह भी साफ है कि अवस्था भिन्न है, क्योंकि उस वक्त कांस्टीट्यूशन ऐक्ट नहीं था। आज कांस्टीट्यूशन

[श्री मोहन लाल गौतम]

एक्ट में बहुत से बन्धन पड़ गये हैं। अगर खेर-कमेटी ने इंश्योरेन्स के बारे में कुछ कहा हो तो मेरा तो अदब से निवेदन है कि आज आप इंश्योरेन्स के बारे में लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। इसलिये मैं किसी रिपोर्ट को पूरे तौर से सही या गलत नहीं मानता। मैं तो यह देखूंगा कि आज की अवस्था में कौन सी चीज किस तरह से यहां ठीक बैठती है। उसको मानना चाहिए या अगर नहीं बैठती है तो नहीं मानना चाहिये। खैर! यह तो अलग सी चीज थी। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि नारायणदत्त जी इन सब बातों को सुनने के बाद अपना संशोधन वापिस ले लेंगे और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदत्त जी द्वारा उपस्थित संशोधन के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी की बात सुनने के बाद मैंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अब माननीय मन्त्री जी की सेवा में कुछ निवेदन अवश्य करूं। जहां तक कि नारायण दत्त जी द्वारा उपस्थित संशोधन है उसके चार क्लाजेज हैं। उसका जो प्रथम यानी (जे जे जे) है वही उस संशोधन का सब से महत्वपूर्ण अंश है और इस महत्वपूर्ण अंश के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि यह उनके लिये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। मैं अब यह समझ सकने में असमर्थ हूं कि आखिर जिस बात की चर्चा आज हमारे हिन्दुस्तान में प्रत्येक तार्किक करता है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति करता है कि हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है। इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। इस पर रोकथाम होनी चाहिए। चाहे वह पंडित जवाहर लाल जी नेहरू हों, चाहे श्री राधा कृष्णन जी हों जो हमारे वाइस प्रसीडेन्ट हैं, इन तमाम लोगों की चर्चा यहां की जाय तो सब लोग एक स्वर से कहते हैं कि फेमिली प्लानिंग होनी चाहिए और अभी कुछ समय पहले समाचार-पत्रों में हमारे जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस बात को पढ़ा होगा कि राधाकृष्णन जी ने तो फैमिली प्लानिंग (कौटुम्बिक व्यवस्था) पर बहुत ही जोर दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी फैमिली में ज्यादा सदस्य हो जाते हैं तो उस फैमिली का आनन्द नष्ट हो जाता है। अब माननीय मन्त्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि जरा वह हिन्दुस्तान की आबादी की तुलना दूसरे देशों की आबदी से करें तो उनको मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में जहां एक वर्गमील पर तीन सौ आदमी हैं वहां रूस में एक वर्गमील पर बीस आदमी हैं। वहीं अमेरिका में एक वर्गमील पर ५० आदमी हैं और वहां आस्ट्रेलिया में एक वर्गमील पर नौ आदमी हैं। कहां नौ, बीस और पचास और कहां हिन्दुस्तान में तीन सौ। तो इतनी घनी आबादी हो जाने के बाद भी अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात न करें और अगर हमारे वंश की बात हो तो उस वक्त भी हम अपने विभागों में स्थान न दें तो यह बड़े आश्चर्य की बात है।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने यूनियन लिस्ट की चर्चा की उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। अगर यूनियन लिस्ट में वह बात आती है तो इस संशोधन का वह अंश हटा दिया जायगा, मगर यह यूनियन लिस्ट में नहीं आता है और जो सबसे महत्वपूर्ण इस संशोधन का अंश है उसको मानने में क्या आपत्ति है, उस पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। हां, केवल एक बात उन्होंने कही कि अभी बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेट की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया है और उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं की है, तो म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर उसका भार छोड़ना अनुचित सा है। मैं समझता हूं कि अब वह जमाना आ गया है कि म्युनिसिपैलिटीज को ऐसे काम को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसमें जहां तक फाइनेन्स की बात है अगर माननीय मन्त्री जी के सामने हो तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे का भी खर्चा नहीं है। जहां तक कार्य का सम्बन्ध है तो उस समय बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स के चार विभाग हो सकते हैं। प्रथम तो उसका एक सर्जिकल विभाग होता है जिसको हम शल्य शालक्य कह सकते हैं। तो शल्य शालक्य का अगर उस सीमा के अन्दर कोई हास्पिटल है तो उसके किसी एक वार्ड के अन्दर हम उसे कायम कर सकते हैं। इसी प्रकार से गर्भ निरोधक अथवा गर्भ कीटाणुनाशक द्रव भी इस्तेमाल होते हैं, उससे भी गर्भ निरोध किया जा सकता है, इसके बाद और

भी साईन्टिफिक मैथड्स हैं । चौथा मैथड्स जिसको मैं समझता हूं भारतवर्ष में पैदा हुआ प्रत्येक मनुष्य, पति-पत्नी का सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है, सेफ पीरियड (बचाव का समय) कहते हैं । इस "सेफ पीरियड" की भी चर्चा होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि इसको सामने रखने में किसी को हिचक हो । इन तमाम का प्रयोग कर हम क्लीनिक्स खोलें, म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर इसका भार जाय तो म्युनिसिपैलिटीज ऐसी शिक्षा को प्रयोग में लाकर इन बातों को कहकर जनता के अन्दर उनके जीवन को वैज्ञानिक तरीके से ढाल कर इस तरीके से नियंत्रित कर सकती है कि आबादी के एक तरीके की प्रगति हो रही है. और अन्न समस्या की शंकाएं और दूसरी समस्यायों की शंकाएं जो हर समय हमारी सरकार के सामने उपस्थित हुआ करती हैं उन पर भी पार पाने का एक सुगम और सरल रास्ता हो जाय ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यद्यपि हम इन बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स के सम्बन्ध में एक अलग से विधेयक भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं और करीब करीब वह विधेयक हमारा तैयार भी हो चुका है , मगर हम यह नहीं दखते कि जब म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्दर भी यह बात आ सकती है, और जब आज इसकी हमें गुंजाइश है , इसका हमें अवसर है तो हम इस संशोधन के जरिये अभी से म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर इसका भार क्यों न लाद दें ! मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं कि आप म्युनिसिपैलिटी पर इसका कम्पलशन करें, उनको बाध्य करें कि वे इसको अपने काम का सब से महत्वपूर्ण अंग बनावें । मैं समझता हूं कि अगर यहां पर हमारे यहां जो प्रसिद्ध डाक्टर्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ मेडिकल कालेज में एक डाक्टर गुजराल साहब थे, जो कि अब भ्रमणार्थ गये हुए हैं, उनके पास भी ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, इस सम्बन्ध मे कि उनकी परीक्षा भी बहुत से लोगों ने की है और जो कि दो दो, तीन तीन, चार चार आने के मसाले में उनके जरिये बर्थ कन्ट्रोल का काम किया जा सकता है ।

श्री मोहन लाल गौतम--मेरा ख्याल है कि यह भवन इस काम के लिये इस्तेमाल न किया जाय कि किसी डाक्टर का एडवर्टिजमेंट किया जाय कि उसके पास कोई मेडिसिन्स मौजूद हैं ।

श्री राज नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी की खिदमत में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐडवर्टिजमेंट नहीं कर रहा हूं , बल्कि इस तरह के ऐडवर्टिजमेंट उनके जरिये अक्सर होते रहते हैं । जहां तक कि ऐडवर्टिजमेंट की बात है, उस सम्बन्ध में अगर हमारा जो संशोधन है उस पर और जो हमारे दूसरे संशोधन हैं उन पर अगर गौर किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा

श्री मोहन लाल गौतम--मैंने तो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था कि किसी इंडिविजुवल का यहां रेफरेन्स इस हाउस में इस तरह से करना कि उसके पास इस तरह का कोई नुस्खा है यह गलत है, इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--नियम के अनुसार तो इस प्रकार का ऐडवर्टिजमेंट नहीं करना चाहिए।

श्री राजनारायण--मैं आपकी खिदमत में पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी बुद्धि के अनुसार और राजनीतिक शास्त्र तथा कान्स्टीट्यूशन के अनुसार और प्वाइन्ट आफ आर्डर जिसका कि ट्रांस्लेशन कभी हमारे माननीय मन्त्री जी हुक्म की नोक पर भी करते रहे होंगे उस हुक्म की नोक का कोई प्रश्न यहां पर नहीं आता, कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता और अगर आप आज्ञा दें तो मैं बैठकर उनकी वैधानिकता सुनने को तयार हूं ।

एक सदस्य--रूलिंग हो जाने के बाद क्या सदस्य को अधिकार है कि उसको चैलेन्ज करें ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कह देना चाहता हूं कि मैंने यह फैसला कर दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता के विषय में चर्चा करना एक तरह से उसकी योग्यता का ऐंडवर्टिजमेंट करना है, इसलिये यह मुनासिब नहीं है ।

श्री अख्तर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—"It is not advertisement. It is personal experience." [यह ऐडवर्टिजमेंट नहीं है, यह निजी अनुभव है।]

श्री राजनारायण—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो शंका वैधानिक आपत्ति के बारे में माननीय मन्त्री जी ने उठायी है, उसके बारे में आपने हमें कोई ऐसी रूलिंग नहीं दी कि वह वैधानिक आपत्ति थी। मगर जहां तक कि किसी व्यक्ति-विशेष की यहां पर प्रशंसा और किसी व्यक्ति विशेष के ऐडवर्टिजमेंट का सवाल है मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी का ऐडवर्टिजमेंट नहीं करना चाहता हूं। मगर उसी के साथ साथ मैं समझता हूं अपना कर्त्तव्य कि आपके जरिये भवन के सामने रखूं कि अगर कोई ऐसी दवा किसी व्यक्ति विशेष के पास हो, जिसका कि इस्तेमाल हो तो उसको वह करे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जहां तक बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स की बात थी उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि आज म्युनिसिपैलिटीयों का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए और स्वायत्त शासन की जितनी संस्थायें हैं उनका यह यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि आज बर्थ कंट्रोल की समस्या पर वह विचार करें। आज आबादी पर विचार करें कि हमारी आबादी किस द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। उसका गहन विचार करें और उस पर कोई न कोई जो भी उनको वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हों उन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करें।

इसके बाद माननीय नारायण दत्त जी का संशोधन जो चौथा (जे) है :

"(*jjj*) Establishing, maintaining and assisting public infectious diseases hospitals and Anti-Tuberclosis Centres."

इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी गुंजायश तो आलरेडी पहले से इस नियम के अन्दर है।

दूसरे के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस नियम के अन्दर गुंजायश है। तो मैं आपके जरिये पुनः माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर गुंजायश है तो उसके विवाद में माननीय मंत्री जी क्यों जाते हैं और जब कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है म्युनिसिपलिटीज के ऊपर तो माननीय मंत्री जी को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये ताकि आगे चल कर यह दिक्कत न रह जाय कि वर्त्तमान ऐक्ट के अन्दर इसकी गुंजायश है या नहीं है। हम समझते हैं कि इस बात को कह करके माननीय मंत्री जी ने इसके औचित्य को स्वीकार किया है और अगर इसके औचित्य को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है तो इसके अन्दर हमको तनिक भी घपला नहीं रहने देना चाहिये। इसलिये माननीय मंत्री जी को यह चतुर्थ (जे) अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसके बाद जो छः (जे) के साथ संबंधित संशोधन है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने यूनियन लिस्ट का हवाला दिया। मैं समझता हूं कि अगर यूनियन लिस्ट को भी अच्छी तरह से देखा जाय अगर उसका विवेचन किया जाय और उसके बारे में केवल यह न कह दिया जाय कि जहां भी जरूरत पड़ती है, एक न एक बात उठा कर करके रख दी जाती है, चाहे हमारे अधिकार सीमा के अन्दर हो या न हो, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के हम मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में अपने यहां के कानून बना सकते हैं। महुवा म्युनिसिपैलिटी की चर्चा अक्सर सुनी गयी है। महुवा म्युनिसिपैलिटी एक म्युनिसिपैलिटी है जहां पर कि सोशलिस्ट पार्टी प्रबन्ध कर रही है। उन्होंने अपने यहां के मरीजों के लिये अच्छे तरीके से प्रबन्ध किया है। वे केवल प्रचार कर दिया करते हैं। उनके लाउड स्पीकर्स हर सेंटर में जा करके प्रचार करते हैं और कहते हैं कि हम मुफ्त में तुम्हारे यहां दवा पहुंचायेंगे, तुम बीमारी की खबर हमें दो और एक रुपया दो। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम गौरव का अनुभव करते हैं यह कहने में कि हिन्दुस्तान के अन्दर वह म्युनियपैलिटी आदर्श है।

इन तमाम बातों के कहने के बाद अब आपके जरिये पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन तथ्यों को अपने ध्यान में लाने की कृपा करें और आरोप तथा प्रत्यारोप क रास्त पर न जायं। अगर आरोप और प्रत्यारोप का रास्ता अख्तियार किया जाता है तो उसमें जो वस्तुस्थिति होती ह वह दृष्टि से ओझल हो जाया करती है और वस्तुस्थिति जब दृष्टि से ओझल हो जाती ह तो केवल तू तू और मैं मैं में समय नष्ट होता है। हम नहीं चाहते कि तू तू और मैं मैं में समय नष्ट हो बल्कि वस्तुस्थिति जो हमारे मुल्क में विद्यमान ह उसको मद्देनजर रख कर माननीय मंत्री जी अगर कार्य करेंगे तो विरोधी पार्टी उनक कार्य में हमेशा सहयोग देने के लिये तैयार रहेगी। मगर आरोप और प्रत्यारोप क रास्त पर चल कर अगर माननीय मंत्री जी यह चाहेंगे कि उनके किसी गलत प्वाइंट को हम स्वीकार करें या उनकी किसी गलत दलील के सामने हम नतमस्तक हों, तो इसको हमने न कभी सीखा ह और न सीखेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ और इन बातों के आग्रह क साथ मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी स निवदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी जो हमार द्वारा तक रख गये हैं उन तर्कों पर विचार करें। अगर उन तर्कों पर व विचार करेंगे तो हम विश्वास ह कि नारायण दत्त जी के द्वारा, जो संशोधन उपस्थित किय गए हैं उनको वे सहर्ष स्वीकार करेंगे।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो संशोधन पश किया गया है इट इज ऐन अननससरी बरडेन आन दि बिल, बिलकुल व्यर्थ ह। माननीय मंत्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया कि जितनी चीजें इस में आवश्यक हैं उनमें से कुछ कनसन रखती ह यूनियन से और कुछ ऐसी हैं जो हमारे बिल में मौजूद हैं। डिजीजेज के बारे में उन्होंने बतलाया कि हर म्युनिसिपलिटी में इसका अरेंजमेंट है और श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि क्या हज है अगर इसको कर दिया जाय, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसकी जरूरत ही नहीं ह, जब कि वे बातें दी हुई हैं तो उनकी क्या जरूरत है। हमें एक सुन्दर बिल लाना ह। किसी मम्बर न कह दिया कि साहब हमारे खातिर इसको रख दीजिए, यह कौन सी दलील है, यह तो बिलकुल व्यर्थ दलील है।

दूसरी बात कही गयी बर्थ कंट्रोल के बारे में। भारत की संस्कृति को मद्देनजर रख कर हमारे पूर्वजों न यह कभी नहीं रखा कि हम बच्चे न पैदा करें। फ्रांस का दृष्टांत दिया जाता ह। फ्रांस में जब महायुद्ध हुआ तो वहां मार पीट और युद्ध होने के बाद बच्चे नहीं रह गय, जो फ्रांस को पनपाने वाली सन्तान थी वह नहीं रह गयी। उनके यहां केवल बूढ़े-बूढ़े रह गये और सिर्फ स्त्रियां रह गयीं। मैं माननीय राज नारायण जी को बतलाना चाहता हूं, वह तो खुद ही खिसक गये तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज अभी विचाराधीन ह, वह अभी आकाश में ह और आप उसे खजूर म अटका देना चाहते हैं। यह जो चीजें हैं, हमारे ऊपर आननससरी बर्डन होंगी। इससे वेस्ट आफ टाइम और वस्ट आफ इनरजी होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो पहला अमेंडमेंट है वह विचाराधीन है, लेकिन जैसा कि अभी तक एक सज्जन ने कहा कि हवाई किले उड़ाये जा रहे ह, तो हवाई किला उड़ाना व्यर्थ है,। जब मेहतरों को नाइट स्वायल की आमदनी देने का कोई प्रबंध नहीं है तो इन चीजों का प्रबन्ध कहां से हो जायगा, कहां स म्युनिसिपैलिटी के पास खजाना आ जायगा। अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि इतना बड़ा बोझ हम उठा सकें। इतना बड़ा बोझ आज हम डाल देंगे तो म्युनिसिपैलिटी अटर फेल्योर हो जायेंगी। आज सुबह इलाहाबाद के चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास पसा नहीं है कि हम एफोर्ड कर सकें, यह कम्पोस्ट की स्कीम अटर फेल्योर हो जायगी।

मैंने देखा कि शहरों में जो टी० बी० के इंजेक्शन लगाने के लिये मोटरें घूम रही हैं, तो जनता में यह प्रचार हो रहा है कि सरकार हमको नपुन्सक बनाने का टीका लगवा रही है। यह लाल टोपी वाले भाई उल्टा प्रचार करते हैं। यहां पर कुछ कहते हैं और वहां जाकर कुछ कहते हैं।

[श्री शिवनारायण]

एक साहब हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह जब यहां से जाते हैं तो हमारी कांस्टीटुयेंसी में ऐसा प्रचार करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो काम किया जाय, ठोस किया जाय। कहा जाता है कि हम समय की बचत करते हैं, लेकिन करते हैं वेस्ट आफ टाइम और वेस्ट आफ इनरजी। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम आज इस विषय पर हमारे माननीय शिवनारायण जी को भी कुछ बोलने का मौका मिला। साथ ही साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन को इस सदन के सामने ला कर बड़ा उपकार किया और यह संशोधन एक ऐसे माननीय सदस्य के द्वारा यहां पेश हुआ है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि यह भी एक कारण है कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल की बात कही। पर जिस चीज को लेकर उन्होंने आज इस संशोधन को इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

हिन्दुस्तान की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। मैं उस हिस्से पर ज्यादा कहूंगा जहां पर यह है "opening, maintaining and assisting Birth Control Clinics." आप लोगों को परेशानियां होती हैं। जब खाद्य समस्या पर बहस चल रही थी तब कुछ लोगों ने कहा था कि गोरखपुर में ऐसे ऐसे परिवार देखे गए जिनके घर में खाने को नहीं था लेकिन आठ आठ और दस दस बच्चे थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई, आपके पास खाना वगैरह तो कुछ है नहीं और इतने बच्चे आपके घर में हैं तो कुछ बर्थ कंट्रोल होना चाहिये। तो उन्होंने कहा कि यही हमारा धन है। तो इसलिये जब तक ऐसा कोई इंतजाम न किया जाय जहां लोग जा सकें, जहां बर्थ कंट्रोल के क्लिनिक्स हों और उनका फायदा लोग उठा सकें तब तक यह बर्थ कंट्रोल वाली बात चल नहीं सकती है। जहां लोगों को मालूम हो जायगा कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ऐसे क्लिनिक्स खुले हुए हैं तो वे उनका फायदा अवश्य उठायेंगे। अब तक यह नहीं है तो आज लोगों को तो डाक्टरों के पास जाते शर्म आती है और बहुत से यह समझते हैं, जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा, कि दवाय वगैरह ऐसी हैं जिससे लोगों को गलत धारणा हो जाती है कि इससे बीमारियां वगैरह न बढ़ जायं। इसलिये अगर इसका इंतजाम म्युनिसिपैलिटी में हो तो मैं समझता हूं कि इससे हिन्दुस्तान की आबादी जो बराबर बढ़ती जा रही है वह कम हो जायगी। इस देश की आबादी तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा आबादी बढ़ गयी तो हिन्दुस्तान में इस समस्या को हल करना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि चाहे बहुत ज्यादा धन इसमें न खर्च किया जाय, जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि रुपया बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो ज्यादा रुपया न खर्च किया जाय, लेकिन एक हवा एसी फैला दी जाय जिस तरह से कि लोगों का यह खयाल हो गया है कि ऐंटी टी० बी० की सुइयां लगा कर उससे बचा जा सकता है। तो भी काम चल सकता है। अगर हमारी म्युनिसिपैलिटीज में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स खोले जायं तो उससे एक हवा पैदा हो सकती है और लोग फायदा उठा सकते हैं। और केवल यह प्रचार करना कि बच्चे कम पैदा करो, इससे कुछ ज्यादा काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री इसकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे। वह चाहते हैं कि मुल्क में कम बच्चे पैदा हों तो मैं समझता हूं कि एसा करने में उनको काफी सहूलियत हो जायगी।

अब रहे ऐंटी टी० बी० सेंटर्स। मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में आज टी० बी० जोरों से फल रही है। कानपुर का मैं समझता हूं शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा हो जहां पर टी० बी० के बीमार न हों। हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे दोस्तों की चिट्ठियां आती हैं जो चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में

भुवाली या आसपास के पहाड़ों पर उनके इलाज के लिये कोई इंतजाम कर दें। अगर इस टी० बी० की बीमारी को हमने न रोका, अगर इसके लिये हमारी म्युनिसिपैलिटीज कुछ प्रयत्न न करेंगी तो हमारा प्रान्त टी० बी० से भर जायगा। आज पहाड़ों पर भी हम देखते हैं कि जगह जगह ऐसे मकानों में लोग रहते हैं जिनसे इन्फेक्शन पैदा होता है। भुवाली का नाम ही जब यहां के लोग सुनते हैं कि बीमार भुवाली चला गया तो समझते हैं कि मामला आखिरी स्टेज पर है। भुवाली के पास से गुजरते ही बहुत से लोग अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। शायद लोग समझते हैं कि वहां की हवा में टी० बी० के कीड़े रहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी म्युनिसिपैलिटियों में टुबरक्लोसिस की बीमारी को रोकने के लिये अगर सरकार की तरफ से कोई प्रबंध होगा तो यह जो बड़ी भारी भयानक बीमारी है इसमें हमारे प्रदेश में कमी होगी। पहाड़ों पर भी इतना इंतजाम नहीं हो सकता है। आज जितने हमारे टुबर क्लोसिस के अस्पताल खुले हैं वह भुवाली वगैरह में हैं उनसे काम नहीं चल पाता है। हजारों ऐसे लोग हैं जो सैनेटोरियम के आस पास प्राइवेट मकानों में रह कर अपना इलाज करा रहे हैं क्योंकि उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पाती है। अगर म्युनिसिपैलिटीज सब जगह उनके इलाज के लिये इजक्शन्स वगैरह का इंतजाम कर दें तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि जो टुबरक्लोसिस के मरीज जो सेकेंन्ड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वह पहले स्टेज में ही ठीक हो सकते हैं और यह बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है।

इसलिये आज हमारे प्रान्त का धन उन बच्चों के लिये, प्रांत के उन रहने वालों के लिये जिनके पास खाना नहीं है, पीने को दूध नहीं है और ऐसे साधन भी नहीं हैं जिससे वह अपनी तन्दुरुस्ती अच्छी रख सकें, खर्च करना चाहिये। दूध का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है इसलिये बच्चों को दूध नहीं मिल सकता है। एक काम तो म्युनिसिपलिटीज कर ही सकती है। और वह यह है कि इस तरह के टुबर क्लोसिस क्लिनिक्स खोल सकती है। इससे लोग फायदा उठा सकते हैं। आज हमारे यहां बहुत से शहरों में, रानीखेत को ही ले लीजिए वहां टुबर क्लोसिस का कोई पेशंट नहीं रह सकता है। वहां किसी ऐसे मरीज को आने ही नहीं देते हैं। अगर इस बात का पता हो जाय कि टी० बी० का कोई मरीज है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आज हमारी म्युनिसिपैलिटीज इस चीज का ख्याल करें कि जो इस किस्म की बीमारियां हैं उनके रोकने का पूरा प्रबंध किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बीमारी जो बढ़ रही है इसमें कमी हो जायगी और मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज का यह फर्ज है कि वह अपने म्युनिसिपल हद्दूद के अन्दर अपने यहां के रहने वाले लोगों के लिये जहां ज्यादा कंजशन है, उनको बीमारी से बचाने के लिये ऐसे सेंटर्स खोलें।

जहां तक यूटिलिटी आफ सर्विसेज और अरेंजमेंट फार ट्रांसपोर्ट आफ पैसेंजर्स का संबंध है उसके संबंध में मंत्री महोदय ने वैधानिक आपत्ति बतलाई है उसके लिये मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी बसेज के रन करने से बढ़ सकती है।

श्री मोहन लाल गौतम--इस संबंध में मैंने वैधानिक आपत्ति के लिये नहीं कहा था। टेलीफून और इंश्योरेंस के लिये कहा था और बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज बसेज रन कर रही हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--यही मैं समझता हूं और बम्बई में बहुत सी कंपनियां यह काम करती हैं और बम्बई कारपोरेशन की सब से बड़ी आमदनी होती है बस कम्पनी से। मसूरी की सारी आमदनी वहां की बिजली से होती है वरना वहां की म्युनिसिपैलिटी का खर्चा नहीं चल पाता। उस इलेक्ट्रिसिटी को मसूरी म्युनिसिपैलिटीज देहरादून को सप्लाई करती है और उससे जो आमदनी होती है उससे म्युनिसिपैलिटी का खर्चा चलता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट के रोड-वेज की बस चलें, अगर म्युनिसिपैलिटीज उन बसों को चलायें तो उससे उन म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी काफी बढ़ सकती है और उससे जनता को सहूलियत भी हो सकती है और अगर वह ठीक काम न कर सकेंगी तो जो भी वहां के मेम्बरान होंगे उनका क्रिटिसिज्म हो सकता है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लेकिन आज जो गवर्नमेंट की रोडवेज हैं उन पर जो बसें चलती हैं उनकी शिकायत गवर्नमेंट को लिखिए, लिखते-लिखते सालों गुजर जायेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिये मैं पूछता हूं कि ऐसी चीज जिनसे म्युनिसिपैलिटीज में रहने वाले लोगों का डायरेक्ट कंसर्न है, तांगे, इक्के और मोटर कंवेयन्स वगैरह म्युनिसिपैलिटी को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

टेलीफोन सर्विस के बारे में कुछ कहूं तो जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि वह तो सेंट्रल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी जहांतक मेडिकल और इंश्योरेंस की बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, जो डाक्टर्स म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर प्रैक्टिस करते हैं उनका एसोसियेशन बनाकर उनको एक एक मोहल्ला सौंप दिया जाय और अपने अपने मोहल्ले की सर्विस करना उनका फर्ज होगा। कोई बड़ा केस चला आया तो वह तो जो बड़े अस्पताल हैं उनमें चला जायगा इन डाक्टरों से कह दिया जाय कि जिनके मुहल्ले में लोग कम बीमार होंगे उनको प्रोत्साहन दिया जायगा और उन डाक्टरों को एक फिक्स्ड इनकम दी जाय जो आप डाक्टर्स को अस्पतालों में दिया करते हैं। जो पैसा जनता से वसूल किया जाता है उसी पैसे में से उनको तनख्वाह दी जाया करे। इस तरह से आप म्युनिसिपैलिटीज का प्रबन्ध बेहतर कर सकते हैं और केवल यह कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो, सड़कों की देखभाल कर दी, एक-आध स्कूल खोल दिये चाहे पढ़ाई हो या न हो, अस्पताल खोल दिया चाहे मरीज का इलाज हो या न हो, अगर ऐसा करना है तब तो ठीक है लेकिन अगर हमको आइडियल म्युनिसिपैलिटीज कायम करना है और जब हम मास्टर प्लान की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या यह डिसेंट्रलाइजेशन म्युनिसिपल बोर्ड्स को थोड़े से अधिकार देने से पूरा हो सकता है अगर सचमुच डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो मास्टर प्लान की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। म्युनिसिपैलिटी की हालत को सुधारना हमारा फर्ज होगा। इसीलिए जब आप म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करते हैं और दूसरी तरफ साथ साथ मास्टर प्लान की बातें करते हैं तो सचमुच वह एलीमेंट जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो जनता की भलाई करना चाहता है वह म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में खड़ा होगा नहीं तो वही भाग लेंगे कि किसी को सड़कों का ठेका लेना है तो वह उसके लिये खड़ा हो जायगा, कोई कहेगा कि हमें अस्पताल बनाने का ठेका मिल जायगा और कोई कहेगा कि हमें स्कूल में टीचर्स मिल जायेंगे, अगर यह बातें रहीं तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज ठीक काम नहीं कर सकतीं। हमारा उद्देश्य यह है कि जब इलेक्शन होने वाला है और आगे कारपोरेशन बिल आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि यह सब हो तो नारायण दत्त जी ने जो संशोधन रक्खा है उसको मानने में आपको कोई एतराज न होना चाहिये। जिन चीजों को आप समझते हैं कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं उनको आप हटा सकते हैं लेकिन जिन चीजों को रख सकते हैं उनको आप रख लें।

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में बहुत सी चीजें हैं उनमें से बहुत सी हम नहीं करते। अगर आप लिख दें और उनमें से जिन्हें आप ठीक समझें उनको करें और म्युनिसिपल बोर्ड्स में जो लोग जायं उनसे कह सकते हैं कि वे उनको करें।

यह कोई ऐसी कम्पलसरी चीज नहीं है कि वह रहे। अगर वह कर सकती है तो उसको यह करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस चीज के उसमें दर्ज होने से उसका काम आसान हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री जी ने इस चीज को इस बिल के अन्दर इन्क्लूड करने से क्यों एतराज किया है। कोई डिस्क्रीशन म्युनिसिपैलिटी का इस तरह से नहीं होना चाहिये जैसा कि आजकल है। ऐसा तो तब भी हो सकता है अगर वह चाहें तो करें। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना फिर करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और अगर उनका यह विचार है कि आइडियल म्युनिसिपैलिटीज होनी चाहिये और हमारे बच्चों की जिन पर भविष्य निर्भर करता है, उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहे तो वह इस चीज

को स्वीकार करने की कृपा करें और इसको इसमें रखें। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस संशोधन को पेश करके जिस उच्च दृष्टिकोण का परिचय अपने संशोधन के द्वारा दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। परन्तु मुझे दुख है कि उनकी इस उच्च भावना का आदर करते हुए भी मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि माननीय सदस्य पहले इसके कि वह इस संशोधन पर विचार करें, उनको सोच-विचार करके इस बात का फैसला कर लेना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटियों की और उसकी मशीनरी जो जनहित के गुड्स डिलीवर करने के लिये बनाया गया है आया उस मशीनरी के अन्दर वह ताकत वह शक्ति निहित है या नहीं कि जिन गुड्स को वह इस संशोधन के द्वारा चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी मैनुफैक्चर करके जनहित को आगे बढ़ाये।

जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सारे सदन के माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि म्युनिसिपैलिटी का वह आदर्श प्राइमरी स्कूल जो कि कौंसिलस रेजीडेंस के १० गज की दूरी पर पीछे की तरफ चालू है वहां पर रात को गधे व खच्चर टट्टी और पेशाब करते हैं। ऐसे स्थान पर हमारे बच्चे जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है और जिनमें से हमको भविष्य के राजेन्द्र बाबू जवाहर पैदा करने हैं उन्हें इस गन्दगी में वहां पर पढ़ने के लिये रखा जाता है। यह बात किसी माननीय सदस्य से छिपी नहीं हुई है। लखनऊ का म्युनिसिपल बोर्ड जहां कि हमारे प्रदेश की सरकार रहती है वहां का यह ज्वलन्त उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है।

जहां तक तन्दुरुस्ती का प्रश्न है म्युनिसिपैलिटी ने हजरतगंज के चौराहे के सामने एक सिविल डिसपेंसरी खोल रखी है जो कि आप लोगों की नजरों के सामने है। गर्मी के मौसम में मैंने हजारों की तादाद में बीमारों को वहां पर मक्खियों की तरह भिनकते हुए देखा है और वहां पर बीमार बच्चे बड़ी तादाद में नजर आते थे जिनके लिये दवाई के प्रबन्ध की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। तो माननीय सदस्यों को इस बात को नजर में रखते हुए इस बात को जान लेना चाहिये और पूरी तरह से समझ लेना चाहिये कि क्या यह म्युनिसिपैलिटीज जनहित की व्यवस्था को जो इस प्रस्ताव में कही गयी है उन आदर्श गुड्स को इस संशोधन के द्वारा जिनको आवश्यक बतलाया गया है, वह पैदा कर सकती हैं। मैं आप लोगों से निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सदन कानून बनाने की मशीनरी है और यह निर्णय कर सकता है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाने के लिये यह सदन नहीं है कि १० वर्ष के बाद या २० वर्ष के बाद हमारी म्युनिसिपैलिटी जिस आइडियल गुड्स को पैदा कर सकती है उसके लिये हम आज ही किसी कानून के बनाने की व्यवस्था करें, यह हो नहीं सकता। जहां तक कि संशोधन पेश करने वाले माननीय मित्र का संबंध है और उनके जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया है मैं फिर उनको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने बेस्ट पासिबिल एन्टीडोट जो बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये हो सकता है वह उन्होंने खुद प्रैक्टिस करके दिखा दिया। एक साहब तो रिलक्टेंट टु मेरी हैं और दूसरे साहबान रिलक्टेंट टु प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रेन हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वह अपने लिये ऐसा किये हैं तो दूसरों के लिये बर्थ कंट्रोल क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं जब कि वह अपने लिये सेल्फ कंट्रोल प्रस्क्राइब करते हैं। सेल्फ कंट्रोल तो स्वयं इतना बड़ा एन्टीडोट है कि जिससे बड़ा और ऊंचा आदर्श संसार में किसी ने नहीं पेश किया और किसी ने नहीं बताया। मैं समझता हूं कि हम उनका बड़ा आदर करते हैं कि उन्होंने शादी न करके इतना अच्छा नमूना पेश किया है और दूसरे साहबान शादी होते हुए भी यदि बच्चा पैदा नहीं करते तो इससे और भी ऊंचा आदर्श और अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिये अगर बर्थ कंट्रोल के बजाय अगर सेल्फ कंट्रोल को प्रेसक्राइब किया जाता है तो वह हमारी भारतीय संस्कृत से भी मेल खा जाता है और वह

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

हमारी शास्त्रीय संस्कृति की मान्यता का द्योतक होगा। इसलिये मैं निहायत अदब से यह प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि आपतो इससे भी अधिक माकूल और खूबसूरत तसवीर म्युनिसिपैलिटीज की सदन के सामने पेश कर सकते हैं। परन्तु जिस आर्थिक दलदल में आज हमारी म्युनिसिपैलिटीज फंसी हुई है उससे बाहर निकलना उनके लिये बहुत कठिन क्या नामुमकिन सा है और हमारे शहरों में जो इस कदर गन्दगी बढ़ी हुई है उसका नमूना हमारे कौंसिलर्स रेजीडेंस के चारों ओर हर सदस्य को दिखाई देता है। परन्तु क्या हम इस प्रकार के ऊंचे-ऊंचे कानून बना कर उन्नत व्यवस्था की एक तस्वीर कानून के रूप में खींचने से म्युनिसिपैलिटीज के रहने वालों के दुख-दर्द को कम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उसको कम करने का तरीका ऊंचे कानून बनाना ही नहीं है बल्कि हमें पहिले उन म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी को बढ़ाना है उनमें एक एवेकनिंग और मानवता का विकास करना है और तभी हम इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मैं सदन का समय अननेसेसरिली वेस्ट नहीं करना चाहता।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है मैं आवश्यकता नहीं समझता था कि मैं इस पर कुछ बोलता क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको भलीभांति यहां पर स्पष्ट कर दिया था कि इसमें कुछ विषय तो यूनियन लिस्ट में आते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज कर रही हैं और कुछ में हम करना चाहते हैं लेकिन अर्थाभाव से उसको करने में असमर्थ हैं। लेकिन एक बात जो इस संशोधन में है और जिस पर विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की थी और जिसके लिये हमारे मित्र माननीय चन्द्र सिंह जी ने भी बधाई दी, नारायण दत्त जी को इस संशोधन के लाने के लिये, वह है बर्थ कंट्रोल क्लीनिक। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस मनोभावना को नहीं समझ पाया जिसके असर में यह संशोधन लाया गया है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ रही है और उसे हल करने की आवश्यकता है, इसके बारे में तो दो राय नहीं हो सकतीं। किस तरह से आबादी रोकी जाय और अन्न की समस्या हल की जाय, इसमें मेरा विश्वास है, सदन का हरएक माननीय सदस्य, जितना अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकता है, परामर्श देने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जहां तक इस समस्या के हल करने के साधन का ताल्लुक है और जिस प्रकार वह संशोधन में बर्थ कंट्रोल द्वारा रखी गई है मैं समझता हूं कि यह तरीके पश्चिम के उन देशों से नकल किये गये हैं जिनकी छाप, मुझे क्षमा किया जाय, हमारे विरोधी दल के विचारों पर अक्सर मिला करती है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि आजाद हिन्दुस्तान में पहले भी इस समस्या को हल किस तरह किया था। भारत आज का कोई नया भारत नहीं है। यह न कोरिया है और न रूस है जहां एक या दो लड़ाई से आबादी बढ़ती घटती रहती है। यह तो एक बड़ा प्राचीन देश है जिसकी जनसंख्या बहुत मर्तबा बढ़ी और घटी है। लेकिन हर समय यहां हर नई समस्या का हल निकाला गया है। यह सदन जो कि आज इस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें इस राज्य के सबसे सुन्दर विद्वान और उपयुक्त प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्या उन्हें यह कहना नहीं था, जब कि उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले ही अपने राज्य की सील बनाई और झंडे के ऊपर चिन्ह बनाया हजारों वर्ष की पहले की जमीन खोदकर, तो आज यहां आश्रमों की चर्चा की जाती, यहां ब्रह्मचर्य की बात कही जाती और वाणप्रस्थ और संन्यास पर विचार किया जाता। इन बातों को छोड़कर और पश्चिम के देशों के तरीकों को अपना कर मेरा विचार है कि हमारा देश आगे नहीं जा सकता बल्कि हम पीछे जायेंगे और पश्चिम की नकल करते हुए तबाह हो जायेंगे।

मैं एक बात और कहना अपना फर्ज समझता हूं। मेरे लायक दोस्त को शायद तजुर्बा नहीं है और शायद इस कारण ऐसा संशोधन लाने की गलती की। वह यह बात है कि आबादी अधिकतर देहातों में बढ़ती है। बहुत से विद्वान डाक्टरों का मत है, और यह सही मत है, कि जहां गरीबी और मूर्खता अधिक होती है, वहां लोग दिमागी काम कम करते हैं और जहां खाने की

कमी होती है वहीं आबादी अधिक बढ़ती है। शहरों में अधिकतर लोग दिमागी काम करने वाले होते हैं। गांव की अपेक्षा उनके खानेपीने के अधिक साधन हैं। गांव की बात जब यहां होती तो यह प्रश्न लाना चाहिये था। जिससे आबादी पर प्रभाव पड़ता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस पश्चिमी, अभारतीय, अप्राकृतिक और अनार्य तरीके से जिसका केवल शहरों में इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, हमारी आबादी की समस्या हल नहीं हो सकती है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि हम अपने राज्य की कोई सेवा करना चाहते हैं तो हम अवश्य करें लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि दिन भर शिकार को गये और एक बटेर हाथ लगी। इसलिये इस विदेशी तरीके को हम इस्तेमाल करें और फिर वह भी शहरों में करें तो उससे क्या लाभ होने वाला है क्योंकि वहां तो आबादी बढ़ने की समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि देहातों में। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इस संशोधन को वापिस ले लें तो अच्छा होगा और उसको वापिस लेकर कोई और तरीका निकालें जो भारतीय संस्कृति को आघात न करे।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो इस समय विचाराधीन है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि इस संशोधन के जो शेष ३ भाग हैं यानी, ४-जे, ५-जे और ६-जे उनके लिये म्युनिसिपल ऐक्ट में प्रावीजन मौजूद है इसलिये वे अननेसेसरी हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है ३-जे का। जिसमें लिखा हुआ है "opening, maintaining, and assisting Pirsh Contsol clinies, and taking measnres for Family Planning etc." अगर उसमें केवल यही होता कि "taking measures for Famlly Planning" तब तो ठीक भी हो सकता था लेकिन जो बर्थ कंट्रोल का प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं उसके करीब करीब ज्यादातर कारण वही हैं जो माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने कहे, सिर्फ उसमें दो कदम और आगे मैं जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी प्रकार से यह प्रश्न बुरा है और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है जैसा कि मुझे अभी-अभी मालूम हुआ कि माननीय नारायण दत्त जी जिन्होंने इस संशोधन को रक्खा है उनकी शादी नहीं हुई है। यह भी मुझे रावत जी के भाषण से मालम हुआ कि माननीय उपाध्याय जी, जिन्होंने इस संशोधन का समर्थन किया, वह भी एक तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। उस तरफ विरोधीदल में ज्यादातर नौजवान लोग ही हैं, वृद्ध तो बहुत कम हैं, उनमें से किसी ने इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं डाला। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें यह मालूम होगा कि बजाय इसके कि हम बर्थ कंट्रोल के विषय पर विचार करें हमको सेल्फ कंट्रोल के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा कि अगर सेल्फ कंट्रोल या आत्म-संयम लाया जाय तो इससे अच्छा होगा और भारतीय संस्कृति के अनुकूल होगा। और हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी इससे सहमत होंगे। वे लोग यद्यपि बहुत सी सभायें करते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार को गालियां देते हैं और गवर्नमेंट को भलाबुरा कहते हैं, पर मैं आज उनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब कभी वे किसी बात का प्रचार करें, जब कभी वे कोई सभा करें उसमें और बातों के साथ वे इस बात का भी प्रचार करें कि आत्म संयम होना चाहिये, लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। वह चीज ज्यादा लाभदायक होगी बजाय इसके कि इस किस्म का संशोधन लाना जिससे भारतीय संस्कृति ही समाप्त होती हो। अभी विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि इससे हमारी आबादी बढ़ेगी, हम मानते हैं कि आबादी बढ़ेगी लेकिन आबादी के बढ़ने से डरने की कोई बात ही नहीं है, अगर आबादी बढ़ती है तो उससे परेशान होने की कोई बात नहीं होनी चाहिये परन्तु हमें उत्तम संतान पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमको यह प्रयत्न करना चाहिये कि उत्तम संतान पैदा करें। वेद में कहा है कि १० लड़के तक पैदा करें। तो जो संतान आप पैदा करें वह उत्तर संतान हो। आप तपस्वी बनें। माननीय रामनरेश जी ने तो केवल वाणप्रस्थ और संन्यास दो ही आश्रम का नाम लिया लेकिन हमारे यहां तो चार आश्रम हैं जिनमें ब्रह्मचर्याश्रम का स्थान सबसे पहले है।

[श्री ब्रज विहारी मिश्र]

उसके बाद गृहस्थाश्रम और फिर वानप्रस्थाश्रम और अन्त में संन्यास आश्रम आता है। तो जो असल चीज है उसको छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में आकर बर्थ कंट्रोल का संशोधन लाना मेरी समझ में उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के प्रत्येक सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में पड़ कर भारतीय संस्कृति को भुला देना उचित नहीं है। बल्कि उचित यह होगा, हम फेमिली प्लानिंग वगैरह की बात को तो मानते हैं कि हम इस पर विचार करें, बैठें और सोचें कि हम क्या करें, कैसे अपनी संस्कृति की रक्षा करें। इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और जैसा कि मैंने इस संशोधन के विरोध में कहा, इसके पहिले तो माननीय मंत्री जी ने तीन प्वाइंट्स का जवाब दे ही दिया है लेकिन जो पहला प्वाइंट है वह बहुत कंट्रोवर्शियल है जिसको मंजूर कर लेने से मैं समझता हूं कि हम लोग विनाश की तरफ ही अग्रसर होंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय नारायण दत्त जी से प्रार्थना करता हूं कि वे फौरन इसको वापस ले लें। तीनों को वे भले ही बाद में वापस लें लेकिन हम कम से कम पहले संशोधन को फौरन ही वापस ले लें। अन्त में मैं उनको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि दरअस्ल वे स्वयं उसको कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---एक भाषण और हो जाय उसके बाद मैं क्लोजर का प्रस्ताव लूंगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जो संशोधन श्री नारायण दत्त जी ने इस सदन के सामने पेश किया है उसके लिये मैं उनको बिना मुबारकबाद दिये नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि सही रास्ते पर है। और आज के संसार में जब कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी दुनिया के लिये एक बहुत भयंकर चीज हो रही है, यह कदम एक जरूरी कदम है। सवाल यह है कि हमारी दुनिया में जीवन को रखने वाले साधन पैदा करने की एक सीमा है। आज तक हमारे जितने भी माननीय सदस्य इस पर बोले हैं उनमें से किसी ने भी नहीं बतलाया कि संसार में जीवन के रखने के साधन को नजर में रखते हुए हम इस दुनियां की बढ़ती हुई आबादी की समस्या को बर्थ कंट्रोल के अलावा और कौन से तरीके से हल कर सकते हैं। न तो दुनिया की जमीन पर जिस पर अन्न उपजाया जा सकता है उसके रकबे को बढ़ाया जा सकता है, न दूसरी जिन्स पर उनको रखने के लिये कोई साधन पैदा किये जा सकते हैं, और न खाने के और कोई साधन पैदा कर सकते हैं। तो यह तय है कि जिन्दगी को कायम रखने के लिये हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं। और इन्हीं सीमाओं में इस मौजूदा दुनिया को खुशहाली के तरीके में रखना है। उसकी एक सीमा है। जहां तक हम दुनिया को इस साधन के अन्दर खुशहाली के तरीके से रखना चाहते हैं अगर हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ती चली गयी तो फिर वह सीमा टूट जायगी। एक बहुत बड़ी समस्या जो आज भी हमारे सामने है, दुनिया के सामने है, मनुष्यमात्र के सामने है कि जीवन के साधन क्या हों जिससे बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। आज हर देश के विद्वानों, राजनीतिज्ञों और हर देश के समझदार आदमियों के सामने यह चीज एक समस्या के रूप में है।

मैं समझता हूं कि यहां पर पहले जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन का विरोध किया मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको बर्थ कंट्रोल शब्द से कुछ चिढ़ है। उन्होंने इस बात को तसलीम किया कि बढ़ती हुई आबादी को रोकना चाहिये सिवा हमारे माननीय सदस्य जो आजमगढ़ के हैं उनको छोड़कर। उन्हें इस बात से खुशी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक खुशी की चीज है। और हमें इसके सोचने के लिये जरूरत नहीं है। और इस खुशी का बायस उनका क्या है, इस पर उन्होंने अच्छी तरीके से रोशनी नहीं डाली। हमारे प्रतापगढ़ के माननीय सदस्य ने

इस बात को कहा कि जहां तक उसूल का सवाल है वह इस बात के हामी हैं बल्कि वह तो एक कदम आगे बढ़ गये हैं कि वही एक हामी नहीं, शायद किसी को भी विरोध नहीं होगा, इस बात से कि जनसंख्या न बढ़ने पावे। तो अब सवाल यह है कि इस बात से तो हम सहमत हैं और चाहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी की समस्या हल की जाय और आबादी को इस कदर न बढ़ने दिया जाय कि जीवन को रखने वाले साधन कहीं कम न हों और मनुष्य इस पृथ्वी में खुशहाली और आराम से न रह सकें और यदि यह समस्या ऐसी हो तो उसका परिणाम भयंकर होगा।

हमारे गढ़वाल के माननीय सदस्य ने कहा कि बर्थ कंट्रोल हो सकता है सेल्फ कंट्रोल के द्वारा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को जब देखा तो मेरी समझ में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसमें इस संशोधन को पेश करने वाले सदस्य ने इसके जरिये बताये हों। उनका संशोधन तो केवल यह है कि बर्थ कंट्रोल का प्रचार करने के लिये और उसके तरीकों का बताने के लिये उसको समझाने के लिये ऐसे क्लिनिक्स म्युनिसिपैलिटीज खोले। वह सेल्फ कंट्रोल द्वारा भी हो सकता है। अगर आयुर्वेद का कोई ऐसा श्लोक माननीय आजमगढ़ के सदस्य बता सकें और रोशनी डाल सकें कि जिसके द्वारा बर्थ कंट्रोल हो सके तो इससे इस अमेंडमेंट के पेश करने वाले को कोई मुखालिफत नहीं हो सकती है और मैं समझता हूं नहीं होगी। अब सवाल यह है कि जिस पर हम सब सहमत हैं जिसका हर आदमी ने समर्थन किया है कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिये तो उसके जो भी जरिये हों वह जरिये बता दिये जायं, पुराने जरिये जो हों, वह भी बताये जायें और जो आधुनिक जरिये हैं वह भी बताये जायें। अभारतीय कह कर जिसका मजाक उड़ाया गया है वह सब भी बता दिये जायें और फिर नागरिक को छोड़ दिया जाय कि जो जरिया वह सही समझे उस जरिये को अमल में लाये। तो पहला संशोधन का हिस्सा बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स को खोलने से संबंध रखता है और उसके प्रचार से संबंध रखता है। इसके विषय में तो मुझे केवल इतना ही कहना था। अब ४-जे संशोधन के हिस्से को पेश करने वाले सदस्य का मतलब इंफेक्शस डिजीजेज हास्पिटल को खोलने, मेनटेन करने तथा ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स से है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसके विषय में भी किसी को विरोध नहीं होना चाहिये। एक माना हुआ उसूल है दुनिया का कि बीमारी के इलाज से अच्छा है कि बीमारी हो ही नहीं। तो सवाल यह है कि आज के जमाने में हमारे देश के सामने और खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भयंकर समस्या है यह बढ़ता हुआ क्षय रोग हर नगर के अन्दर बड़ी भयंकर गति से बढ़ता चला जा रहा है और नतीजा यह होता है कि लाखों उम्दा जानें जो हमारे देश के लिये ऐसेट्स हो सकती थीं, हमारे देश के उत्थान के लिये बेशकीमती साबित होतीं वह बेकार के लिये जाया हो जाती हैं। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम टी० बी० के इलाज के लिये अस्पताल खोलें और उससे भी बेहतर होगा कि हम टी० बी० के रोकने के तरीके जनता के सामने रखें, अपने नागरिकों को बताएं कि वह टी० बी० रोग से किस तरह से आसानी के साथ बच सकते हैं। उसके शिकार न हो कर अच्छे और स्वस्थ रह सकते हैं और इसीलिए यह संशोधन है। मैं समझता हूं कि यह भी एक सही चीज है और बिलकुल निर्दोष है।

तीसरा हिस्सा जो पांच-जे है जिसके शब्द हैं,

"Taking measures for check of venarel diseases and providing clinics for the prevention and cure of such diseases :"

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर खास तौर से नगरपालिकाओं के अन्दर बढ़ती हुई आबादी में यह वेनरल डिजीजज बहुत भयंकर रूप धारण कर रही हैं और उनसे जो मानसिक, शारीरिक और नैतिक पतन हमारे समाज का होता है उसके बारे में मैं समझता हूं कि कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं इस संशोधन को पेश करके जिस सहूलियत की मांग की जा रही है वह केवल यह है कि हम अपनी नगरपालिकाओं के समाज के सामने इस बात का प्रकाश डालें और उनको

[श्री भगवान सहाय]

वह तरीक़े बतलाएं जिससे वह इस रोगों से बच सकें। इन बीमारियों का परिणाम केवल उस बीमार तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अंजाम उसकी पैदा की हुई, आने वाली संतान पर भी होता है तो इन का बहुत ही भयंकर परिणाम होता है जो पुश्तहा पुश्ततहा तक चलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं के कर्त्तव्यों में से एक यह भी कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह वेनरल डिजीजज को रोकने के तरीक़ों का नगरपालिकाओं में काफ़ी तरीक़े से प्रचार करें।

संशोधन का जो चौथा खंड है, उसके कुछ हिस्से से म सहमत हूं और कुछ हिस्से से नहीं। मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि जिस हिस्से से मैं सहमत नहीं हूं वह इस लिए नहीं कि वह गलत है या बे उसूल है या उसकी जरूरत नहीं है बल्कि वह हमसे सम्बन्ध रखने वाला नहीं है। जो हमसे सम्बन्ध रखने वाला हिस्सा है "अरेंजमेंट फार ट्रांस्पोर्ट आफ पसेंजर्स एंड गुड्स" इससे मैं सहमत हूं। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं का यह एक जरूरी कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के अन्दर खास तौर से उन नगरपालिकाओं के अन्दर जिनकी आबादी ज्यादा है जिनके फासले लम्बे हैं उन्हें वहां पर कुछ सस्ते व तेज चलन वाले ट्रांस्पोर्ट का इंतजाम बहुत ही जरूरी है बड़े बड़े शहरों के अन्दर सस्ती और अच्छी सवारी एक समस्या है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन इसी को नजर में रख कर रखा गया है। तो मैं इस संशोधन के तमाम हिस्सों का बहुत जोर के साथ समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी को इन्हें मंजूर करने में आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए या इसमें कोई आपत्ति का सवाल नगरपालिकाओं के सामने इसलिए नहीं आना चाहिए कि इसके पेश करने वाले माननीय सदस्य ने इसको अनिवार्य फर्ज नहीं रखा है। बल्कि यह एक ऐसे फर्जों में से रखा गया है जिसको म्युनिसिपैलिटीज चाहे तो करें और चाहें तो न करें। यदि इस संशोधन को मैं रखता तो इसको नगरपालिकाओं के जरूरी कर्त्तव्यों की मदों में ही रखता उनको इस बात का डिस्क्रेशन इन जरूरी फरायज को पूरा करने का नहीं देता।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं पहले भी यह देख रहा था कि काफ़ी बहस इस पर हो चुकी है और मैं यह प्रस्ताव रखने वाला ही था कि एक माननीय सदस्य खड़े हो गये और मैंने उनको आज्ञा दे दी। अब तो भवन की अनुमति लेने की आवश्यकता ही है।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कृपा करके मेरे संशोधन के समर्थन में या विरोध में अपनी राय व्यक्त की। मेरा संशोधन उन सभी दृष्टिकोण और आधारों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया था जिनकी कि चर्चा माननीय सदस्यों ने की। मैंने पहले ही भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि जहां पर हम बर्थकंट्रोल का नाम लेते हैं तो यह आवश्यक है कि हमें पुराने रूढ़िवादी समाज के एक अंग का अवश्य सामना करना पड़ेगा जो कि बर्थकंट्रोल के नाम से या आधुनिक युग में आबादी रोकने के उन सभी प्रसाधनों से चिढ़ता है, उस समाज के अंग का सामना करना पड़ेगा।

मैं माननीय मिश्र जी की बड़ी इज्जत करता हूं। वह हमारे एक बुजुर्ग हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि वे रूढ़िवादी है, मगर यह अवश्य कहूंगा कि उन्हें अगर हमारे संशोधन से विरोध है तो सारे पंचवर्षीय योजना के सभी प्रसाधनों से भी उनका विरोध होगा और उन सभी प्रयोगों से विरोध होगा जिनके बारे में समय-समय पर यहां की प्रान्तीय सरकार और भारतीय

सरकार भी घोषणा कर चुकी है । मैंने पहले ही अपने भाषण में जिक्र किया था कि पं० जवाहरलाल नेहरू के बयान का जो कि उन्होंने प्लांड पेरेंटहुड की कानफ्रेंस में दिया था । उन्होंने कहा था :—

"In a country like India with a very large population this question has an even greater significance than elsewhere. It deserves, therefore, the fullest study here and the application of such methods that are found suitable from all points of view."

[भारत जैसे देश में जहां बहुत अधिक जनसंख्या है, इस प्रश्न का महत्व अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है । अतः यहां इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं ऐसे उपायों को व्यवहार में लाना चाहिये जो हर दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जायं ।]

लेकिन अब वह मुझसे वापस लेने को कह रहे हैं, इसलिये कि मेरा संशोधन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है । तो मुझे परिपुष्ट करने के लिये उन सभी रेफ़रेंसेज को देना आवश्यक प्रतीत होता है । डा० राधाकृष्णन् सारे संसार में भारतीय संस्कृति के सब से बड़े पोषक माने जाते हैं । उनकी किताबें, जैसे फ़िलासफ़ी आफ़ इंडिया, आज तक भारतीय संस्कृति के बारे में एक महापुस्तक और एक आथारिटी के रूप में संसार के विद्वान मानते हैं । तो प्लांड पेरेंटहुड की जो कांग्रेस थी, मिश्र जी को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था । उन्होंने कहा था :—

"Safeguarding the health and happiness of family life required that the time of child-birth should be determined by proper spacing, and he held that those subjecting women to frequent child-birth were guilty of cruelty to human beings."

[पारिवारिक जीवन के स्वास्थ्य तथा सुख की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि संतति उत्पादन का समय उचित अवधि से निर्धारित किया जाय और उनका विचार था कि वे जो स्त्रियों को शीघ्र सन्तति उत्पादन करवाते हैं, मानवों के प्रति निर्दयता के अपराधी है ।]

तो ये डा० राधाकृष्णन् के विचार हैं, जो वे भी स्वयं मानेंगे कि सबसे बड़े पंडित हैं । तो मेरे इस निरोध के संशोधन पर अनैतिकता का आरोप लगाना किस प्रकार मुनासिब होगा ? सारी पंचवर्षीय योजना, सरकार के सारे आयोजन, फैमिली प्लानिंग कान्फ्रेंस, श्री जवाहरलाल जी के समय-समय के भाषण ये सभी उसके लिये उपयुक्त हैं । जैसा माननीय भगवान सहाय जी ने कहा, यह कहना कि हमारी बढ़ती हुई आबादी है, डरने की या चिन्ता करने की क्या बात है, श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि मैंने इस सदन के माननीय सदस्य के मुंह से यह बात सुनी । क्या आबादी का बढ़ना आजकल के जमाने में अच्छी चीज है जब कि रोटी, कपड़े और मकान की समस्यायें हर सरकार को, जनता को और जनता के हर एक हिस्से को परेशान किये हुए हैं ? दिन रात हम उसी परेशानी में रहते हैं कि किस प्रकार हम इन सबको पूरा सामान मुहय्या कर सकें, प्लानिंग योजना हम किस प्रकार की कर सकें तो आबादी का बढ़ना यह तो एक बहुत बड़े खतरे की चीज है । इससे बहुत बड़ा खतरा जिस रेट से आबादी बढ़ रही है, उससे है । आबादी बढ़ने का सवाल नहीं है अगर ऐसा हो कि प्लांड पेरेंटहुड के अनुसार एक व्यक्ति को दो ही बच्चे हों, अगर कोई मशीनरी ऐसी हो, कोई ढंग ऐसा हो, तो आबादी बढ़ने से कोई परेशानी नहीं थी या यह होता कि एक साहब के एक ही लायक बच्चा हो जो शेर बच्चा कहा जाय वह भी समय नहीं है । आखिर यह आबादी बढ़ना जो है वह तो हमारी सब योजनाओं को चौपट करने वाला है चाहे आप पन्द्रह वर्षीय योजना बनायें या कितनी ही उसके लिए आप जमीन आसमान की ताक़त लगायें, अगर इस तादाद में आबादी बढ़ती रही तो गजब हो जायगा । किसी भी दल की सरकार फिर यहां आये कोई भी वाद यहां पर स्थापित हो गान्धीवाद हो, समाजवाद हो या साम्यवाद हो लेकिन कितनी जमीन का बटवारा आप करेंगे। अगर आबादी बढ़ती रही तो जमीन तो उसी रेट से नहीं बढ़ेगी । हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि जमीन रबर थोड़े ही है कि खिंच जायगी । जमीन उतनी ही रहेगी, आपके साधन उतने ही रहेंगे, प्राकृतिक साधन भी उतने ही रहेंगे लेकिन आबादी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बढ़ती जायगी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि अगर हम अभी से जनता को बतलाते न रहे और सचेत न करते रहे तो कैसे काम होगा। माननीय रामनरेश शुक्ल ने कहा कि हम पश्चिम की नकल नहीं करना चाहते। यह एक अच्छी बात है, अच्छा सिद्धान्त है कि हम पश्चिम की नकल न करें। लेकिन यह मैं कभी नहीं कहता। जैसा कि माननीय श्री भगवान सहाय ने कहा कि हम पश्चिम की नकल करें और उन सभी अच्छे प्रसाधनों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें जो कि पश्चिम में उपयुक्त किये गये हैं। लेकिन आपने नक़लें की हैं। विधान बनाने में पश्चिम की नकल की है और कार्यों में तथा ऐक्टों की ड्राफ्टिंग में नकल की है। तो अच्छी बातें जो वह कहते हैं उसको हम लागू कर दें तो क्या बुरा है। उन्होंने कहा कि आसनों के जरिये बर्थ कंट्रोल हो सकता है। मैं कब कहता हूं कि नहीं हो सकता है। आप बर्थ कंट्रोल क्लिनिक स्थापित कीजिए वहां आसन सिखाइये और पढ़ाइये आसनों के बारे में। कोई पैसा खर्च नहीं होगा अगर एक एक घंटे हमारे माननीय शुक्ल जी का भाषण बर्थ कंट्रोल क्लिनिक के अन्दर हो और ऐसे ही ब्रह्मचर्य की पद्धति के बारे में, ब्रह्मचर्य कैसे होता है, ब्रह्मचारी का जीवन कैसा होता है, किस तरह से गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, आसन और ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, यह सब माननीय मिश्र जी बतलायें, कोई खर्चा नहीं होगा। इस तरह इसका प्रचार होगा। लेकिन पहले तो बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोलना होगा, कोई कमरा किराये पर लिया जायगा तभी तो वहां पर बैठकर भाषण हो सकेगा और हम भारतीय सभ्यता के अनुकूल कोई प्रचार कर सकेंगे। इसके लिए भी क्लिनिक की आवश्यकता तो होगी ही। इसमें कोई परम्परा का या पश्चिम की नकल करने का सवाल नहीं है।

माननीय मिश्र जी ने तो यह भी माना और उन्होंने कहा कि फेमिली प्लानिंग मैं मानता हूं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मिश्र जी कृपा करके बतलायें कि फेमिली प्लानिंग का तो यह अर्थ तो नहीं है कि लड़का इस कमरे में सोये और लड़की उस कमरे में सोये और रसोई इस कमरे में बने। फेमिली प्लानिंग का वर्तमान माने जो है वह जो वही बर्थ कंट्रोल है। माननीय मिश्र जी फेमिली प्लानिंग मेजर्स को तो मानते हैं बर्थ कंट्रोल को नहीं मानते। अब मैं क्या बताऊं मेरी समझ में नहीं आता। कौन क़िस्म की फेमिली प्लानिंग वह मानते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। फेमिली प्लानिंग का अर्थ ही यही है कि जो कि मैंने बतलाया। इसके साथ साथ माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस नियम के अन्दर है। नियम के अन्दर क्या है, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। क्या नियम है, नियम में लिखा हुआ है कि--

'(m) adopting any measure, other than a measure specified in section 7 or in the foregoing provisions of this section, likely to promote the public safety, health or convenience;"

यह एक जनरल क्लाज़, आम तरीक़े की धारा ८ (एम) है और जिसको माननीय मंत्री जी कहते हैं और मिश्र जी ने कहा कि यह तो नियमों में पहले से रखा हुआ है। श्रीमन्, यह एक ऐसी आम धारा है जिसके लिये मैं जानता हूं कि यह सब पर लागू हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही कि अगर हम इन सबको रख देंगे तो जहां पहले से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चल रही हैं या जहां पहले से बर्थ कंट्रोल क्लीनिक्स चल रहे हैं वे ग़ैर क़ानूनी हो जायेंगे, लेकिन श्रीमन्, यह दलील मौजूं नहीं है।

आज ही सदन ने कम्पोस्ट बनाने के लिये प्राविजन रखा है। श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय जी ने आज यह बतलाया कि पिछले साल से इलाहाबाद में कम्पोस्ट बन रही है, शायद साढ़े तीन हज़ार की उससे आमदनी हुई और चार हज़ार का खर्चा हुआ। तो क़ानून कम्पोस्ट बनाने का आप आज बना रहे हैं, लेकिन कम्पोस्ट खाद सालों से बनती चली आ रही है। लखनऊ में तीन लाख की आमदनी कम्पोस्ट खाद से हुई। क़ानून आज बना लेकिन कम्पोस्ट खाद पहले से बन रही है तो क्या वह इल्लीगल हो जायगी?

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अगर हम इन्फेक्शस डिज़ीज़ेज़ हास्पिटल का नाम रख देंगे तो जिस नियम के मातहत वे पहले थे वह उलट जायगा। यदि कम्पोस्ट खाद का क़ानून

बन सकता है तो इन्फेक्शस डिजीजेज का क़ानून क्यों नहीं बन सकता है ? एक प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें और हमको बतलायें कि जब दो तीन साल से खाद बन रही है और उसके बारे में हम धारा आज पास करते हैं लेकिन वह गैर क़ानूनी नहीं हो जाता है तो फिर जो हम कह रहे हैं वह कैसे ग़ैर क़ानूनी हो जाता है । उसके बाद उन्होंने विधान की लिस्ट ५८ को बतलाया कि उसके अनुसार हमको अधिकार नहीं है । इंश्यूरेंस और टेलीफोन सर्विस के बारे में उन्होंने यह बतलाया कि यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है और इस लिये यह बिलकुल बेकार है । श्रीमन्, मुझे मालूम था कि जो यूनियन की लिस्ट है उसके अन्दर यह चीजें मौजूद हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने भी ऐसी चीजें रखी हैं जो यूनियन सब्जेक्ट में हैं । इस प्रकार पहली गलती आपने की और मैंने उसको दोहराया । माननीय मंत्री ने इसी बिल में एक ऐसा सब्जेक्ट रखा है जो यूनियन लिस्ट में है । जब मैंने देखा कि आप ऐसी चीजें रख रहे हैं तो मैंने भी एक दो चीजें रख दीं । जो अक्ट्राय की परिभाषा आप बदलने जा रहे हैं वह इस प्रकार है :--

मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(*viii*) an octroi on goods or animals brought within the Municipality for consumption, use or sale therein."

जो आइटम (५२) स्टेट लिस्ट का है वह इस प्रकार है--

"Taxes on the entry of goods into a Local Area for consumption, use or sale therein."

[किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर ।]

स्टेट लिस्ट का आइटम ५८ इस प्रकार है :--

"Taxes on animals and boats."

[पशुओं और नौकाओं पर कर ।]

इंट्री आफ गुड्स इंटू ए लोकल एरिया, स्टेट लिस्ट के अन्दर है ।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं ज़रा समझने की कोशिश करूंगा कि स्टेट लिस्ट जो कोट की जा रही है, यह तो हमारे अधिकार में है । मैंने कहा कि यूनियन लिस्ट में है । तो ऐसी कोई चीज आप बतलायें जो यूनियन लिस्ट की हो और जो मैंने रखी हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह कह रहा हूं कि स्टेट लिस्ट में वह नहीं है जो आप रख रहे हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम--वह यूनियन लिस्ट में है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--स्टेट लिस्ट में जिसका आप को अधिकार नहीं है वह यूनियन लिस्ट में ही मानी जायगी और उसके बारे में केवल पार्लियामेंट क़ानून बना सकेगी । मैं अभी बतला दूंगा आप को । तो यहां पर केवल टैक्सेज आन दि इन्ट्री आफ गुड्स है, टैक्सेज़ आन दि इन्ट्री आफ एनिमल्स नहीं है लेकिन आप एनिमल्स की इन्ट्री पर टैक्स ले रहे हैं । एनिमल्स पर टैक्स लेना अलग चीज है और एनिमल्स की इन्ट्री पर टैक्स लेना अलग बात है । आप को इस स्टेट लिस्ट में कहीं अधिकार नहीं है कि आप एनिमल्स की इन्ट्री पर टैक्स लगाएं । अनुच्छेद २४८ में लिखा हुआ है :--

"The Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter enumerated in the concurrent list or State list."

[संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो चूंकि यह स्टेट लिस्ट में नहीं है इसलिये पार्लियामेन्ट इसके बारे में अधिकार रखती है। एनिमल्स की इन्ट्री पर आप टैक्स नहीं लगा सकते लेकिन आप लगा रहे हैं। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं ऐसी चीज रखी है जो स्टेट लिस्ट में नहीं है और हमसे शिकायत करते हैं कि आपने ऐसी चीजें रख दीं कि जो यूनियन लिस्ट में हैं। तो यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया, मैं किस प्रकार इसको मान लूं। जहां तक सवाल है ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज का, इसके बारे में धारा ८ की (के) :

"Constructing, subsidizing or guaranteeing tramways, rail-roads or other means of locomotion."

शायद माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ है कि इस नियम के अन्दर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज आ जाती हैं। लेकिन मैं अर्ज करूं, बस सर्विसेज कान्स्ट्रक्ट नहीं की जाती। लोको-मोटिव या रेल, ट्रामवे या इन्जन या जो भाप से चलने वाली चीजें हैं, उनके लिये यह शब्द प्रयोग हुये हैं, बस सर्विस के लिये नहीं हुये हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि जो मेरे संशोधन के ३ जे, ४ जे के क्लाजेज हैं वे पुरानी धाराओं में हैं, गलत है। अगर मान लीजिये कि आम धारा जो (एम) है उसके अन्दर अगर यह नहीं होता है तब तो माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट करना चाहिये कि अगर धारा (एम) लागू होती और म्युनिसिपल बोर्ड की कम्पोस्ट खाद धारा (एम) के अनुसार बन सकती थी तो ऐसी जरूरत नहीं थी कि नई धारा बनाई जाती। जिसके अनुसार आप इस कम्पोस्ट खाद वाली धारा को मंजूर करते हैं। आप हमारे इन ४ संशोधनों को भी मंजूर करें। तो इस संबंध में श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय सदस्य दोबारा इस पर विचार करेंगे।

मुझे इस बात का दुख है कि हमारे माननीय सदस्यों का सारा दिन केवल बर्थ कंट्रोल पर चला गया। मैं आप से क्या कहूं, बड़े बड़े रेफ्रेंसेज आ गये, सेल्फ कन्ट्रोल, रेलेक्टेन्ट टु प्रोडयूस और रेलेक्टेन्ट टु मैरी। मुझे खुद भी बधाइयां मिलीं और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने ने कहा मैं रेलेक्टेन्ट टु मैरी हूं, इसलिये मैंने कन्ट्रीब्यूशन किया। मैं ऐसा कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं मानता। मुझे बड़ा दुख है और मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है कि मैं शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मैं सेल्फ कन्ट्रोल्ड हूं या रिलेक्टेन्ट टु प्रोडयूस हूं। श्रीमन्, यह बिलकुल सही है कि बर्थ कन्ट्रोल का सिद्धांत जो है यह उन लोगों के लिये लागू नहीं होता कि जो सेल्फ कन्ट्रोल में विश्वास करते हैं या जो रेलेक्टैन्ट टु प्रोडयूस हैं। यह तो उन्हीं माननीय सदस्यों और व्यक्तियों पर लागू होता है जो अन कन्ट्रोले-बिल हैं। जो पहले से ब्रह्मचर्य या आसनों में विश्वास रखते हैं उनके लिये बर्थ कन्ट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमन् यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यह मसला भी केवल एक देश का न होकर के सारे संसार का मसला बन गया है। हमें इसी दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय कम से कम सरकार की ओर से स्पष्ट करेंगे कि बर्थ कन्ट्रोल के संबंध में उनकी वह नीति नहीं है जो कि मिश्रा जी की है। नहीं तो ढांचा बिगड़ जायगा, गजब हो जायगा अगर माननीय मन्त्री जी ने और उनकी सरकार ने भी उन्हीं विचारों का पिस्टपोषण किया जिनको माननीय मिश्र जी ने यहां पर कहा कि पश्चिम से निकली है और भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी कुछ न करें तो मेरे संशोधन को स्वीकार करने के बाद साथ ही साथ इस मसले में अपनी नीति को स्पष्ट करें कि बर्थ कन्ट्रोल और फैमिली प्लानिंग के बारे में सरकार की नीति क्या है। मुझे तो यह विश्वास है कि यदि माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब, चन्द्रभानु गुप्त जी यहां होते तो वह मेरी सभी बातों को ताईद करते क्योंकि उन्होंने इन सबके लिये ग्रांट दी है, लखनऊ में बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स खोलने के लिये ग्रान्ट दी है अगर वह नहीं हैं तो उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं। मैं तो चाहता हूं कि वह समर्थन करें कम से कम अपने डिपार्टमेंट के हित के ख्याल से। तो श्रीमान्, इतना कह कर मैं आपकी आज्ञा से माननीय

मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह फिर विचार करें और मेरे संशोधन को अगर पूरा नहीं तो कम से कम एक या दो क्लाज जो जरूरी हैं उनको अवश्य स्वीकार करें।

(इस समय ४ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट पर इतनी ज्यादा बहस हुई और यदि मैं अपनी बात जो मैंने शुरू में कही थी उसको साथ कह सकता तो शायद इतनी ज्यादा बहस की आवश्यकता न थी। मैंने निवेदन किया था कि इस अमेंडमेंट का दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा गुड्स तक का जो भाग है वह इस वक्त जो म्युनिसिपल ऐक्ट है उससे कवर हो जाता है। मैंने अगर यह धारायें पढ़ दी होती तो शायद बहुत से भाइयों को इतना ज्यादा समय इस सदन का लेने की आवश्यकता न पड़ती। बहुत जोर से मुझसे अपील की गयी है कि इनको क्यों नहीं मान लेते। मान क्या लूं। कोई नयी बात हो तो मैं मान लूं। जब वह चीजें म्युनिसिपल ऐक्ट में हैं तो उनको मानने की क्या जरूरत है, यह मैं नहीं समझ पाया। बल्कि भगवान सहाय जी ने तो यहां तक कहा कि इनको ८ में से निकाल कर ७ में रखना चाहिए यह बात सही है। लेकिन अगर मेरी बात उन्होंने सुनी होती या ऐक्ट को जरा ध्यान से पढ़ा होता तो उनको इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह काम दफा ७ में ही म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में है जैसा कि १ (एम) को अगर आप पढ़ें तो उसमें है --

"Establishing, maintaining or supporting public hospital and dispensaries and providing public medical relief."

एम० एम० में यह दिया हुआ है :--

"Establishing and maintaining Maternity Centres and Child Welfare Clinics."

इसमें सभी जितने मेडिकल रिलीफ के काम हैं वे आ रहे हैं। इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज की जितनी भी आर्थिक अवस्था है वह उसको कर रही है और वह इसमें है, कम्पलसरी में है

श्री मदन मोहन उपाध्याय--बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक्स नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम--अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं। धारा ८ में लिखा है--

"Constructing, subsidizing or guaranteeing tramways, rail roads other means of locomotion."

इन लफ्जों के होते हुए, जैसा मैंने कहा, इस संशोधन का छः जे का गुड्स तक का हिस्सा उससे कवर हो जाता है, इसलिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर जितनी बहस हुई वह इस वजह से थी कि वह मैं साफ नहीं कर सकता या सदस्यों ने उसको गौर से सुना नहीं। इसलिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो बाकी हिस्सा है छे जे का उसमें लिखा हुआ है इंश्योरेन्स और टेलीफोन सरविसेज-- यह मैंने निवेदन किया कि सेंट्रल लिस्ट में है। अब यह दलील की क्योंकि आपने आगे चलकर कोई बात ऐसी की है इसलिये आप इसको भी रख सकते हैं, मैं यह नहीं मानता। जब वह आयेगा उस पर बहस होगी और मैं यह कह सकता हूं कि अगर हमको अधिकार नहीं है किसी चीज को करने का तो वह उसमें नहीं रह सकती, वह अवैधानिक है। इसलिये क्योंकि हमने कोई चीज रख दी है, इसलिये हम पहिले ही बहस करना शुरू कर दें तो इसको मैं गलत समझता हूं। यह दोनों चीजें इंश्योरेन्स और टेलीफोन नहीं रह सकती हैं। इसलिये इसके आखिर के तीनों हिस्से खत्म हो जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है या इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब रहा पहला हिस्सा तो उस पर बहुत काफी बहस हो चुकी है और सब लोगों ने अपने अपने तजुर्बे बतलाये। उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चीज नयी है और इसमें खर्चा भी बहुत है और मेरी दिक्कत

[श्री मोहनलाल गौतम]

यह है कि म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी बहुत ही कम है । मैं श्री राजनारायण जी की इस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं । उन्होंने यह कहा कि म्युनिसिपैलिटीज का प्रथम कर्तव्य बर्थ कन्ट्रोल का होना चाहिए । मैं समझता हूं कि सफाई कराना, नालियां बनाना, सड़कें बनवाना, प्राइमरी एजूकेशन का इन्तजाम करना, मेडिकल रिलीफ देना । यह सब प्रायरिटी की चीजें हैं बनिस्बत बर्थ कन्ट्रोल के । बर्थ कन्ट्रोल बहुत ही अच्छी चीज है । इसको भारतीय ढंग से किया जाय या वैस्टर्न ढंग से किया जाय । इसमें मुझे पड़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री नारायणदत्त जी ने जोर दिया कि मैं अपनी पालिसी को डेकलेयर करूं तो मैं इस समय इसकी जरूरत नहीं समझता । जब मौका आयेगा तब वह होगा । आपने जिस चीज का रिफ्रेन्स दिया वह माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के सम्बन्ध की बात है और यह उनका मुहकमा है । वह इस चीज को करेंगे । उनका महकमा इस कार्य को करेगा और बाद में म्युनिसिपैलिटीज भी उनके पीछे चल सकती है । मुझे न तो इससे ज्यादा जानकारी ही है और न मैं तजुर्बेकार ही हूं और न इसका मैं विरोध ही करता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब म्युनिसिपैलिटीज के कामों का जिक्र होता है तब तब आप एक एक चीज लिस्ट में बढ़ाते चले जाते हैं । आप चाहते हैं कि यह भी हो वह भी हो । मैंने भी बहुत सी अच्छी अच्छी म्युनिसिपैलिटियां देखी हैं दुनियां भर की नहीं तो शायद दुनियां की अच्छी म्युनिसिपैलिटी देखी हैं । स्टाकहोम की म्युनिसिपैलिटी देखी है । उसका अस्पताल इतना बढ़िया था कि मैंने इतना बढ़िया अस्पताल दुनियां में नहीं देखा । लेकिन जब वह टैक्सेज लगाते हैं तो इतने लगाते हैं कि हद हो जाती है । स्कैंडिनेवियन कन्ट्रीज काफी अच्छा माने जाते हैं लेकिन इतने टैक्सेज हैं कि वहां पर मैरिड कपिल को कोर्ट में जाना पड़ता है और वह लीगली अलग हो जाते हैं । वह एक ही मकान में रहेंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे लेकिन ला से बचने के लिये उनको अपनी शादी डिजाल्व करनी पड़ती है । इस वजह से वहां पर यह तमाम फेसीलिटीज होती हैं । हमारी दिक्कत यह है कि आप लोग फैसिलिटीज को बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन जब टैक्स बढ़ाने का सवाल आता है तो टैक्स विरोधी सप्ताह मनाते हैं । मिसाल दी जाती है कि वह लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते । तब आप फिर यह क्यों कहते हैं कि योरुप की म्युनिसिपैलिटीज इतना अच्छा काम कर रही हैं, इंगलैन्ड की म्युनिसिपैलिटीज ऐसा काम कर रही हैं, वैसा काम कर रही हैं । जब हम कहते हैं कि पैसा चाहिए तो आप कहते हैं कि अगर टैक्सेज बढ़ेंगे तो हम विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे क्योंकि यह गरीब मुल्क है तो फिर कैसे काम चल सकता है, इसलिए जहां आप यह चाहते हैं कि एमेनिटीज बढ़े वहां आप फाइनेन्शियल रिसोसज भी बतलाइए ।

मैं यह समझता हूं कि आज लोकल बाडीज की सबसे बड़ी डिफकल्टी यही है और जिसकी वजह से यह परेशानी है । उसकी वजह यह है कि आपके उनके ऊपर तो काम लादते चले जाते हैं और उनके फाइनेन्सेज का कोई इन्तजाम नहीं करते हैं । मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं एक यह बड़ा सीरियस सवाल है कि अगर आप इसके ज्यादा फंकशंस एलाट करें तो इसको भी सोचें कि इनकी आमदनी कहां से और कैसे बढ़ेगी । क्योंकि आजकल सालवेंट म्युनिसिपैलिटीज मिलना मुश्किल हैं । जितने काम उनके सुपुर्द पहले ही से हैं उनको ही करना मुश्किल होता है । दिक्कतें यह हैं कि जो प्राइमरी फंकशन्स हैं उनको ही वह पूरा नहीं कर पातीं, मुलाजिमों को वक्त पर तनख्वाह नहीं दे पातीं, नालियों और सड़कों की सफाई नहीं करा पातीं और अगर आप उनके काम बढ़ाते चले जायेंगे तो कहां से रुपया आयेगा । टैक्सेज लगायेंगे तो आप सत्याग्रह करेंगे, इसलिये मैं इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर नहीं जाना चाहता ।

श्री राजनारायण--इंश्योरेन्स के मामले में मैंने महुआ सौराष्ट्र की मिसाल दी थी ।

श्री मोहनलाल गौतम--महुआ सौराष्ट्र में क्या है मुझे नहीं मालूम । इन सब चीजों को या तो निकाल दिया जाय नहीं तो आप म्युनिसिपैलिटीज पर बोझ लादेंगे । इन दोनों कारणों

से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यह सदन इसको मन्जूर नहीं करेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि इस संशोधन के कई खंड हैं और हर एक महत्वपूर्ण है । इसलिये हरएक पर अलग अलग मत लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—एक एक करके ही उन पर राय लूंगा ।

प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (jj) के बाद निम्नलिखित नया भाग (jjj) बढ़ा दिया जाय —

"(*jjj*) opening, maintaining, and assisting Birth Control Clinics, and taking measures for Family Planning etc.,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१६

विपक्ष में—११७

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (jj) के बाद निम्नलिखित नया भाग (jjj) बढ़ा दिया जाय —

'(*jjj*) Establishing, maintaining and assisting public Infectious Diseases Hospitals and Anti-Tuberclosis Centres ;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (jj) के बाद निम्नलिखित नया भाग (jjj) बढ़ा. दिया जाय :

"(*jjj*) Taking measures for check of venereal diseases and providin g clinics for the prevention and cure of such diseases ;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (१) के भाग (jj) के बाद निम्नलिखित नया भाग (jjj) बढ़ा दिया जाय:—

"(*jjj*) Undertaking public utility services, e. g., arrangements for transport of passengers and goods, insurance like Medical Insurance, Unemployment Insurance, Telephone Services etc."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

3. After section 8 of the Principal Act, the following shall be inserted as a new section 8-A : — Insertion of new section 8-A in U. P. Act II of 1916.

Definitions. 8-A. In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Assembly Rolls" mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in — XLIII of 1950.

accordance with the provision of the Representation of the People Act, 1950 ;

(b) 'Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette* ;

(c) "election" means an election to fill a seat on a board ;

(d) "elector" in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward ;

(e) "Order" means an Order published in the official *Gazette* or in the manner prescribed ;

(f) 'Scheduled Castes" means the castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, and

(g) "Ward" means a ward provided by Delimitation Order under section II-B."

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से.....

श्री मोहनलाल गौतम--प्वाइन्ट आफ आर्डर, इस संशोधन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के बारे में बात कही गयी है। इस लिये यह संशोधन आउटआफ आर्डर है। क्योंकि इससे इस बिल का स्कोप बढ़ता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड की इस बिल के अन्दर कोई चर्चा नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, अभी तो संशोधन ही सदन के सामने नहीं आया है। पहले तो मुझे इजाजत होनी चाहिए कि पहले मैं उसको पढ़ लूं तब इसका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष--चूंकि यह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर चुके हैं, तो उसका जवाब आप दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में १३-बी में एक डायरेक्टर आफ एलेक्शन का जिकर आया है। इस बिल के अन्दर यह एक नया सब्जेक्ट आया है। उसी प्रकार एक नये विषय (सब्जेक्ट) को ही डील करने के लिये मेरा यह संशोधन आया है। इस बिल की धारा १२-बी में एलेक्टोरल रोल के बारे में कुछ कहा गया है, १२-बी धारा में उसमें कहा गया है कि--

"There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies)"

१३-बी में भी इसी प्रकार से है कि--

"The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act."

जिस तरह से कि मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड रखा है उसी तरह से मन्त्री जी ने डायरेक्टर आफ एलेक्शन्स रखा है। ठीक मन्त्री जी की तरह ही के संशोधन में जैसे नम्बर ८ और ३५ में जहां, जहां स्टेट गवर्नमेंट आया है, वहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड रख दिया जाय। ऐसा मेरा सुझाव है। और भी दो एक जगह है, यह तो केवल मैंने उदाहरण के लिये बताया है और इस विधेयक के स्कोप को यह इसलिये नहीं बढ़ाता कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि विधेयक इसीलिये यह पेश किया गया है, जिससे कि संशोधन कर लिया जाय, जिससे म्युनिसिपल्टीज का काम अच्छी तरह से चल सके, इसलिये सदन को अधिकार है कि वह सुझाव पर गौर करे।

उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इसलिये अगर इसको मान लिया जाता है तो संशोधन ८ से और ३५ के अनुसार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड का डिटेल इसमें आ जाता है। इसलिये माननीय मन्त्री जी का प्वाइन्ट आफ आर्डर गलत है और संशोधन क्वा ट इन आर्डर है।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट आफ सब्जेक्टस ऐन्ड रीजन्स का दूसरा हिस्सा स्पष्ट कहता है कि--

"The opportunity has also been availed of for making certain other amendments which were found to be necessary."

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतना व्यापक स्कोप इस स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में दिया हुआ है। इसको देने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी कैसे कह रहे हैं। अगर परपज भी देखा जाय बिल के प्रिएम्बिल में--

"To amend the U. P. Municipalities Act, 1916 for certain purposes."

तो फार सरटेन परपजेज में यह बात साफ तरीके से आ रही है और जो बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं, बोर्डस के फंकशन में और उनके एक्जीक्यूशन में वह सब ऐसी हैं, कि जिन पर संशोधन आ जाना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने इसकी चर्चा भी कर दी है। इस तरह से मास्टर प्लान बनाने की बात है, उन एप्वाइन्टमेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड भी आ जाता है और उसके जरिये ही जो उद्देश रखा है उसकी पूर्ति हो पावेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी की वैधानिक आपत्ति को स्थान नहीं मिलना चाहिए और संशोधन को यथा स्थान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह उपस्थित किया गया है कि जो संशोधन माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने अभी पेश करने की अपनी इच्छा प्रकट की है वह अवैधानिक है, क्योंकि इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसकी परिधि के बाहर यह संशोधन जाता है। किसी विधेयक की परिधि के संबंध में अगर जांचना हो तो एक तो उद्देश्य और कारण और विधेयक में जो धारायें हैं, खंड हैं, उनको देखने से विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट हुआ करते हैं। जहां पहले कोई अधिनियम बन चुका होता है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है, और बड़े बड़े अधिनियम जहां मौजूद है, उनके सुधार के लिये जब कोई विधेयक लाया जाय, छोटे से छोटा, और उसमें कोई कारण यह दिखा करके कि अमुक प्रकार के संशोधन से अमुक लाभ इस अधि-नियम के कार्य करने में या उसके जरिये से जो कानून बना है, उसमें अमुक लाभ होगा, अगर यह कोई वाद खड़ा किया जाय तो अधिनियम की हर एक धारा के ऊपर संशोधन लाये जा सकते हैं। तो उसका कोई अन्त ही नहीं होगा। चूंकि सुधार के लिये कोई विधेयक लाया गया है इस लिये मूल अधिनियम की हरेक धारा के ऊपर एक या अधिक इस सदन में सुधार हो सकते हैं, यह बात कभी ठीक नहीं मानी जा सकती। जो विधेयक प्रस्तुत है, संशोधन का, उसमें जो उद्देश्य और कारण दिये जाते हैं और जो उसमें पहले, प्रिएम्बिल में, जो शब्द हैं और उसके साथ साथ जो खंड हैं, धारायें हैं, प्रस्तावित, उन सबके ऊपर निगाह डालने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इस विधेयक की परिधि के बाहर कोई संशोधन जाता है या नहीं। इस विधेयक को इस प्रकार देखने से यह प्रतीत होता है कि मुख्यतः चुनाव के लिये या चुनाव में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उनके संबंध में यह विधेयक है।

दूसरे यह प्रतीत होता है कि कोई खास जरूरत की चीजें या कठिनाइयां जो म्युनि-सिपैलिटीज के सामने प्रबन्ध में हुआ करती हैं उनके निवारणार्थ या कोई योजना सरकार के सामने, जैसे कि पंचवर्षीय योजना है, उसके सहायतार्थ कोई कमी रह गयी हो, ऐसी चीजें ही इस विधेयक में दिखाई देती हैं। कोई भी महत्व का सिद्धांत लेकर म्युनिसिपल प्रबन्ध को उलटने का मैं समझता हूं कि इस विधेयक में ऐसा कोई सुधार नहीं पेश दिखाई देता है। इसलिये जो खंड इस विधेयक में मौजूद हैं, उन खंडों से संबंधित जितने सुधार होंगे वही इसकी परिधि के नीचे रहेंगे। लेकिन जो चीज इसमें सामने नहीं आई और मल

[श्री अध्यक्ष]

म्युनिसिपैलिटीज के ऐक्ट में, जो चीजें मौजूद हैं उनको लेकर या उनमें कुछ इजाफा करके अगर यहां कोई संशोधन पेश करता है तो मैं समझता हूं कि वह परिधि के बाहर है।

इसलिये जो आपत्ति माननीय मंत्री ने की है वह युक्तिसंगत है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। श्री रामनारायण जी त्रिपाठी इस संशोधन को पेश नहीं कर सकते, क्योंकि यह अवैध है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा ८-ए की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति में शब्द " by the " के बाद व शब्द "State Government" के पहले शब्द " Election Commission on request of the " जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, जो खंड ३ के द्वारा मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद नई धारा ८ (ए) बढ़ाई जा रही है उसमें कुछ नई परिभाषायें भी की जा रही हैं, और उन परिभाषाओं में (बी) उपधारा में 'डायरेक्टर आफ इलेक्शंस, लोकल बाडीज' की परिभाषा दी गयी है। इसमें यह दिया हुआ है :--

"Director of Elections (Local Bodies) means an officer appointed by the State Government in this behalf by the notification in the official *Gazette*."

उसके स्थान पर मैं जो रखना चाहता हूं वह इस प्रकार है :--

"Director of Elections (Local Bodies) means an officer appointed by the Election Commission on request of the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*,"

इसका तात्पर्य, श्रीमान् जी यही है कि माननीय मंत्री ने सामान्य विवाद के सिलसिले में कहा कि डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स एक इंडिपेंडेंट अथारिटी होना चाहिये, एक ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिये जो सरकारी दबाव के ऊपर हो, जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के ऊपर हो, जो पार्टीज के प्रभाव के ऊपर हो, स्वशासन संस्थाओं के प्रभाव के ऊपर हो, जब ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति के नीचे चुनाव संपन्न होंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता और प्रदेश के म्युनिसिपल क्षेत्रों के अन्दर रहने वाली जनता को किसी प्रकार से इस बात का अविश्वास नहीं हो पायेगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिये जो सरकार का उद्देश्य है या जो माननीय मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि इंडिपेंडेंट अथारिटी के जूरिसडिक्शन में चुनाव हो तो फिर सरकार को कोई एतराज इस बात में नहीं होना चाहिये कि वे इलेक्शन कमिश्नर से इस बात की दरख्वास्त करें कि वह प्रान्त के लोकल बोर्ड्स के लिये एक कमिश्नर आफ इलेक्शन चुन दे। जो डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स वह नामजद करेगा, मैं समझता हूं कि वह सबका विश्वासभाजन होगा, विभिन्न पार्टीज का विश्वास भाजन होगा। मैंने जब एक और सुझाव माननीय मंत्री को दिया तो उन्होंने उसको अवहेलना की दृष्टि से देखा था और कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्वाइंट करती है और क्या उस पर सबका विश्वास नहीं होता? फिर डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स जिसको हम अप्वाइंट करेंगे उस पर विश्वास क्यों नहीं होगा? लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी सूचना गलत है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त नहीं करती, बल्कि वह प्रेसीडेंट द्वारा नामजद किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नामजद होता है। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति सारे विधान के अनुसार होती है और उनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का होता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जब कि इस चनाव के संबंध में डायरेक्टर आफ इलक्शन्स की तुलना इलेक्शन कमिश्नर से

करते हैं तो क्या वे डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स को वही अधिकार, या रक्षा देने को तैयार हैं, जो हाईकोर्ट के जज हैं। अगर आप केन्द्र और प्रान्तीय सरकार की तुलना करते हैं तो इस दृष्टि से सरकार को ऐसा ही करना चाहिये। वहां के कमिश्नर के लिये विधान की धारा में साफ लिखा हुआ है:

विधान का अनुच्छेद ३२४ (२) इस प्रकार है—

"The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President."

[निर्वाचन-आयोग, मुख्य निर्वाचन-आयुक्त, तथा यदि कोई हो तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा उसके लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जायगी।]

तो चूंकि प्रेसीडेंट को एलेक्शन कमिश्नर के नामजद करने की अथारिटी है और यदि ऐसा प्राविजन और रेस्ट्रिक्शन्स हैं तो वह पार्लियामेंट का ही बनाया हुआ ला है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की नामजदगी नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्वाइंटमेंट नहीं है। यह विधान के अनुसार पार्लियामेंट द्वारा बनाये गये कानून की शरायत के अनुसार प्रेसीडेंट के द्वारा नियुक्ति है। इसलिये एलेक्शन्स कमिश्नर की नियुक्ति और डाइरेक्टर आफ एलेक्शन की नियुक्ति एक समझना और तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक समझना एक भारी भूल होगी। जहां तक एलेक्शंस कमिश्नर का सवाल है—

"Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment."

[परन्तु मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से वैसे कारणों और वैसी रीति के बिना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात् उसकी सेवा की शर्तों में उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन न किया जायगा।]

इसके द्वारा यह स्पष्ट है कि जो चीफ एलेक्शन कमिश्नर है उसको कितना ज्यादा अधिकार है और उसको सरकारी दबाव से कितना दूर रखा गया है और रखने की चेष्टा की गयी है। इसलिये श्रीमन् मैं यह चाहता हूं और सरकार भी यह चाहती है और इस बात का दावा करती है कि वह जो अति शीघ्र म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव कराने जा रही है, उसके चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो यह बात भी निर्विवाद है कि वे चुनाव एक ऐसे अधिकारी के द्वारा हो जाने चाहिये जो सब प्रकार से निष्पक्ष माना जा सके। हमारे पास संभव कसौटी है, मैं कोई असंभव कसौटी की बात सदन के सामने आपके द्वारा नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं उनकी परिभाषा आपके द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि सरकार एलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त करे कि इस प्रान्त में म्युनिसिपल चुनाव होने वाला है, इसलिये वह कोई डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस यहां के लिये नियुक्त करे। इससे, प्रान्त की जनता को विश्वास होगा और चुनाव भी निष्पक्ष होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी जनता के अन्दर किसी प्रकार से ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे चुनाव के निष्पक्ष होने में किसी को संदेह हो कि चुनाव के संपन्न करने में

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किसी विशेष प्रकार काम करने की जरूरत पड़ी। ऐसी धारणा जनता में हो वे स्वयं भी नहीं चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं। भले ही हम विरोधी दल के हैं, लेकिन निराधार आरोप किसी पर लगाना ठीक नहीं समझते और निराधार आरोप लगाने की बपौती किसी पार्टी विशेष की ही नहीं होती। कोई भी किसी पर निराधार आरोप लगा सकता है। वे निराधार आरोप गलत भी हो सकते हैं। इसलिये इस प्रजातंत्रात्मक परिपाटी को स्पष्ट करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से और इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इन सुझावों पर निष्पक्ष रूप से विचार करें और इस संशोधन को निर्दोष मानते हुए स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के जरिये माननीय सदस्य ने यह बात इस बिल में लाने की कोशिश की है कि हम जो चुनाव करावें उस चुनाव कराने वाले आफिसर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नमेंट को न हो, बल्कि एलेक्शन्स कमिश्नर को हो। जहां तक इन अल्फाज का संबंध है। "आन दि रिक्वेस्ट आफ दि स्टेट गवर्नमेंट" उसमें ज्यादातर तो यही होता है कि जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी वही मान लिया जायगा। इसलिये एलेक्शन कमिश्नर के सिर्फ मोहर लगाने की बात रह जाती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि एलेक्शन कमिश्नर हमारा मुलाजिम नहीं है। उससे काम लेना हमारे अधिकार से बाहर है, हम उससे काम नहीं ले सकते हैं। हम अगर उसे काम करने के लिये कहें और वह इनकार कर दे तो हम उससे काम नहीं करा सकते। एलेक्शन कमिश्नर को हम हुक्म दें, मैं समझता हूं कि यह हमारे दायरे से बाहर की चीज है। उसको हम हुक्म नहीं दे सकते।

दूसरी बात यह कही गयी कि प्रेसीडेंट उनको एप्वाइंट करता है। इसमें तो केवल इतना ही निवेदन करना है कि अगर यह सिद्धांत देखा जाय तो यहां उसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है, वह प्रेसीडेंट के नाम से और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है वह गवर्नर के नाम से रोज ही निकलता है कि "गवर्नर इज प्लीज्ड टु डिस्मिस" वगैरः वगैरः, तो इस तरह से काम रोज हुआ करता है। तो जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था उसमें प्रेसीडेंट एक्स्क्लूड नहीं होता। लेकिन इन तमाम शंका की गुंजायश नहीं थी और इस अमेंडमेंट के मूव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा था जेनरल डिस्कशन में कि हम यह आशा रखते हैं कि शायद चीफ ऐलेक्टोरल आफिसर को इस काम के करने में दिक्कत पड़े, इसलिये चीफ एलेक्टोरल आफिसर के सुपुर्द यह काम कानूनी ढंग से नहीं डाल सकते। तो भी हम लोग उसको इस काम के लिये मुकर्रर करना चाहते हैं और मैंने यह भी कहा कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं इधर सोच रहा हूं कि हम इस काम को चीफ एलेक्टोरल आफिसर के सुपुर्द करें, जिसको एलेक्शन कमिश्नर ने मुकर्रर किया है और जिसकी निष्पक्षता के बारे में सब साहबान को विश्वास है और जिसको पूरा करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। चीफ एलेक्टोरल आफिसर एलेक्शन कमिश्नर द्वारा द्वारा मुकर्रर किया हुआ है और हमारा इरादा भी है कि उसी को यह काम सुपुर्द करें, लेकिन उसका नाम डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस लोकल बाडीज होगा, इसलिये कि उसमें जितनी इम्पार्शियलिटी हो सकती थी, वह आगे भी रहेगी और उसमें कोई शंका की गुन्जायश है नहीं और खामख्वाह के लिये अपने दिलों में शंका पैदा हो और खामख्वाह ऐसा वातावरण पैदा हो जो सच्चाई से दूर हो, यह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री ने इस संशोधन को न मानने के लिये जो सबसे बड़ा तर्क उपस्थित किया है, वह यह है कि एलेक्शंस कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट का सरवेंट नहीं है। वह माने या न माने यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। इस संबंध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आगे आने वाले म्युनिसिपल

चुनावों का संबंध है उसके संबंध में किसी व्यक्ति के दिमाग में, चुनाव में गड़बड़ होगी, इस तरह की शंका न हो ऐसा मंत्री जी भी चाहते ही होंगे तो जब एलेक्शन्स कमिश्नर से रिक्वेस्ट करें और एलेक्शंस कमिश्नर इस बात को न मानें तो उसके भी रास्ते हैं। अगर यह सही है कि माननीय मंत्री जी भी चाहते हों कि चुनाव निष्पक्ष हों और चुनाव के बारे में जो अविश्वास की भावना जनतांत्रिक प्रणाली में बढ़ती जा रही है वह भावना उसके अन्दर से दूर हो और इस प्रणाली में जनता की आस्था प्रगाढ़ हो और उसकी आस्था बढ़ती जाय तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्वतः सोचें और स्वतः कोई संशोधन उपस्थित करें। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी की इस बात में वजह है कि अगर एलेक्शंस कमिश्नर न माने तो क्या मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में आपके जरिये से यह संशोधन रख सकता हूं कि माननीय मंत्री जी एक पैनेल तैयार करके इस सदन के सामने रखें और अंतिम नियुक्ति उस चुनाव आफिसर की यह सदन करे। इस तरह से उस पर वाद-विवाद हो जायगा कि वह व्यक्ति जिसके हाथों सारे सूबे के स्वायत्त शासन के चुनाव किये जाने वाले हैं उसके गुण-दोष क्या हैं और इन तमाम बातों को यह सदन भी देखेगा, समझेगा और विचार करेगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी की खिदमत में अपनी यह शंका पेश करना चाहता हूं और केवल यह हमारी अपनी निजी शंका नहीं है बल्कि एक समुदाय की शंका है। माननीय मंत्री की सेवा में भी समय समय पर इस तरह की शंकायें उपस्थित हुई होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके पहिले जो आम निर्वाचन हुए थे उसमें बहुत सी धांधलियां और गड़बड़ियां हुईं, बहुत सी त्रुटियां और खामियां थीं और उन कामों को लेकर जो आज अविश्वास पैदा हुआ उस अविश्वास के पैदा होने से जो ऐसी ताकतों को बल मिलता है जो हिंसात्मक ताकतें होती हैं जो जनता की मनोवृत्ति को जनतांत्रिक प्रणाली से अलग कर हिंसात्मक प्रणाली की ओर ले जाने वाली हैं और उस ओर ले जाने को तुली हुई हैं उनको बल मिलता है। तो उनके बल के निराकरण के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या सुझाव रखा है? यह इस विधेयक में कहीं नहीं आया। इसलिये मैं बार बार इस पर जोर देता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन यहां पर उपस्थित किया है उसका मुख्य मकसद यही है, उसकी भावना यही है कि चुनाव निष्पक्ष हों, चुनाव में धांधलियां और बेईमानियां न हों। चुनाव के प्रति जनता की आस्था रहे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात होती है। तो मुझे यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि कई व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं, समझे, सुलझे और पढ़े-लिखे हैं उन्होंने हमसे इस बात की शिकायत की कि क्या चुनाव की बात करते हो। चुनाव पर से तो हमारा भी विश्वास हटता जा रहा है। जब मैं यह बात माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके जरिये कह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस निवेदन की गंभीरता को अपनी दृष्टि में रखें। यह केवल संशोधन संशोधन के लिये नहीं आ गया है, या यह विरोध केवल विरोध के लिये नहीं हो रहा है। यह उन भावनाओं का द्योतक है जिन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी नारायण दत्त जी द्वारा जो उपस्थित संशोधन है उसको स्वीकार करें और आज अविश्वास की बढ़ती हुई भावना को जनतांत्रिक प्रणाली के प्रति दूर करें।

अगर माननीय मंत्री जी की जो शंका थी कि एलेक्शन कमीशन प्रान्तीय सरकार की प्रार्थना को नहीं मानेगा तो उसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक सुझाव पेश किया था। अगर माननीय मंत्री जी उस सुझाव को मानें तो मैं यह साहस भी करूंगा कि माननीय नारायणदत्त जी से कहूं कि वह अपने संशोधन में इस तरह का संशोधन कबूल कर लें। जहांतक माननीय मंत्री की बात है उस संबंध में भी मैं अपना यह मत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह शंका निर्मूल है। यह सही है कि एलेक्शंस कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट का नौकर नहीं है लेकिन जितना यह सही है उतना यह भी सही है कि इस स्टेट गवर्नमेंट की प्रार्थना को एलेक्शंस कमीशन ठुकरायेगा नहीं। एलेक्शंस कमीशन उसको मानेगा। ऐसा कहने का हमारे पास काफी प्रमाण है। हम समझते हैं कि हमारा

[श्री राजनारायण]

विश्वास है उन तमाम प्रमाणों को सामने रख कर कि एलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रार्थना को अवश्य मानेगा और म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचनों का प्रबन्ध करने का भार एलेक्शन कमीशन अपने ऊपर ले कर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा उस व्यक्ति पर आस्था हो सकती है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं एलेक्शन्स कमीशन के कुछ ऐसे काम भी हैं जिससे जनता की उस पर आस्था भी है, ऐसे व्यक्तियों की भी आस्था है जो व्यक्ति अच्छी तरह से जले-भुने हैं, कटे हैं। मगर जबकि सेन साहब का नाम आता है तब वह कहते हैं कि हां, उनके ऊपर तो हमारा विश्वास है। उन्होंने भरसक कोशिश की कि चुनाव निष्पक्ष और निर्दोष हों इसीलिये माननीय नारायण दत्त जी ने यह संशोधन यहां पर उपस्थित किया है। जहां पर माननीय मंत्री जी ने अभी चर्चा की प्रेसीडेंट साहब की पावर के बारे में तो माननीय नारायणदत्त जी ने इसका भी संकेत कर दिया था। क्योंकि कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आखिर एलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी तो केन्द्रीय सरकार करती है तो केन्द्रीय सरकार पर भी यही आरोप लगाया जा सकता है। इस संबंध में उस भ्रम के निराकरण के लिये ही नारायण दत्त जी ने कहा कि सरकार नहीं, प्रेसीडेंट के जरिए उनकी नियुक्त होती है। मैं आपके जरिये पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, सादर, साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरकार के द्वारा होने वाले काम और प्रेसीडेंट के द्वारा होने वाले काम में कुछ फर्क करें, कुछ अन्तर करें, वर्ना इस भारत के संविधान के ऊपर जो राजनीति के पंडित आक्षेप लगाया करते हैं, माननीय मंत्री जी की उक्ति से उस आक्षेप की पुष्टि होती है। जहां माननीय मंत्री जी कहते हैं कि आखिर प्रेसीडेंट भी जो काम करेगा वह केन्द्रीय सरकार के संकेत पर ही करेगा, केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार ही करेगा, उसकी इच्छा के विपरीत नहीं चल सकता। वही प्रेसीडेंट के होने का अनौचित्य साबित हो जाता है।

श्री मोहन लाल गौतम--प्रेसीडेंट ही केन्द्रीय सरकार है।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट की पावर और गवर्नर महोदय की पावर का डिस्कशन थियरिटिकल होता जा रहा है। यहां पर भी गवर्नर महोदय आर्डिनेंस पास करते हैं। उस आर्डिनेंस के लिये आवश्यकता पड़ती है कि सरकार विधेयक प्रस्तुत करे तो प्रेसीडेंट के अन्दर ऐसी पावर है कि उस पावर का वह इस्तेमाल सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी कर सकता है, जो वर्तमान सरकार है। यह बारीकियां हैं। मैं चाहता हूं कि जो पालिटिक्स की इन कांस्टीटूयशनल विधियों के अन्दर त्रुटियां और बारीकियां होती हैं उसके अन्दर भी हमारे आदरणीय मंत्री जी ध्यान दें।

इस बात को मैं भी जानता हूं कि प्रेसीडेंट स्वतः सरकार के सारे कामों को कार्यान्वित कर सकता है। मगर उसकी भी सीमा है, उसकी भी मर्यादायें होती हैं। वह मर्यादा में भी निश्चित हैं और केवल यहां पर इस भ्रम को पैदा करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेसीडेंट ही सरकार है। प्रेसीडेंट सरकार है, उसकी क्या मर्यादायें हैं, इन तमाम बातों को राजनीति के विद्यार्थी समझते हैं।

तो मैंने जो शंका प्रस्तुत की, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आइंदा प्रेसीडेंट केंद्रीय सरकार की इच्छा के द्वारा ही संचालित होगा, प्रधान मंत्री की इच्छा द्वारा ही संचालित होगा, कैबिनेट की इच्छा के द्वारा ही संचालित होगा, इस तरह की भावात्मक उक्तियों का प्रयोग इस सदन में न करें। क्योंकि ऐसी उक्तियां डिमोक्रेसी के लिये, जनतांत्रिक प्रणाली के लिये बड़ा जबरदस्त खतरा पैदा करने वाली होती हैं जिसको लेकर आज अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। आज डिमोक्रैटिक ट्रेडीशंस के ऊपर जिस बात को लेकर लोग चुटकियां लेते हैं, आरोप करते हैं, उन आरोपों की माननीय मंत्री महोदय पुष्टि करते हैं।

इसलिये मैं अब ज्यादा समय न ले कर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी माननीय नारायण दत्त जी तिवारी द्वारा जो प्रस्तुत संशोधन है उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। उसके स्वीकार करने में उनकी मर्यादा, सरकार की मर्यादा, उत्तर प्रदेश की मर्यादा, यहां की जनता की मर्यादा सुरक्षित रहेगी, चुनाव के प्रति लोगों में विश्वास जगेगा और आस्था बढ़ेगी, प्रगाढ़ होगी और जनता बिना किसी हिचक के उस चुनाव में भाग लगी ।

अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री जी ठुकराते हैं तो माननीय मंत्री जी जनता में अविश्वास की भावना को बढ़ावा देने के लिये एक अवसर प्रदान करते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१० दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी०-६८ एल० ए०-१९५२-८३०

विधान सभा उत्तर प्रदेश